


निशि-दिन रहता हूँ

खिन्न ही चित्त मेरा ।



राहुल सांकृत्यायन

साम्यवादी दुनिया  
और उसके ग्राम  
नगर, कल-कारखाने,  
चिकित्सालय, विद्या-  
लय, भापा-भूपा आदि  
का शब्द-चित्र ।

बाईसवीं सदी

जी सभी का लुभाती ।

# बार्ड्सबी सदी

राहुल सांकृत्यायन



प्रकाशक  
साहित्य-सेवक-संघ  
छपरा

प्रथम संस्करणसे

दो शब्द

सन् १९१८ ई० का अप्रैल या मईका महीना था। रात्रिके शेष प्रहर-में विश्वबन्धुका यह भ्रमण-वृत्तान्त, स्वप्न और जाग्रत दोनों अवस्थाओं-मेंसे नहीं कहा जा सकता किस अवस्थामें, दृष्टि-गोचर हुआ। उसी समय क्रमानुसार इसका एक संक्षिप्त विवरण लिख लिया गया था। किन्तु समया-भावसे उसे विस्तार-पूर्वक प्रकाशनोपयोगी न किया जा सका था। किन्तु वह संक्षिप्त विवरण एक मित्रकी असावधानीसे खो गया। कितने ही समय तक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसके मिलनेकी आशा विल्कुल न रही, तब, स्मृतिसे जहाँ तक हो सका, बहुत संक्षेपमें यह निबन्ध हजारीबाग जेलमें ९-२-२४ से लिखा गया। यद्यपि मूल अंशोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, किन्तु बाहरी बातोंमें अनेक हेरफेर होना विल्कुल सम्भव है।

किस अभिप्रायसे यह पुस्तक लिखी गई, एवं कहाँ तक इसमें सफलता हुई, यह पाठकों ही पर छोड़ा जाता है।

विनम्र—रा० सा०

## द्वितीय संस्करण

वा ई स वी स दी १९२४ ई० में लिखी गई थी। इसके प्रथम संस्करणके समय (१९३१ ई० में) कितने ही स्थानोंपर परिवर्तनकी जरूरत जान पड़ी; किन्तु, लेखकने कई कारणोंसे वैसा करना नहीं चाहा। अबकी बार इस दूसरे संस्करणमें वे संशोधन कर दिये गये हैं।

इस छोटी पुस्तकमें साम्यवादी संसारका शब्द-चित्र खींचा गया है, उसके पक्ष-विपक्षमें यहाँ कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। साम्यवादपर तुलनात्मक विचारके लिये लेखककी नई पुस्तक 'साम्यवाद ही क्यों?' देखनी चाहिए।

प्रयाग

राहुल सांकृत्यायन

१६-१-३५

## लम्बी नाँदका अन्त

ओह, इतना परिवर्तन ! यहाँ इतने मोटे-मोटे वृक्ष पहले कहाँ थे ? यह बड़ी चट्टान भी तो यहाँ नहीं थी। तब यह आई कहाँसे ? हाँ, उस शिखरसे टूटकर आई मालूम पलती है; लेकिन इस ऊँची चट्टानके बीचमें आजानेसे यह वागमतीमें नहीं गिर सकी। पर वहाँसे आई कैसे, राहमें बड़े-बड़े वृक्ष जो हैं ! ज्ञात होता है, ये वृक्ष पीछे उगे हैं। और ये आकृतिसे सौ वर्ष पुराने मालूम होते हैं। तो क्या मेरे आये इतने दिन हो गये—ओह-हो ! हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है, मैं फरवरी १९२४ में यहाँ आया था। यदि तबसे १०० वर्ष बीते, तो अब २०२४ होना चाहिये !

ओह ! अब यहाँसे उतरना भी मुश्किल है। वागमती हाथों नीचे चली गई। यहाँ वह किनारे वाली चट्टान भी नहीं है। जिस खड़ीसे चढ़-

निज रुचिर छटा से  
जी सभी का लुभाती ।

## द्वितीय संस्करण

वा ईसवीं सदी १९२४ ई० में लिखी गई थी। इसके प्रथम संस्करणके समय (१९३१ ई० में) कितने ही स्थानोंपर परिवर्तनकी जरूरत जान पड़ी; किन्तु, लेखकने कई कारणोंसे वैसा करना नहीं चाहा। अबकी बार इस दूसरे संस्करणमें वे संशोधन कर दिये गये हैं।

इस छोटी पुस्तकमें साम्यवादी संसारका शब्द-चित्र खींचा गया है, उसके पक्ष-विपक्षमें यहाँ कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। साम्यवादपर तुलनात्मक विचारके लिये लेखककी नई पुस्तक 'साम्यवाद ही क्यों?' देखनी चाहिए।

प्रयाग

राहुल सांकृत्यायन

१६-१-३५

## लम्बी नाँदका अन्त

ओह, इतना परिवर्तन ! यहाँ इतने मोटे-मोटे वृक्ष पहले कहाँ थे ? यह बड़ी चट्टान भी तो यहाँ नहीं थी। तब यह आई कहाँसे ? हाँ, उस शिखरसे टूटकर आई मालूम पड़ती है; लेकिन इस उँची चट्टानके बीचमें आजानेसे यह बागमतीमें नहीं गिर सकी। पर वहाँसे आई कैसे, राहमें बड़े-बड़े वृक्ष जो हैं ! ज्ञात होता है, ये वृक्ष पीछे उगे हैं। और ये आकृतिसे सौ वर्ष पुराने मालूम होते हैं। तो क्या मेरे आये इतने दिन हो गये—ओह-हो ! हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है, मैं फरवरी १९२४ में यहाँ आया था। यदि तबसे १०० वर्ष बीते, तो अब २०२४ होना चाहिये !

ओह ! अब यहाँसे उतरना भी मुश्किल है। बागमती हाथों नीचे चली गई। यहाँ वह किनारे वाली चट्टान भी नहीं है। जिस खुड़ीसे चढ़-

जी सभी का लुभाती ।



कर मैं यहाँ आया था, वह भी पानीके बहनेसे नाली-सी हो गई । किन्तु, हाँ, पर्वतराजका यौवन तो और भी बढ़ गया है । चारों ओर हरियाली-ही-हरियाली उग आई है । और झरना !—अरे, यह तो एक छोटा-सा प्रपात ही हो गया ! वाह-वाह ! इधर तो और भी कई झरने आस-पास दिखाई देते हैं । पर वागमतीका 'कल-कल' तो वही है । दो-एक चट्टानों-के हटने और कुछ नीचे चले जानेके अतिरिक्त इसमें और कोई हेर-फेर नहीं हुआ है । किन्तु, पहलेका वह किनारेवाला वृक्ष नहीं दीख पड़ता ! सचमुच मेरे परिचित एक भी वृक्ष यहाँ नहीं हैं । जब यहाँ इतना परिवर्तन है, तो वस्तियोंमें, न जानें, क्या हुआ होगा ? वळा कौतूहल हो रहा है । देखना चाहिये, मानव-संसारने क्या-बया रूप बदले हैं । रास्ता भीमफेरी होकर गया था । वहाँ कुछ लोग जरूर होंगे । उनसे भी कुछ पता लगेगा ।

यह विचारते हुए मैंने अपनी चिर-सहयोगिनी गुफासे बिदा ली । ३५-३६ हाथ ऊपरकी अपनी गुफासे नीचे आनेमें मुझे बड़ी कठिनाई मालुम हुई । अरे ! मेरे कपड़ेका पता नहीं—वह कब सळ-गल गया ? आदमियोंमें जाना है—बदन ढाँकनेके लिए वस्त्र तो नितान्त आवश्यक है । यह विचारकर मैंने झट एक वृक्षसे बड़े-बड़े पत्ते तोळ, जंगली बेलसे कमरमें बांध लिये । नीचे आनेपर नदीके किनारे-किनारे चलना ही मुझे उचित मालुम हुआ । क्योंकि मुझे सन्देह होने लगा कि वह नजदीक-वाला मार्ग साफ है या नहीं । गंगा-किनारे आते ही मेरी इच्छा पहले स्नान करनेकी हुई । सूर्यकी धूप यद्यपि सामने पळ रही थी, दिन भी

दो-तीन घंटे चढ़ आया था, लेकिन अभी थोड़ी पहाड़ी सरदी पल ही रही थी। तो भी मैंने खूब मल-मलकर स्नान किया। नहा-धो चुकनेपर सामने कुछ परिचित फल लगे दिखाई पड़े। मैंने उन्हें तोड़कर खूब मतलब-भर खाया। इस तरह पेट-पूजासे निश्चिन्त हो, कदम आगे बढ़ाया।

जब पहले यहाँ आया था, तभी ६०-६१ वर्षका हो चुका था, बाल-बहुत-से पक गये थे; लेकिन अब तो ये सर्वथा सन-जैसे श्वेत हो गये थे। चिर-काल तक निराहार रहनेसे शरीर सूख गया था, किन्तु, उत्साह और फुर्ती अब भी कम नहीं थी। चलते-चलते चार-पाँच घंटे हो गये। प्रायः छः-सात कोस चलपाया होगा कि ऊपरसे तार जाते दिखाई पड़े। धूपमें चमकनेसे मालूम पड़ा कि तार ताँवेके हैं। ताँवेके तार तब यहाँ दिखाई न पड़े थे, इसलिए यह नया परिवर्तन मालूम हुआ। मैंने अनुमान किया, शायद इधर कहीं विजली पैदा की जाती है, जो इन तारोंके द्वारा और जगहोंपर जाती होगी। अब आगे, भास-पास, पर्वतों-पर अनार, नारंगी और केलेके वाग दोनों तरफ दिखाई पड़ने लगे। कोसों तक चला आया, पर अभी कोई आदमी दिखाई न पड़ा। मुझे वगीचोंमें होकर रास्ता जाता मालूम पड़ा; विचार आया, उससे चलनेपर क्या जाने जल्दी कोई आदमी मिल जाय। मैंने अब नदी-तट छोड़, ऊपरका रास्ता पकड़ा और नारंगीके वृक्षोंकी छायामें चलना आरम्भ किया। देखा, फल खूब लगे हैं और वह भी साधारण नहीं, बहुत बड़े-बड़े। फिर सौन्दर्यका क्या कहना है? मनमें सोचा, अगर आगे कोई रखवाला

मिले, तो पूछूं। मैं जितना ही आगे बढ़ता जाता था, मेरी उत्सुकता और बढ़ती जाती थी।

अब नारंगीके बगीचे समाप्त हो चले, सेवांके शुरू हुए। यह बात नेपालके लिए मुझे नई मालूम पड़ी। सेव बहुत बड़े-बड़े लदे हुए थे, और वाग भी पर्वतकी ऊँचाईके साथ-साथ ऊपर चोटी तक चला गया था। जगह-जगह बरसाती पानीके नीचे गिरनेके लिए नालियाँ और नल लगे हुए थे। मोटे-मोटे नलों से पानी सब जगह पहुँचाया गया था। कहीं-कहीं पीनेके भी नल दिखाई पड़ते थे। रास्तेसे कुछ हटकर एकाध छोटे-छोटे टीनके मकान खड़े मालूम देते थे। पर मैंने रास्ता छोड़कर वहाँ जाना न चाहा। सोचा, अभी आगे चले चलें, कहीं-न-कहीं रास्तेपर ही कोई मिल जायगा।

पूरे चार कोस चलनेके बाद आखिर आदमियोंकी आवाज सुनाई दी। ज्यों-ज्यों नजदीक आता जाता था, आवाज स्पष्ट होती जाती थी। जब पास आया, तो देखा, उनमें स्त्री और पुरुष दोनोंही हैं। उनके वस्त्र बहुत ही स्वच्छ हैं; चेहरे खिले हुए हैं। मनमें विचारा, क्या ये नेपाल राज-परिवारके स्त्री-पुरुष तो नहीं हैं, जो शायद मनोरंजनके लिए यहाँ आये हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती। ये तो डलियों में तोड़-तोड़कर फलोंको जमीनपर रखते जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं फलोंको सामने लिये जा रहे हैं। मालूम होता है, वहाँ वे ढेर लगाते होंगे। इसके अलावे, राज-खानदानका बीस-गजी पायजामा भी इन स्त्रियोंके पास नहीं है। यद्यपि इनका रंग-रूप, वेप-भूषा, शारीरिक गठन, स्वच्छता

व्यवहार उनसे कहीं ऊँचे दर्जेका है, किन्तु फर्क भी अवश्य है। ये सब-की-सब पैंट पहने हैं; इनके हाथ-पैर मोजे और दस्तानेसे ढँके हैं। पैरोंमें जूते भी हैं। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। अच्छा, उनसे मिल कर ही पता लगेगा। और अब तो बिलकुल पास ही आगया हूँ। काममें लगे रहनेके कारण उन्होंने मुझे देखा नहीं है। लेकिन वह देखो, वहाँ एकने मुझे देख कर अपने साथियोंसे कुछ कहा। सब-के-सब क्या मेरी तरफ आँखें फाळ-फाळ कर देख रहे हैं? क्या मैं कोई जन्तु हूँ? कोई मेरे पत्तोंके कपड़ोंकी ओर देख रहा है, तो कोई दाढ़ीकी ओर। अच्छा, वह एक आदमी इधर आ रहा है, उसीसे सब बातें मालूम होंगी। हालाँकि आनेवाला व्यक्ति सीधे आ ही रहा था, पर मेरी उत्सुकता मुझे अधीर बना रही थी।

## सेबग्रामका बाग

उस पुरुषने धीरे-धीरे मेरे पास आ, स्वागतं कहा । यद्यपि उसने मुझसे एक ही बार यह शब्द कहा, लेकिन मेरे कानों में, न जाने कितनी बार, उसकी आवृत्ति होती रही । इसके बाद ही वार्तालाप शुरू हुआ ।

“आप कहाँसे आ रहे हैं ?”

“कहीं दूरसे तो नहीं; करीब दो घंटे दिन चढ़ा था, तब मैं अपने स्थानसे चला हूँ ।”

“अव, ” झट घळी देखकर—“तीन वजकर बीस मिनट हो चले हैं । मुझे क्षमा करेंगे, अगर मेरी बातोंमें कुछ ढिठाई हो, क्योंकि आप के दर्शनने ही जिज्ञासा-तरंगोंसे हृदयको डँवाडोल कर दिया है ।”

“जो कहना हो, निस्संकोच होकर कहो। मेरे कुतूहल भी कुछ कम नहीं हैं। यद्यपि, इस स्थानसे मेरा निवास बहुत दूर नहीं, लेकिन समयसे कुछ अवश्य है। अच्छा, यह तो बताओ, आज सन्-संवत् क्या है ?”

“सन् १००”

“कौनसा सन् ?”

“सार्वभौम। आप कौन सन् पूछते हैं ?”

“ईसवी।”

“वह है, २१२४।”

“ओ-हो ! तो क्या मुझे गुफामें बैठे दो सौ वर्ष हो गये ? तभी तो सब जगह परिवर्तन-ही-परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अच्छा, पूछो जो कुछ पूछना हो।”

“क्या दो सौ वर्ष आपको गुफामें बैठे हो गये ? और बैठते समय अवस्था क्या रही होगी ?”

“६० वर्ष।”

२६० वर्ष बहुत होते हैं। मेरी अवस्था अभी ६० वर्षकी है। वृद्ध-पुरमें १०० और १२० वर्षके भीतरके कई पुरुष हैं। किन्तु आपकी अवस्थाका पुरुष अभीतक सुनने में नहीं आया। यह सब बातें मुझे और भी आश्चर्यमें डाल रही हैं; साथ ही, बहुत-कुछ पूछनेकी उत्सुकता भी उमळ रही है। किन्तु वहाँ जो मेरे साथी स्त्री-पुरुष हैं, वे भी मुझसे कम उत्सुक नहीं हैं। इसलिये क्या ही अच्छा हो, अगर उनके सामने ही आप अपनी आत्म-कथा कहें। × × × हाँ, एक बात और। अब

ऐसे वस्त्रोंका रवाज नहीं रहा; अनुचित तो न होगा, यदि आपको पहननेके लिए एक वस्त्र ला दूं ?”

“नहीं, कुछ अनुचित नहीं। इसकी आवश्यकता मैंने भी महसूस की थी।”

उस भद्रपुरुषने, मेरा वाक्य खतम होते ही ‘अर्जुन ! अर्जुन !’ पुकारा; और आवाज सुनते ही एक युवक दौड़ा आया। उसने स्मित-मुख हो मेरा स्वागतकर अपने साथीसे पूछा—क्या है ?

“यहाँ, इस मकानमें धोती—जोड़े रखे होंगे। दौड़कर उनमेंसे एक यहाँ लाइये... आपके पहननेके लिए।”

“बहुत अच्छा,” कहकर अर्जुन दौड़ता हुआ गया और दो मिनट-में निहायत साफ एक धोती ले आया।

मैंने धोती लेकर कहा—“पहली बात तो यह कि चूंकि हमें बातें बहुत करनी हैं, अतः नामसे परिचित होना चाहिये। मेरा नाम विश्वबंधु है और आप अपना नाम बतलाइये।”

“मेरा नाम सुमेध।”

“तो सुमेध जी ! सहायताके लिए धन्यवाद।

“नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अब हम लोगोंके जलपानका भी समय होगया है। आप भी थके-मांदे होंगे—भूख लग जाना भी स्वाभाविक ही है। अभी चलकर जल-पान करें और इसके बाद आत्म-वृत्तान्तसे हमें कृतार्थ करें।”

“सुमेध ! सचमुच तुम्हारे थोड़ेसे वार्तालापने मुझे बहुत आकृष्ट कर लिया है। इस समय मेरे आनन्दका ठिकाना नहीं। अच्छा, चलो।”

अब मुझे साथ लेकर सुमेध उस मकानकी ओर चले। इतने में यकायक तोपके गोले-की-सी आवाज हुई। पहले तो मैं चौंक गया, पीछे पूछनेपर मालूम हुआ, यह जलपानकी सूचना है। मेरी अनेक जिज्ञासाओंमें एककी और वृद्धि हुई। मैंने देखा, उधरसे वे स्त्री-पुरुष भी—जो काममें लगे थे—काम छोड़कर इसी मकानकी ओर चले आ रहे हैं। मकानके पास जाकर क्या देखता हूँ, साफ पानीके कितने ही नल लगे हुए हैं। नहानेके लिए साफ जलके टब हैं। मकान बहुत स्वच्छ हैं। तीन-चार बड़े-बड़े कमरे हैं। एक हॉल है, जिसमें डेढ़-दो-सौ आदमी बैठ सकते हैं। कमरोंमें बहुत-सी कुर्सियाँ हैं।

मैंने बड़े हॉलमें देखा, पाँतीसे कुर्सियाँ और मेज लगे हुए हैं। मेजों पर एक-एक तश्तरीमें सेव, केले अंगूर आदि कितनेही फल रखे हुए हैं और गिलासोंमें भरकर दूध। हम सब स्त्री-पुरुषोंकी संख्या करीब एक-सौ थी। मैंने उतनी ही थालियाँ वहाँ देखकर पहले आश्चर्य किया। क्या स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी वगल में बैठकर नाश्ता करेंगी? इतनेहीमें वे सब स्त्री-पुरुष भी आ गये। सबने स्मितमुख हो स्वागत किया। महाशय सुमेधने उन्हें सम्बोधित करके कहा—

“साथियो, हमारे आजके अतिथिको देखकर सबको बड़ी जिज्ञासा है। फिर हमारे जैसोंकी, जिनने एकाध बात सुन ली है उत्सुकताका तो कोई हिसाब नहीं। इसीलिए मैंने अकेले ही सब सुन लेना अच्छा नहीं समझा, अभी तो सिर्फ इतना जान पाया हूँ कि हमारे विश्वबंधु जी १९२४ से ही, यहाँसे १०-१२ कोसकी दूरीपर जमे हुए थे, जहाँसे आज ही आ रहे हैं।”



इतना सुननेपर नर-नारियोंका कौतूहल और भी उत्तेजित हुआ, पर जलपान करनेका समय बीत रहा था। इसलिए सबने हाथ-मुंह धोकर अपना-अपना आसन ग्रहण किया। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अर्जुनने मेरे जलपानकी थाली परोसनेको धोती ले जाते समय ही कह दिया था। सुमेधने मुझे एक कुर्सीपर बैठाया और पास ही स्वयं भी बैठ गये। उनके समीप ही एक महिला बैठी थीं, जो, आगे चलकर मालूम हुआ कि, उनकी साथिन सुमित्रा थीं। परोसनेवालोंने अपना काम समाप्तकर, स्वयं भी एक-एक आसन ग्रहण किया। अब सबका नाश्ता शुरू हुआ। मैंने भी एक कतरा सेव मुखमें डाला। मुझे उसकी मधुरता और सरसता अद्भुत मालूम हुई। मैंने तो उस समय यही समझा कि शायद चिरकालके बाद खानेसे यह इतना स्वादिष्ट मालूम हो रहा है, किन्तु पीछे मालूम हुआ कि, यह वैज्ञानिक रीतिसे फलोंकी खेती होनेका परिणाम है। मुझे अधिक भूखा समझकर कुछ ज्यादा फल दिया गया था। उसमें नारंगीकी भी कुछ फाँकेँ थीं। नेपालकी नारंगी पहिले भी खाई थी, लेकिन इतनी मधुर और सुस्वादु नहीं। बीजका तो पता ही नहीं था, रेशे भी नदारद। अंगूरोंके दाने बनारसी वेरोंके बराबर थे। मैंने पूछा—“ये अंगूर कहाँके हैं?”

सुमेधने बतलाया—“यहाँसे चार कोसके फासले पर इसका बाग है।”

“क्या नेपालमें भी अंगूर होता है?”

“बहुत। इसको तो सैकड़ों वर्ष हो गये। सारे बिहार, उड़ीसा, आंध्र बंगाल, काशी और अवध-प्रान्तको यहींसे अंगूर जाता है।”

“जीवित ही नहीं, बल्कि आज उस विद्यालयके मुकाबलेमें संसारमें शायद ही कोई दूसरा विद्यालय हो। दर्शन, ज्योतिष, भाषा-विज्ञान, इतिहास और राजनीतिके लिए नालन्दा अद्वितीय है।”

मैं जिस समय नालन्दा विद्यालयके उत्कर्षको सुन रहा था, मेरे आनन्दकी सीमा न थी, हृदयमें आनन्दका सिन्धु तरंगें मार रहा था। श्रोतागण भी इस परिचयसे बहुत प्रभावित दीख पड़े। सब-के-सब मेरी ओर एक ऐसी दृष्टिसे देख रहे थे, जिसमें प्रेम और सम्मानका भाव था। अब मेरी ज्ञातव्य बातें उन्हें मालूम ही हो चुकी थीं। मैंने उनकी बात जाननेके लिए अपनी राम-कहानीका यों शीघ्र अन्त कर दिया—

“कोई तीस वर्ष तक विद्यालयकी सेवा करनेके बाद मैं उत्तराखंड घूमने आया। उस गुफामें, जो यहाँसे १२-१३ कोसपर है, पहुँचकर मुझे मूर्छा या नींद आ गई, और अब तक वहीं पड़ा रहा। वस, यही मेरी संक्षिप्त कथा है। अब आप लोग बतलायें, आपकी जन्मभूमि कौन-सी है, क्योंकि आपकी भाषा तो नेपाली नहीं मालूम होती।”

“अब उस नेपाली भाषाको ही आप कहीं बोली जाती न पायेंगे। हाँ, पुस्तकालयोंमें उसकी पुस्तकें अवश्य पाई जायेंगी। अब सारे भारत-वर्षमें एक-ही भाषा बोली जाती है। हम सबका जन्म एक ही जगह नहीं हुआ है। यद्यपि मेरे पिताका जन्म काठमांडोका था, लेकिन नालन्दा विद्यालयमें शिक्षा समाप्त करनेपर उन्होंने गया जिलेके शाक-ग्रामको अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। मेरा जन्म वहींका है। अभी मेरे पिता जीवित हैं और आज-कल माताके साथ हजारीबागके वृद्ध-ग्राममें रहते हैं। उनकी

सारे भूमंडलमें आपका चित्र और समाचार पहुँच जायगा। आपके यहाँ आने पर मैं तो स्वागतके लिए हाजिर रहूँगा ही, इस समय आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। आप थके-माँदे होंगे—विश्राम करें!”

मैंने देवमित्रकी बातोंको यद्यपि आश्चर्यसे सुना, किन्तु मनको समाधान किया, यह सब विज्ञानके चमत्कार हैं। बहुत दिनके बाद चलनेसे सचमुच मेरे पैरोंमें थकावट मालूम होती थी, किन्तु निद्रा नहीं। अभी लेटनेका विचार करही रहा था, कि खुले किवाळसे दूसरे कमरेमें देखा, एक आलमारीमें, और उसके पासके मेजपर कुछ किताबें हैं। मेरी उत्सुकताने मुझे पलंगकी ओर कदम बढ़ाने न देकर उधर आकृष्ट किया। जाकर देखता हूँ, आलमारीमें बहुत ही सुन्दर जिल्दोंसे सज्जित किताबें रखी हुई हैं। पासकी एक कुर्सीपर बैठकर, मैंने मेजसे एक किताब उठाकर देखी। किताबमें मामूलसे कुछ अधिक वजन मालूम हुआ। खोलकर देखा तो चाँदीके रंगकेसे किसी धातुके पन्ने हैं। छपाई-सफाई अतीव सुन्दर। मेरे दिलमें इच्छा हुई, देखूँ, कहाँकी छपी है। देखनेपर ज्ञात हुआ, नालंदा प्रेसमें २०२४में छपी है। आज १०० वर्ष छपे हो गये, लेकिन देखनेसे मालूम होती है, विलकुल अभी प्रेससे आई है! खोलनेपर, उसके पन्ने निहायत बारीक दीख पड़े। एक इंचमें प्रायः तीन हजार पृष्ठ रहे होंगे। मुझे पग-पगपर वर्त्तमान जगतकी सभी घटनायें आश्चर्य-जनक मालूम होने लगीं। मैंने विचारा, पहले यह देखना चाहिये कि कौन-कौनसी पुस्तकें हैं। मेजपर एक ओर मोटे अक्षरोंमें सूचीपत्र-अंकित एक गुटका देखी। देखनेसे ज्ञात हुआ, इतिहास, वनस्पति-विज्ञान, साहित्य और भूगोल-

सम्बन्धी यहाँ दो-सौ पुस्तकें हैं। भाषाके विचारसे अधिकतर पुस्तकें हिन्दी-की थीं। कुछ पुस्तकें सार्वभौम भाषामें भी थीं और एक-दो अंग्रेजीकी भी। मैंने जिसे उस समयके लिए सबसे उपयुक्त समझा, वह था—सार्वभौम राष्ट्र-संगठनका इतिहास। उसे उठाकर मैं कुर्सीपर जा बैठा। पुस्तककी छपाई आदि अद्वितीय थी। छपी भी इसी वर्षकी थी। लेखक नालन्दा-विद्यालयके एक इतिहासज्ञ, अध्यापक विश्वामित्र थे। मैंने विचारा, दो-ढाई हजार पृष्ठोंवाली इस पुस्तकका एक घंटेमें पढ़ना मुश्किल है, अतः विषय-सूचीही देख लूं।

सूची देखनेसे, १९२४के वादकी मोटी-मोटी बातें जो मालूम हुईं, वे यह हैं—ब्रिटिश छत्र-छायामें भारतको स्वराज्य १९४० तक, संयुक्त एशिया राष्ट्र १९९० तक, संयुक्त एशिया-अफ्रिका-आस्ट्रेलिया राष्ट्र २००० तक, संयुक्त यूरोप-अमेरिका राष्ट्र २०१० तक, भूमंडलका एक राष्ट्र २०२४ तक। मैंने कहा, देखूँ, आजकल अखिल भूमंडलका राष्ट्रपति कौन है। मैंने इसके लिए पुस्तकका अन्तिम अध्याय देखा; जिसमें नामोंके साथ उन व्यक्तियोंके चित्र, जन्मस्थान और शिक्षास्थान भी दिये गये थे। सम्पूर्ण भूमंडलके राष्ट्रपति अगले तीन वर्षोंके लिए श्री दत्त चुने गये हैं, जिनका जन्मस्थान भारत ही है। शिक्षा उन्होंने तक्षशिलामें पाई। अवस्था चौहत्तर वर्षकी है। प्रधान मंत्री ओहारा एक जापानी सज्जन हैं। शिक्षा-मंत्रिणी मोनोलिन एक रूसी महिला, स्वास्थ्य-मंत्री डेविड एक अमेरिकावासी, इसी प्रकार और-और विभागोंके भी मंत्री भिन्न-भिन्न देशोंके लोग हैं। मैंने खूब गौर करके देखा, तो भी वहाँ सेना-मंत्री कोई नहीं दिखाई

पळा। विचारमें आया, कदाचित् छापेकी भूलसे नाम छूट गया हो। भला ऐसा महत्त्वपूर्ण पद रिक्त कैसे रह सकता है? पीछे मैंने देश-देशकी राष्ट्र-सभाओंमें देखा, सभी जगह सेना-मंत्रीका अभाव था। मैंने अन्तकी शब्दसूची उलटकर देखी, जहाँ सेना, सेनापति, सेना-मंत्री शब्द आये थे। उन पृष्ठोंके पढ़नेसे ज्ञात हुआ, २०२४ ई० हीमें प्राचीन संसारका यह महत्त्वपूर्ण पद उठा दिया गया। अब न तो सेना कहीं है, न सेनापति ही।

मैंने अभी इतना ही देख पाया था कि इतनेमें सभी लोग कामपरसे चले आये। आते ही सुमेधने मुझे चलनेके लिए कहा। मैं उठ-खड़ा हुआ। मकानसे बाहर जानेपर, केवल किवाळ लगाकर जब सड़को ही चलते देखा, तो मैंने पूछा—

“क्या यहाँ कोई नहीं रहेगा?”

“काम क्या है?”

“चीजोंकी रखवालीके लिए; और नहीं तो मकानमें क्यों नहीं ताला लगाकर चलते?”

“तालेको विजलीके कारखानोंमें अनजान आदमीद्वारा भूल-चूकसे पुर्जा छू जानेके डरसे लगाते हैं। यहाँ कितावोंके छूनेसे कौन मर जायगा? कोई जीव-जन्तु भीतर जाकर कोई चीज खराब न कर दे, इसलिए दर्वाजे तो लगा ही दिये हैं।”

जानवरका नाम आते ही स्मरण आ गया, कि यहाँ तो पहले बहुत बन्दर थे; पूछा—

“बच्छा, यह तो मालूम हुआ कि अब चोरोंकी सम्भावना नहीं है।

रखकर सुखानेसे तो फलोंकी हानि होगी न ? इसलिए स्टेशनपर जाते ही, उन्हें चारो ओर वफं लगी हुई गाळीमें रखकर मांगवाले स्थानोंपर भेज दिया भी गया होगा ?”

“तो आपके गांवमें केवल फल ही पैदा होते हैं ?”

“हां, केवल फल; उसमें भी सेबके वगीचे ही ज्यादा हैं। यही कारण है, कि हमारे ग्रामका नाम ही सेब-ग्राम पड गया है। हमारे यहांसे १५ मीलपर नारंगी-ग्राम है, जहां नारंगीके ही वगीचे हैं। आपने पीछे वागमतीके उस पार कोलोंका वन देखा होगा।”

“हां, देखा था।”

“वह कदली-ग्रामकी हदमें है। वहां प्रायः केले-ही-केले उत्पन्न होते हैं, हमारे ग्राममें थोडा नारंगीका भी वागीचा है। आपने जलपानमें जो केला खाया था, वह वहींका था।”

“मैंने सभी फलोंमें एक विशेष प्रकारका स्वाद और मिठास पाई। आकृति भी उनकी बली देखी, क्या इसमें भी कोई बात है ?”

“हां, अब वनस्पति-विज्ञान आपके समयसे बहुत उन्नत हो गया है। फलोंमें विचित्र रूप, रस, गन्ध, आकृति पैदा करना मनुष्यके हाथमें है।”

हमारा वार्तालाप जारी था, मोटरें सराटिके साथ आगे भागती जा रही थीं। दोनों ओर सड़कके किनारे सेबोंके वगीचे थे। हमारी सड़क यद्यपि कहीं-कहीं दस-तीस हाथ ऊंचे-नीचे चली जाती थी, किन्तु वह चढ़ाई-उतराई ऐसी थोड़ी-थोड़ी थी, कि मालूम नहीं पडती थी। दाहिनी ओर वागमती थी और बाईं ओर पर्वत। वागमती कहीं-कहीं ४०० गज

नीचे है, कहीं इससे कम; किन्तु वगीचा किनारे तक लगता चला गया है। भूमिको एक रस कर दिया गया है। चट्टानें, जो भूमिको ऊभळ-खाभळ बनाती रहीं, या तो ढाँक दी गई हैं या तोळकर गंगामें फेंक दी गई हैं। मुझे मनुष्यकी इस शक्तिको देख आश्चर्य और आनन्द, दोनों होता था।

विचार करते-करते मेरे दिलमें आया, सेव-नारंगीकी फसल सदा तो नहीं होती। दूसरे दिनोंमें ये लोग क्या काम करते होंगे? उत्तर पानेसे पहले ही आसपासके वागोंमें छोटे-छोटे फल लगे दिखाई पळे। मैंने पूछा— यह क्या किसी दूसरी जातिके सेव हैं, जो इतने छोटे हैं?

“जातिमें भेद तो अवश्य है, किन्तु कदमें नहीं। ये तो बढ़कर उनसे भी बळे और लाल होते हैं, इनकी फसल अभी दो मास में तैयार होगी। हमारे यहाँ तो फसल बराबर ही लगती और टूटती रहती है।”

अभी यह बात हो ही रही थी कि मोटरें रेलकी सळक पारकर गईं। मैंने पूछा—यह रेल कहाँ जाती है?

“यह चन्द्रागढ़ी होती हुई काठमांडो और वहाँसे और आगे बहुत जगह तक फैली हुई है।”

मैंने आश्चर्यसे पूछा, क्या रेल इन पहाळोंपर चली गई। मैंने तो उस समय चन्द्रागढ़ीपर बोझे ढोनेके लिए, ‘रोप-लाइन’का प्रबन्ध होते देखा था। उस समय उसके लिए फर्पिंगके विजली-घरसे विजलीके खम्भे गळ गये थे।

“थव तो फर्पिंगमें वैसा कोई विजलीका कारखाना नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, पहले नेपालमें चन्द्र शमशेर नामका एक राजा था, उसने अपने

देशको लाम पहुँचानेके लिए ही वहाँ एक विजलीका कारखाना बनवाया था, किन्तु, आज डेढ़ सौ वर्षोंसे भी ऊपर हुए, वह बन्द कर दिया गया।”

“क्या मालूम है, क्यों बन्द कर दिया गया?”

“वहाँ आसपासके पहाड़ी झरनोंके पानीको एक तालाबमें जमा कर उससे विजली तैयार की जाती थी, यद्यपि इससे कुछ विजली तय्यार होती थी, जो शायद उस समयके सचके लिए पर्याप्त भी समझी जाती हो, किन्तु झरनोंके पानीका इस प्रकार विनियोग करनेसे, फर्पिंगके आसपासके पर्वत सूखते चले गये। चन्द्रने अच्छे ही विचारसे इन दोनों कामोंको क्यों न किया हो—”

“दूसरा काम कौन-सा?”

“दूसरा काम पहाड़ों और आसपासके जंगलोंको काटकर खेत बनवा डालना।”

“उससे हानि क्या थी?”

“उससे भी पहाड़ धीरे-धीरे सूख चले—वृष्टि कम होने लगी। बाहिर पचास वर्षके भीतर-ही-भीतर पानीके अभावसे उन खेतोंको छोड़कर लोगोंको भाग जाना पड़ा।”

“तो क्या उस कारखानेको बन्द कर कुछ फायदा पहुँचाया गया?”

“हाँ, बहुत। अगर आप अब जाकर देखें, तो फर्पिंगके आसपासके पर्वत रम्य उद्यानोंसे हरे-भरे मिलेंगे। चारों तरफ सेव, नास्पाती, अंगूर और अनारके वाग लहलहाते पायेंगे। ये सब फल वहाँ होते भी हैं बहुत बड़े और मीठे। इस तरह वगीचोंका जंगल लग जानेसे पहलेसे अब कई गुना



ज्यादा लाभ हैं। पहाड़ फिर तर हो गये हैं; झरने भी बहुत हैं।”

“तब तो, सभी जगह भारी क्रान्ति हो गई! अच्छा, अब शायद आपका गाँव भी करीब है। वही मकान तो दिखाई दे रहे हैं?”

“हाँ, वही; किन्तु अभी तीन मील है—यही दस मिनटका रास्ता।”

“क्या आपने नेपालकी सैर की है?”

“हाँ, बहुत। मेरा वार्षिक विश्राम बहुधा वहाँ और तिव्वतकी सैर हीमें कटा है। मुझे तीस वर्ष यहाँ रहते हो गये। प्रति वर्ष दो मासका विश्राम मिलता है। मैंने १०-१२ छुट्टियाँ वहाँकी ही यात्रामें बिताई हैं। भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिसे भी मैंने वहाँके विषयमें बहुत विचार किया है।”

इस पुरुषकी इस प्रकारकी बातें सुनकर मुझे और भी आश्चर्य होता था। बीसवीं शताब्दीमें ऐसा पुरुष किसी अच्छे कालेजका प्रोफेसर होता। किन्तु आज यह सामान्य जनोंमें है। क्या विद्याकी कदर कम हो गई, या विद्वत्ताका मान ऊँचा हो गया? मैंने पूछा—आपके इस ज्ञानसे औरोंको भी कुछ लाभ पहुँचता है?

“क्यों नहीं? हमें डचूटी तो ३ घंटे ही वजानी होती है। बाकी समयमें करते ही क्या है? मैंने कई बार अपने परिशीलित विषयपर यहाँ व्याख्यान दिया है, छुट्टियोंके समय दूसरे प्रान्तों या देशोंमें जानेपर भी वहाँ व्याख्यान-द्वारा लोगोंको लाभ पहुँचाता हूँ। मासिक पत्रोंमें भी चर्चा करता हूँ।”

“अच्छा, यह तो हुआ; भला यह तो बताओ, नेपाल क्या-क्या चीजें पैदा करता है?”

“खनिज पदार्थोंमें यहाँ ताँबा, लोहा और सीसा बहुत ही अधिक

होता है। अपने यहां काम चलानेके लिए कोयला भी निकल आता था, किन्तु अब विजलीका उपयोग अधिक होनेसे कोयलेकी उतनी बळी आवश्यकता नहीं रही। विहार और युक्त-प्रान्त तक यहांसे विजली जाती है और यह विजली तैयार होती है कई नदियोंके जल-प्रपातसे। यह रेल भी उसी विजलीसे चलाई जाती है। फिर उसीसे हमारी मोटरें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल मेवोंकी खान है। करोड़ों भेळ और बहुत-से कम्बल-के कारखाने भी यहां हैं। आधेसे अधिक भारतवर्षको गर्म कपळे नेपाल ही देता है।”

“तो ज्ञात होता है, यहां ज़ावल-गेहूँ नहीं होता।”

“नहीं; ये सब चीजें और प्रान्तोंसे आती हैं। आज-कल जो वस्तु जहाँ अच्छी हो सकती है, वही वहाँ पैदा की जाती है। प्रायः एक गाँव एक ही चीज पैदा करता भी है। वहाँ जरूरतकी दूसरी-दूसरी चीजें और जगहोंसे पहुँचती हैं।”

अब हम गाँवके पहले घरके पास पहुँच रहे थे। मैंने देखा, वही पुरुष, जिसके प्रतिविम्बको मैंने टेलीफोनमें देखा था, मेरे स्वागतके लिए कुछ और आदमियोंके साथ खड़ा है। स्वागत हुआ।

मैंने देखा कि सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और स्वच्छ हैं। सड़कके किनारे सुन्दर मकानोंकी कतारें हैं। सभी मकान एक-से तथा बिना कोठेके हैं। मुझे यह एक विलकुल नई दुनियाँ मालूम होने लगी। अभी मैं इन बातोंपर कुछ विचार ही रहा था, कि देवमित्रने मुझसे कहा—इस रास्ते।

मैं पीछे हो लिया। मेरे साथ वे सभी स्त्री-पुरुष भी शामिल थे। अब

साढ़े पाँच बज चुके थे। जिस मकानकी ओर हम जा रहे थे, मैंने देखा, उसपर मोटे अक्षरोंमें लिखा हुआ है—‘अतिथि-विश्राम’। ग्रामणी महाशयने पहुँचते ही वहाँपर उपस्थित एक भद्र पुरुषसे पूछा—साथी देव! कौन-सा कमरा आजके मेहमानके विश्रामके लिए ठीक हुआ है? देवने कहा, यही पाँचवाँ कमरा तो। अभी कमरेके द्वारपर ही हम पहुँचे थे कि वगलवाले कमरेसे एक दूसरे सज्जन निकल आये, जिनकी अवस्था सत्तर और अस्सीके बीचकी होगी। उन्होंने भी स्वागत किया। अब हम लोग कमरेमें दाखिल हुए। ग्रामणी महाशयने कहा—

“इस समय हमलोग आपको अधिक कष्ट न देंगे। आप मार्गके थके-माँदे हैं। थोड़ी देर विश्राम करें। आठ बजे भोजन हो चुकनेपर आपके दर्शनके लिए उत्सुक सभी ग्रामवासी संस्थागारमें एकत्रित होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं आज-कल यहाँका ग्रामणी (ग्राम-सभाका सभापति) हूँ। ये दूसरे बीस भद्र पुरुष और महिलायें ग्राम-सभाके सभ्य हैं। वह दूसरे अतिथि विश्रामित्र, नालंदा विद्यालयमें इतिहासके अध्यापक हैं। कुछ ऐतिहासिक खोजके सम्बन्धमें तिब्बत गये थे, जहाँसे आज ही विमानसे यहाँ आये हैं। पीछे बात करनेपर आपको इनसे और बातोंकी जानकारी होगी। यह साथी देव हैं।”

थोड़ी ही देरमें और लोग मुझसे विदा माँगकर चले गये। देवने झट विजलीकी रोशनी की, क्योंकि अब सूर्यास्त हो गया था। पहाड़ी सर्दी भीनी-भीनी लग रही थी। यद्यपि मार्गमें सुमेघने मुझे एक ऊनी लववादा दे दिया था, पर वह पर्याप्त नहीं था। देवने तापकको खोल दिया, और

थोड़ी देरमें कमरा गर्म हो गया। मैं एक कुर्सीपर बैठ और विश्वामित्रसे भी कहा कि यदि कोई अन्य आवश्यक कार्य न हो तो बैठ जाइये। वह दूसरी कुर्सीपर बैठ गये।

वागमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ देखा था, उसके रचयिताके नामसे यद्यपि मुझे निश्चित-सा हो गया था, कि यह वही विश्वामित्र हैं; तो भी मैंने पूछा—क्या आप 'सार्वभौम राष्ट्रके संगठनका इतिहास'के लेखक अध्यापक विश्वामित्र हैं?

उन्होंने नम्रता-पूर्वक कहा—“हाँ, वही।”

“तो मुझे आपकी मुलाकातसे बहुत प्रसन्नता हुई।”

“उससे कहीं अधिक मेरा भाग्योदय हुआ। हमारा नालन्दा-परिवार आपको सदा याद रखता है। आपने जो बीज वहाँ बोया था, उसे देखकर आज आप प्रसन्न होंगे। आपके और ग्रामणी महाशयके वार्तालापके बाद ही आपके शुभागमनकी मुझे खबर लग गई थी। वहाँ सारा विद्यालय-परिवार बड़ा उत्सुक है। हमारे आचार्य वशिष्ठने अभी मुझसे कहा है कि, सबसे प्रथम आपके दर्शनोंका अधिकारी नालन्दा-परिवार है।”

“आपने क्या टेलीफोन-द्वारा यह वृत्तान्त जाना है?”

“हाँ। अभी तो पुस्तकालयमें टेलीफोनपर बात ही कर रहा था। आपके इस जगह आनेका समाचार भी उन्हें मैंने दे दिया। उन्होंने कहा है, यदि कष्ट न हो, तो इसी समय वार्तालाप और दर्शन देनेके लिए कहें।”

“नहीं, कुछ नहीं। मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है। कौन पैदल आया है! चलो, चलें। यह मेरे लिए कम आनन्दका विषय नहीं है।” यह कह, हम दोनों उठकर पुस्तकालयमें गये। यह सौ-डेढ़ सौ आदमियोंके बैठने लायक

एक खुला हाल है। दो आलमारियाँ किताबोंकी हैं। विजलीकी रोशनी जल रही है। बीचमें बड़े-बड़े मेज और बैठनेके लिए बहुत-सी कुर्सियाँ पड़ी हैं। विश्वामित्रने जाकर टेलीफोनमें घंटी दी। मैं वहाँ ही कुर्सीपर बैठ गया। वह कुछ क्षणके बाद मुझेसे बोले—“हमारे, आचार्य आपकी प्रतीक्षामें खड़े हैं।”

मैंने जाकर देखा, शीशेमें एक वृद्ध पुरुषका प्रतिविम्ब है। प्रतिविम्बने होठ हिलाकर सिर झुकाया और टेलीफोनसे आवाज आई—‘स्वागतम्’। मैंने भी सिर झुकाकर उत्तर दिया।

विश्वामित्रने कहा, यही हमारे आचार्य हैं। आप सत्तर वर्षसे विद्यालयकी सेवा कर रहे हैं, जिसमें बीस वर्षसे आप आचार्यके पदपर वर्तमान हैं।

मैंने कहा—वशिष्ठजी, आपके मिलनेसे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। वास्तवमें आप सब धन्य हैं, जो इस प्रकार अनवरत विद्या-दान द्वारा जगत्का उपकार कर रहे हैं।

“यह हमारा कर्तव्य है।...हाँ, नालंदा-परिवारकी ओरसे मेरी प्रार्थना है, कि अन्यत्र कहींका निमंत्रण स्वीकार करनेसे पूर्व, पहले अपने विद्यालयमें पधारें।”

“यह मेरी स्वयं ही इच्छा है, इसके विषयमें और कुछ कहना न होगा। मैं यहाँसे सीधे वहाँ ही आऊँगा।”

“अध्यापक विश्वामित्र आपकी सेवामें हैं ही, यह भी खुशीकी बात है। वह अब विद्यालयको लौट रहे हैं; उन्हींके साथ पवारें। आपका शरीर अत्यन्त कृश है। इसलिए हमारा यह आग्रह नहीं, कि आप तुरत आवें।”

“में अवश्य यहाँसे वहाँ ही आता हूँ। सभी बालक-बालिकाओं, और अध्यापक-अध्यापिका-परिवारसे मेरी मंगल-कामना कहें।”

“यहाँ शब्दप्रसारकसे सभी सुन रहे हैं। अच्छा, तो अब आप विश्राम करें।”

इस वार्तालापने एक अद्भुत आनन्द मेरे हृदयमें पैदा कर दिया। मैं विश्वामित्रका हाथ पकळे वहाँसे अपने कमरेमें आया। मैंने कहा—

“विश्वामित्र ! मेरे समयके और अबके संसारमें बड़ा फर्क है। तुम तो इतिहासके अध्यापक ही हो—इन बातोंको जानते हो। किन्तु यह मुझे अधिक आश्चर्यमय इसलिए मालूम होता है, कि मैंने दो सौ वर्षोंके पूर्वका संसार इन्हीं आँखोंसे देखा था। मुझे वे बातें कलकी-सी दीख पळती हैं। उस समय समानताकी धीमी-सी आवाज उठी थी; किन्तु यह रूप-रेखा स्वप्नमें भी कहीं मालूम होती थी ? मैं आज ही तुम्हारे संसारमें आया हूँ। अभी तो मैंने इसका शतांश भी देख-समझ न पाया। किन्तु, इतनेहीमें आश्चर्य-समुद्रमें डूब रहा हूँ। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे संसारने अनेक अंशोंमें आशातीत उन्नति की है।”

## विद्यालयके विषयमें

“अच्छा, यह तो बताओ, नालन्दा विद्यालयकी इस समय क्या स्थिति है?”

“अब नालन्दा बहुत विशाल विद्यालय है। पुराने बळगाँवसे राजगृह तक विद्यालयके ही भवन और छात्रालय चले गये हैं। सारे भूमंडलमें दर्शन और इतिहासके लिए ऐसा दूसरा विद्यालय नहीं। वहाँ अध्ययनके लिए यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया सभी जगहोंसे विद्यार्थी आते हैं। प्राचीन वस्तुओंका संसारमें सबसे बड़ा संग्रहालय यहींपर है। प्राचीन लिपियों और भाषाओंके पढ़ने-पढ़ानेका यहाँ सर्वोत्तम प्रबन्ध है। ‘सार्वभौम राष्ट्र परिषद्’की आज्ञासे, सिर्फ भारतकी इतिहास-विषयक सामग्री ही नहीं, बल्कि रोम, यवन, मिश्र, असुर कल्दान, मेक्सिको आदिके

विषयकी कितनी ही सामग्रियाँ यहाँ संगृहीत हुई हैं। नालन्दाको अभिमान है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय इतिहासके प्रस्तुत करनेमें बड़ी सहायता की है। दर्शनका अध्ययन नालन्दामें उत्तम रीतिसे होता है। नव्य, प्राचीन, पोरस्त्य, पाश्चात्य सभी दर्शनोंके अध्ययनका प्रबंध है। हमारे आचार्य दर्शनके महान् विद्वान् हैं। संस्कृत, पाली, जन्ध, प्राकृत, यवनानी, लातीनी (रोमक) इत्यादि बहुत भाषाओंके यहाँ अध्यापक हैं। भाषाओंके अध्ययनमें अब तत्तमुच बड़ी क्रान्ति हो गई है। प्रत्येक भाषाके अध्ययनके उपयुक्त वातावरण बना हुआ है। विशेष-विशेष भाषाओंके जिज्ञागुओंको यहाँ रम कर एक प्रकारसे दूसरी भाषासे उनका नाता ही तुल्य दिया जाता है। उनका सभी समालाप उसी भाषामें होता है। वस्तुओंका नाम आदि अध्यापकगण आकृति-प्रदर्शन पूर्वक उसी भाषामें बतलाते हैं। इस प्रकार तीन वर्षमें छात्रोंका उस भाषापर अधिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्रका अध्ययन भी भारतमें सबसे अच्छा यहाँ होता है। राज-गृहके वैभार-गिरिपर यहाँकी महान् वेध-शाला है। ज्योतिष-साहित्यकी वृद्धिमें भी हमारे विद्यालयने भाग लिया है। भारतके 'नालन्दा' और 'तक्षशिला'के विद्यालय भूमंडलके प्रमुख विद्यापीठोंमेंसे हैं। 'तक्षशिला'ने आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणि आदि शास्त्रोंमें बड़ी कीर्ति अर्जित की है।"

"पठन-काल विद्यालयमें क्या है? नियम तथा परीक्षा-क्रम कैसा है?"

"१७ वर्षका अध्ययन तो सबहींके लिए अनिवार्य है। यह नियम भारतके ही नहीं, सारे भूमंडलके विद्यालयोंके लिए एक-सा है। तीसरे वर्ष बालक माता-पितासे ले लिया जाता है। उसके बाद ६ वर्ष तक शिष्य-वृक्षा,



से १४ तक बाल-कक्षा और १४ से २० तक युवक-कक्षामें शिक्षा पाता है। साधारणतया यहीं पढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके बाद लड़के अपनी प्रवृत्ति और योग्यताके अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवसायोंमें लग जाते हैं। किन्तु, जिनकी प्रवृत्ति विद्या-व्यवसायमें देखी जाती है, उन्हें अपने विषयमें योग्यता बढ़ानेका और भी अवसर दिया जाता है। यह समय प्रायः ४ से ६ वर्ष तकका है। किन्तु इसमें अवधि नहीं है। इसके बाद भी अध्ययन करते उन्हें आगे बढ़नेका पूर्ण अवसर प्राप्त है।”

इस प्रकार अनेक विषयोंपर हमारा वार्तालाप चलता रहा। मैंने संक्षेपसे ही कुछ अंश यहाँ दिया है। अभी बात चल ही रही थी कि आठ बजनेका समय हो गया। इसी बीचमें अतिथिशालाकी श्री पद्मावतीने आकर अभिवादन कर लिया था, किन्तु हमारी गम्भीर बात छिड़ी देख वे और कुछ बोलना उचित न समझ, चली गई थीं। अब फिर उन्होंने आकर सूचित किया कि आठ बजनेवाले हैं। भोजनका गोला दगनेवाला है। चलनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए।

## बीसवीं सदी

इसपर मैंने विश्वामित्रसे पूछा—“यह गोला क्यों दगता है?”

“वात यह है, कि हर आदमीके पास घड़ी रखनेकी फजूल-तर्की राष्ट्रने उचित नहीं समझी। इसीलिए समयकी सूचना इस प्रकार दी जाती है। दिन-रातमें जलपान और भोजनके लिए चार समय हैं—सवेरे सात बजे प्रातराश, ग्यारह बजे दोपहरको मध्याह्न भोजन, तीन-साढ़े तीन बजे जलपान और फिर रात्रिमें आठ बजे व्यालू। इन चारों समयोंपर तथा प्रातः जागनेके समय तोपका गोला छोड़ा जाता है।”

“किन्तु, मैंने बागमें सुमेधजीके पास तो घड़ी देखी थी?”

“हाँ, बाहर कामपर जानेवालोंमें एक मुख्य पुरुषके पास घड़ी रहती

है, सबके पास नहीं। अच्छा, तो अब हमें चलना है। यह लीजिये, गोला भी—अररर-धम्।”

हमलोग जल्दी ही वहाँसे निकल पड़े। देव, पद्मावती और हम दोनों चार आदमी थे। सड़कपर चारों ओर चाँदनीकी भाँति विजलीकी रोशनी फैल रही थी। सड़क प्रशस्त और स्वच्छ थी। उसके दोनों ओर एक समान पक्के मकानोंकी पंक्तियाँ थीं। हर एक मकानके सम्मुख सड़क तक फूलोंके वृक्ष थे, जो अपनी शोभा और सुगन्धसे चलनेवालोंके चित्तको प्रफुल्लित कर रहे थे। प्रत्येक घरके सामने वरांडा था, जो सौ-सौ घरोंके लिए एक ही था। विश्वामित्रजीने बताया कि प्रत्येक पुरुषके रहनेके लिए तीन-तीन कमरे हैं, जिनमेंसे सामनेवाला बैठकका कमरा उतना ही बड़ा है, जितना कि वह कमरा, जिसमेंसे अभी हम आये हैं। इनमें दस कुर्सियाँ आसानीसे बिछाई जा सकती हैं। पीछेकी ओर चौलाईमें इससे डचोढ़े, किन्तु लम्बाईमें आधे, दो कमरे हैं—एक सोनेके लिए, और दूसरा स्नानके लिए। यही तीनों कमरे मिलकर एक घर कहलाता है। ऐसेही सौ घरोंकी एक श्रेणी है। हर श्रेणीके लिए एक एक निर्वाचित प्रधान होते हैं, जो स्वयं भी उसी श्रेणीके एक घरमें रहते हैं। मुझे पीछे मालूम हुआ, कि सुमेध ऐसी ही एक श्रेणीके प्रधान हैं। प्रत्येक श्रेणी का एक विस्तृत हाल होता है। जिसमें कुछ पुस्तकें, वाद्य तथा और मनोरंजनकी वस्तुयें रहती हैं। यहाँ ही टेलीफोन भी लगा रहता है। इस सेव-ग्राममें ऐसी पचीस श्रेणियाँ हैं।

नर-नारी सड़कपर आपसमें वार्तालाप करते चल रहे थे। सबकी बातों-का लक्ष्य मेरी ही ओर दिखाई पड़ता था। मैंने हजारों नर-नारियोंको

मार्गमें देखा, किन्तु उनमें एक भी वच्चा नहीं दिखलाई पड़ा। मैंने समझ लिया, तीन वर्षके बाद तो वच्चे ले ही लिये जाते हैं। सर्दिके कारण छोटे वच्चोंको शायद इस समय साथ न ले जाते हों। अब मैंने पासके वृहद् भवन पर मोटे अक्षरोंमें 'भोजनागार' देखा। अपूर्व विद्युच्छटा चारों ओर छिटक रही थी। मकानमें प्रविष्ट होनेके लिए बहुत-से द्वार थे। प्रविष्ट होनेसे पहले लोगोंने बरांडेमें गर्म जलके नलोंसे हाथ धो, लटकते रूमालोंसे हाथ पोछे। फिर भीतर प्रविष्ट हुए। भोजन रखनेकी मेज-कुर्सियाँ वैसी ही थीं, जैसी कि वागमें देखी थीं। हाल बहुत ही लम्बा-चौड़ा था। उसमें पाँच सहस्र आदमी आरामसे बैठकर भोजन कर सकते थे। स्वच्छता और भीतरी सुन्दरता अपूर्व थी। रसोई-घर, ज्ञात होता है, उससे पृथक पीछेकी ओर था। मेरे वहाँ पहुँचनेके साथ ही ग्रामणी तथा अन्य पूर्व-परिचित भद्र पुरुष और महिलायें आ गई थीं। मुझे एक कुर्सीपर बैठाया गया। मेरी दाहिनी ओर देवमित्र और बाईं ओर विश्वामित्र थे। भोजन पहलेसे परोसकर तैयार रक्खा हुआ था। भोजनके पदार्थोंमें रोटी, मांस और दो तरकारियाँ थीं। एक कटोरीमें हलवा भी था। साथ ही एक तस्तरीमें थोड़ा फल और एक गिलास जलका रखा था। अभी आकर दो मिनट हमें बैठना पड़ा, तब घंटा टनन्-टनन् हुआ, जिसपर देवमित्रने कहा, अब भोजन आरम्भ होना चाहिए। यह इतनी प्रतीक्षा इसीलिए की जाती है कि भोजन करने वाले सभी आ जायें। मुझे वह भोजन-मंडली बड़ी विचित्र मालूम होती थी। बीच-बीचमें पुरुषोंके साथ स्त्रियाँ भी बैठी निस्संकोच भोजन कर रही थीं। मैंने अपने दिलमें कहा, बीसवीं शताब्दीके भारतीय ऐसा स्वप्न

सकते थे। यद्यपि मैंने अभी पूछा नहीं था और देखनेमें शिवा, शुद्धतामें सभी स्त्री-पुरुष उच्च वर्णहीसे जात होते थे, तो भी मैं होता था, कि क्या ये सब ब्राह्मण-श्रमिय होंगे। कुछ तो मैंने पहले था—अर्जुनके माता-पिता लंका-नियासी थे। यद्यपि वेप-भूषा सुवका था, किन्तु बहुत से स्त्री-पुरुष यूरोपवालोंकी भाँति गोरे मालूम। इन सब बातोंसे मेरे दिलमें निश्चित-सा हो गया था, कि 'एक-इं सर्वम्'।

रोजन करके सब लोगोंने उठ-उठकर अपने-अपने द्वारसे निकलकर लोंपर हाव धोया। मुंह पोंछनेके बाद, अब सब लोग वहाँसे चले। ग्रामणीने कहा ही था कि संस्थानगरमें जमावळा होगा। अतः वहाँ ही स्थान किया गया। हाँ, एक बात यह भी देनी कि यद्यपि हाथ-मुंह धोया किन्तु जूतेकी किसीने खोलकर पैर नहीं धोया और न दूसरे तोंको भी किसीने उतारा।

अब हम लोग वहाँसे संस्थानगरको चले; यह भव्य भवन थोड़ी दूरपर था।

चलनेका संकेत किया। मेरे पहुँचते ही मुझे देखकर सारी आँखें मेरी ओर हो गई। 'संस्थागार'की अभ्यान्तरिक शोभा अत्यन्त मनोहारिणी थी। रंगमंचपर तरह-तरहके रंगीन चित्र विचित्र और प्रखर विद्युत्प्रदीपोंका प्रकाश था। भवनकी छत बहुत ऊँची थी। वल्ले-वल्ले झरोखे लगे हुए थे। विद्युल्लताके प्रकाशसे रातका दिन हो रहा था। यद्यपि सदी पल रही थी, झरोखे और द्वार चारों ओर खुले थे, किन्तु अन्तर्हित तापकयंत्रोंकी गर्मी भीतर किसी प्रकारकी सदी मालूम नहीं होती थी। दीवारों और छतोंपर भी बहुत अच्छे रंग-विरंगे बेल-बूटे बने हुए थे। दीवारोंपर महापुरुषोंके वल्ले-वल्ले चित्र लटक रहे थे, जिनमें विचारक कवि सभी प्रकारके पुरुष थे। कहीं बुद्ध थे, तो कहीं रूसो, कहीं मार्क्स तो कहीं एंजल् ; सुक्रात, प्लेटो, लेनिन, न्यूटन, डेकार्ट आदि अनेक जगन्मान्य पुरुषोंके चित्र उस विस्तृत भवनमें शोभा दे रहे थे। बीच-बीचमें बहुत-से सुभाषित टंगे थे।

मैंने जन-समाजकी ओर देखा, वहाँ न कोई क्रश था, न मलिन, स्त्री पुरुष सब गद्दीदार बेंचोंके ऊपर बैठे थे। उस विस्तृत भवनमें पाँच सहस्र आदमी बैठे होंगे, तो भी पीछेकी ओरकी बेंचोंपर और भी दो-एक सहस्र आदमी आसानीसे बैठ सकते थे। इस भवनका उपयोग राजनैतिक, साहित्यिक सभी कामोंके लिए होता है। ग्राम-सभाकी बैठकें यहाँ ही होती हैं। मनोरंजनार्थ, बाहरी या अपने यहाँके प्रवीण लोग संगीत और नाट्याभिनय से यहीं सबको प्रसन्न करते हैं। इतिहास, विज्ञान आदिपर बाहरी या ग्रामके व्याख्याताओंके व्याख्यान भी यहीं होते हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा सामाजिक महोत्सव यहाँपर मनाये जाते हैं।

लोगोंके शान्त बैठते ही, देवमित्रने उठकर आजकी सभाका सभापति होनेके लिए श्री इस्माइलका नाम प्रस्तावित किया। प्रस्ताव करते समय उन्होंने कहा—यद्यपि हम सबोंके लिए साथी इस्माइल हृदयसे परिचित हैं, किन्तु आजके अपने श्रद्धेय अतिथिकी जानकारीके लिए इतना कह देना आवश्यक मालूम होता है, कि साथी इस्माइल अनेक वार हमारे ग्रामके ग्रामणी, तथा नेपाल प्रान्तके सभापति रह चुके हैं। यद्यपि आप अभी साठ वर्षके ही हैं, किन्तु गुणोंसे हम सब उन्हें वृद्ध समझते हैं। एक बात और है, जो आजके हमारे अतिथिके सम्बन्धमें उनको समीपतर बनाती है। यही नहीं कि वह नालन्दा विद्यालयके पुत्र हैं, वरिष्क हमारे अतिथिको महा-पुरुष शफीका नाम स्मरण होगा; आप उसी वैशाली-वासी महापुरुषके पौत्र हैं। आपकी गणना संसारके बड़े-बड़े राजनीति-विशारदोंमें है। हमारे प्रान्त, विशेषकर हमारे सेव-ग्रामको इनपर अभिमान है, जहाँपर कि शिक्षा-समाप्तिके वादसे ही आप रहते हैं।

लोगोंने करतल-ध्वनि-पूर्वक प्रस्तावको स्वीकृत किया और श्री इस्माइल उठे। वास्तवमें देखने मात्रसे इनके चेहरेपर महापुरुषका तेज झलकता था। यथार्थमें उनको ६० वर्षका युवक कहना चाहिये। इनको ही क्या, ६०-७० वर्षका अवका आदमी बीसवीं शताब्दीके ३५-४० वर्षके हूट-पुट आदमी-सा मालूम होता है। जैसे और बातोंमें आजके संसारने उन्नति की है वैसे ही इस बात में भी। श्री इस्माइलने कहा—

“साथियो ! अनेक ज्ञान-वयोवृद्धोंके सम्मुख मुझे इस सेवाके लिए स्वीकार करनेका कारण आपकी निष्कारण दयाके सिवा और कुछ नहीं

खेत ही लोगोंके पाखाना जानेकी जगहें थीं। कुत्ते जगह-जगह फिरते रहते थे। किसी प्रकार मुश्किल से, जिस रास्ते से गाळी जा सके, वही उस समयकी सळक थी। आज-कल वे बैल-गाळियाँ और एक्के कहाँ हैं? प्राचीन वस्तुओंके संग्रहालयोंमें उन्हें आप लोगोंने देखा होगा। वही उस समयकी सवारी थी। धनी लोग अच्छे-अच्छे घोळोंकी गाळियाँ रखते थे। हाथी भी सवारीके लिए रखे जाते थे। अब तो आपके यहाँ, मोटर ही सवारीके लिए, मोटर ही लादनेके लिए, गाँवके सभी काम मोटर हीसे होते हैं। उस समय यह सभी काम आदमी या बैलगाळीसे होते थे। मैंने भी कई बार रात-रात भर बैलगाळीपर चढ़कर ८-१० कोसकी यात्रा पूरी की थी।

“हाँ, मैं उस ग्रामका वर्णन कर रहा था। बीचमें गाँवकी उसी पतली सळककी दोनों बगल दूकानें होती थीं, जिनमें हलवाई बत्तासे और लड्डू बेचते थे; बजाज कपळे; पंसारी रंग मसाले; कोई साग-तरकारी, कोई सूई-धागा, कोई नून-तेल। हफ्तेमें एक या दो दिन बळे हाट लगते थे, जबकि आस-पासके गाँवोंसे आवश्यक चीजोंको खरीदनेके लिए ज्यादा आदमी आया करते थे। कोई पैसोंसे चीजें खरीदता था। कोई अनाजसे बदलता था। दूकानदार इस खरीद-बेचसे कुछ प्राप्त कर अपना निर्वाह करते थे। लोगोंकी अवस्थाकी क्या पूछते हो? आप लोगोंको तो उस समय का बळे-से-बळा धनिक भी देखता, तो देवता कहता। पाँच-छः वर्षके लळेके चार अंगुल कपळेकी लँगोटी लगाये फिरा करते थे। कुछ धनिकोंको छोड़कर, साधारणतया सभी एक अँगोळा गौर धोतीहीसे काम चलाते थे।



सो भी मैले-कुचैले, और बहुतोंके तो फटे चीयळे। स्त्रियाँ भी एक-एक मैली साळियोंसे गुजारा करती थीं, जिन्हें चीयळे-चीयळे हो जानेपर भी पेंद लगाकर पहनती ही जाती थीं। मैने बुन्देलखण्डमें ऐसी अनेक स्त्रियाँ देखी थीं, जिनका लहंगा एकदम जर्जर हो गया था और धिरावेकी चुनावटके कारण ही आर-पार दिखाई नहीं पळता था; अन्यथा शायद ही कहीं एक अंगुल साबित कपळा हो। वे क्या करें, गरीबी ही ऐसी थी।

“फिर अत्याचार कैसा? स्त्रियोंका जूता पहनना उस समय बहुत-सी जातियोंमें एक तो पाप समझा जाता था; दूसरे, पहननेके लिए नसीब भी कहाँसे होता? जाळेके दिनोंमें फटे चीयळोंको सीकर, अगर किसीने एक गुदळी बना पाई, तो समझ जाओ, उसने बळा ऐश्वर्य पा लिया। पुवाल विछाकर लळकेवाले सब उसी गुदळीके नीचे दबककर सो जाते थे। सोनेके लिए चारपाइयाँ सबको नसीब न थीं। कपळोंकी तंगीसे बहुतोंको जाळा भी पुवाल ओढ़कर काटना पळता था। लकळियाँ कहाँ नसीब थीं कि आग तापते? यदि घास-फूस इकट्ठा कर पाया, तो बळी प्रसन्नतासे उसके किनारे बैठकर परिवारने थोळी देर धुँआँ लिया।

“मुझे खूब याद है। एक समय मैं जाळेके दिनोंमें बहुत सवेरे ही रास्तेसे जा रहा था। उसी रास्तेपर फटी-पुरानी, मैली-कुचैली साळी पहने एक बुढ़िया सूपमें कुछ लिये आ रही थी। उसके पीछे-पीछे दो लळके चार-पाँच वर्षके थे। उनमेंसे बळेके पास एक लँगोटी थी, छोटेके बदनपर एक सूत भी नहीं था। माघ-पूसका जाळा पळ रहा था। सर्दिके मारे दोनों बच्चे ठिठुरे जा रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्टियोंको खूब कळी बाँधकर कमर झुका ली थी।

ऐसे लठ्ठके एक-दो नहीं, लाखों उस समय भारतमें थे।

“सळानाला, खराब अन्न भी उस समय करोळों आदमियोंको पेट भर न मिलता था। कितने ही लोग पेटके लिए गाँव-गाँव भीख माँगते फिरते थे। मैंने अपनी आँखोंसे अनेक स्थानोंपर ऐसे लठ्ठकों और आदमियोंको देखा था; जोकि, खानेवाले वच्चे टुकळेको जब फेंक देते थे, तो उसे कुत्तोंके मुँहसे छीनकर खा जाते थे। यह बात नहीं कि लोग परिश्रमसे घबराते थे। दस-बीस चाहे वैसे भी हों; किन्तु अधिकतर ऐसे थे, जो रातके चार बजेसे फिर रातके आठ-आठ दस-दस बजे तक भूखे प्यासे खेतों, दूकानों, कारखानोंपर काम करते थे, फिर भी उनके लिए पेट-भर अन्न और तनके लिए अत्यावश्यक मोटे-झोटे वस्त्र तक मुयस्सर न होते थे। बीमार पळ जानेपर उनकी और आफत थी। एक तरफ वीमारीकी मार, दूसरी ओर औषध और वैद्यका अभाव, और तिसपर खानेका कहीं ठिकाना न था। १९१८ के दिसम्बरका समय था, जबकि सिर्फ इन्फ्लुयेन्जाकी एक वीमारीमें, और सो भी ४-५ सप्ताहके अन्दर, ६० लाख आदमी भारतवर्षमें मर गये। मरनेवाले अधिकतर गरीब थे। जिनके पास न सर्दीसे बचनेके लिए कपळा था, न पथ्यके लिए अन्न; न दवाके लिए दाम था, न रहनेके लिए स्वच्छ मकान। वह पशु-जीवन नहीं, नरकका जीवन था। आदमी कुत्ते-विल्लीकी मौत मरते थे। मुझे आज-कलकी भाषा-परिभाषाका बोध नहीं, अतः उसी पुरानी भाषाहीमें बोल रहा हूँ। सम्भव है, आप लोगोंको कहीं-कहीं समझनेमें कठिनाई हो।

“महिलाओ और सज्जनो! जिस समय देशके अधिकांश मनुष्य

इस प्रकारका जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय बहुत धोळे आदमी थे, जो इनसे कुछ अच्छी दशा में थे; जिन्हें उस समयकी परिभाषामें खाता-पीता कहते थे। हाँ, अँगुलियोंपर गिनने लायक ऐसे आदमियोंका भी समूह था, जिन्हें सब प्रकारके भोग सुलभ थे। ये लोग घनिक थे और नवाब, राजा, चाबू, तालुकदार, बल्ले-बल्ले जमींदार, सेठ-साहूकार, महाजन, कार-खानेदार, इत्यादि नामोंसे पुकारे जाते थे। यद्यपि एकाध उनमेंसे कोई निकल आते थे, जिन्हें उपरोक्त दुखियोंका कष्ट प्रभावित करता था। परन्तु ऐसीकी संख्या नहींके बराबर थी। धनी लोग बल्ले-बल्ले महलोंमें रहते थे, जो दो-महले चौ-महले पाँच-महले होते थे। उन्हें केवल अपने शरीरकी सेवाके लिए बहुत-से स्त्री-पुरुष परिचारकोंकी आवश्यकता थी। कितने ही राजाओं के पास तो दो-दो तीन-तीन सौ लीळियाँ थीं। दो-दो, चार-चार सौ स्त्रियोंसे उनका रनिवास भरा रहता था। इसपर भी ये लोग धर्म-धुरन्वर कहे जाते थे। किसीकी इज्जत विगाळ देना, किसीका स्वत्व अपहरण कर लेना, इनके इशारोंका काम था। जब ये चलते थे, तो इनके आगे-पीछे सैकड़ों आदमी इनकी शरीर-रक्षाके लिए चलते थे। कितने तो पालकियोंपर चलते थे, जिन्हें आदमी ही ढोते थे! गाली तो सदैव इनके मुखारविन्दोंकी गोना थी। जरा-जरा बातमें अपने आदमियोंका वह उसीसे सत्कार किया करते थे। आप सो रहे हैं—दूसरे उनके पैर दबा रहे हैं, पंखे झल रहे हैं। ये लोग अपने हाथसे कोई भी काम करना अप्रतिष्ठा-जनक समझते थे। एक आदमीके लिए कितनी ही मोटरें, घोळे-नाळियाँ, टमटम, सवारीके घोड़े, हाथी रहते थे। उनमेंसे बहुत तो दिन-रात शराब, भंग, अफीम

आदि नशोंमेंसे किसी-न-किसीमें मस्त रहते थे। स्वयं परिश्रम कुछ भी न करते हुए, दूसरेकी मिहनतकी कमाईमें आग लगाना ये लोग खूब जानते थे। दूसरेके जखमपर 'सी' करनेवाले तो कम, पर नमक लगानेवाले अधिक थे। सिर्फ अपने एक शरीरके खाने कपड़ेपर ये लोग जितना खर्च करते थे, उतनेसे हजार आदमी सानन्द जीवन व्यतीत कर सकते थे। इनको अकेले रहनेके लिए, सैकड़ों आदमियोंके रहने लायक मकान होते थे। सबसे असह्य बात तो यह थी कि दुराचार, और अत्याचार की साकार मूर्ति होनेपर भी, ये लोग धर्मके स्वरूप बनकर संसारमें ध्रुव-पद ग्रहण करना चाहते थे; जिसमें कुछने यदि सफलता पाई हो, तो भी सन्देह नहीं। वह अपने सामने मनुष्यताका मूल्य नहीं समझते थे। इनका जादू न्यायाधीश, धर्माध्यक्ष पंडित-मौलवी-पादरी, सभीपर था। सभी इनकी 'हाँ-में-हाँ' मिलते तथा इनके लाभकी बातके लिए अपने-अपने धर्म-ग्रन्थोंसे प्रमाण देनेको तत्पर थे। पंडित कहते थे, "धनी-गरीब, राजा-प्रजा अपने-अपने पूर्व जन्मकी कमाईसे होते हैं। यह सनातनसे चला आया है। यही भगवान्की इच्छा है। वेद-पुराण सब इसके साक्षी हैं।" मौलवी कहते थे, "खुदाने दुनियाकी भलाईहीके लिए अमीर-गरीब, बादशाह-रैयत बनाया, नहीं तो दुनियाका काम कैसे चलता? सारे रसूल, पैगम्बर इस बातके कायल और अपनी किस्मतपर सन्तुष्ट थे। बादशाह और मालिकपर खुदाका साया है।" ऐसे ही सभी एक ही सुरमें अलापते थे। असल बात तो यह थी कि लाखों परिश्रमी दीनोंका भाग छीनकर धनी लोग अकेले ही सब न खाकर कुछ टुकड़े इन लोगोंको भी फेंक देते थे, जिनपर ये लोग हाँ-में-हाँ मिलाना अपना

कर्त्तव्य समझते थे। धन्यवाद है कि अब वह जादू उतर गया।

“अब तो आप सबको यह सब बातें सुन-सुनकर आश्चर्य होता हीगा— क्या वे लाखों आदमी सचमुच भेंछ थे, जिन्हें एक धनी अपनी अँगुलीके इशारेपर नचाता था ! यदि वे लोग जरा भी अपनी बुद्धिसे काम लेते तो क्यों गुलामीमें पड़े रहते ? सचमुच आज यह तर्क बहुत सरल है, किन्तु उस समय यह सोचना असम्भव मालूम होता था—शेख-चिल्लीका महल कहलाता था। आजकी अवस्थाके शतांशका भी विचार रखनेवाले उस समय पागल, खन्ती, अधर्मी, मनुष्यताके शत्रु समझे जाते थे। शिक्षा लाभ करके प्रत्येक आदमी उसी धनिक श्रेणीका बनना चाहता था, चाहे हजारमें कोई एक ही हो पाता हो। इस प्रकार शिक्षित और धनिक तो इस तत्वकी ओर ध्यान न देते थे और बेचारे गरीब इसे असम्भव समझते थे। वह अपने ही कमजोर ख्यालोंसे इस प्रकार जकड़े हुए थे कि सचमुच उन्हें ऐसा होना असम्भव मालूम पड़ता था। आप कहेंगे—कैसी मूर्खता है। अपनी मिहनतकी कमाई दूसरेको खाने न देकर हमी खायेंगे, इतनी बात समझना कौन कठिन था ? किन्तु, उनके लिए तो यही लोहेका चना था। उधर धनी लोगोंकी ओरसे कहा जाता था—ऐसा होनेसे धर्म नहीं रहेगा; जाति-भर्यादा चली जायगी; कलयुग आ जायगा। अभाग्य-वश श्रमजीवी लोग भी अनेक ऊँच-नीच श्रेणियोंमें विभक्त थे। बिहार का ब्राह्मण श्रमजीवी कहता था—गरीब हैं तो क्या, खानेको नहीं मिलता तो क्या, किन्तु चमार, अहीर, राजपूत ‘पा-लगी’ तो करते हैं—‘महाराज’ तो बोलते हैं ? भला चमार, अहीर हमारे बराबर हो जायेंगे ?

सचमुच बड़ा अघर्म होगा ! भूखा मरना अच्छा; अपनी कमाई दूसरा खाय, वह भी अच्छा; किन्तु चमारको अपने ही ऐसा मनुष्य समझना ठीक नहीं। ऐसे ही, अपनेसे ऊँची जातिके पठान। सैन्यदके अभिमान को, चाहे गाँवका मोमिन जुलाहा दिलसे न अच्छा समझता हो, किन्तु, अपनेसे नीचे गिने जानेवाले भंगीको अपने बराबर होने देना उसे भी अभीष्ट न था।

“अब अन्त में, आपलोगोंके वर्तमान ध्येयके विषयमें कुछ कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबसे प्रथम तो यह कि यह न समझ बैठो कि हम अब अन्तिम स्थानपर आ गये; अब हमारी सभी बातें पूर्ण हैं, अब हममें कोई त्रुटि नहीं। जिस समय यह विचार आ जायेगा, उसी समयसे आप पीछेकी ओर खिसकने लगेंगे—आपका ह्रास होने लगेगा। मनुष्य कहाँ तक उन्नति कर सकेगा, यह असीम है। जिस प्रकार कुछ दिनों-पूर्व ज्योतिषमें अति दूर एक सितारा आविष्कृत हुआ था, आगे उससे भी दूर दूसरा मिला है; उसी प्रकार, लाखों वर्षों तक दूर-से-दूर सितारोंका पता दूरबीनों और फोटो-चित्रोंसे लगता जायगा; किन्तु उससे नक्षत्र-मण्डलकी इयत्ता नहीं हो सकती। वैसे ही हमारी उन्नति, हमारे संशोधनका क्षेत्र अनन्त दूर तक विस्तृत है। दूसरी बात ज्ञानकी वृद्धि है। इसमें सन्देह नहीं; उस समय शिक्षामें जो उच्चता की अवधि थी, अब वहींसे उसका आरम्भ है। आपका समाज बहुत सुशिक्षित, और सम्य है, किन्तु आप उन्नति करके आजके अन्तकी कल का आरम्भ बना सकते हैं। आपके उत्तराधिकारियोंको भी ऐसा

अधिकार है। यह बड़े आनन्दकी बात है कि आज विद्या विद्याके लिए पढ़ी जा सकती है। आज विद्याका वह पारितोषिक नहीं, मूल्य नहीं जो दो शताब्दियों-पूर्व रखा जाता था। आजकी सभी समृद्धिका मूल वही ज्ञान—वही विद्या—है, जिसकी कमीके कारण पहिले लोग मनुष्यता से गिर गये थे। इसकी वृद्धिमें उपेक्षा और इसके प्रचारमें असावधानी होना सभी खराबियोंकी जड़ है। उन्नतिकी आकांक्षा और ज्ञानका अधिक-से-अधिक प्रसार यही दो मूल बातें हैं जिनसे आपने अब तक उन्नति की है और आगे भी इसके लिए असीम क्षेत्र पछा हुआ है। मैं आपके प्रेममय भावोंसे अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ। और वस।”

मेरे व्याख्यानकी समाप्तिपर साथी इस्माइलने एक वार उठकर फिर मुझे धन्यवाद दे, सभा विसर्जित की। मैं विश्वामित्र, इस्माइल, देवमित्र, इस्माइलकी पत्नी प्रियम्बदा, तथा दूसरे सज्जनोंके साथ विश्राम-स्थानपर आया। रात्रिके दस वज चुके थे, मैंने उनकी सूचना और प्रार्थनाके उत्तरमें संक्षेप में कहा कि कल परसों और चौथे दिन मैं यहाँ ही रहकर आस-पासका तथा आपके ग्रामका अध्ययन करूँगा। इसके बाद अध्यापक विश्वामित्रके साथ यहाँसे सीधे नालन्दा जाऊँगा। वहाँसे भारतके प्रधान-प्रधान स्थानोंकी स्थितिका अध्ययन करके फिर कहीं बाहर कदम रखूँगा। आप सार्वभौम राष्ट्रपति श्रीदत्तको भी इसकी सूचना दे दें। देवमित्रने कहा आपके साथ, साथी इस्माइल और साथिन प्रियम्बदा भी बराबर रहेंगी, और यहाँकी बातोंके समझनेमें सहायता पहुँचायेंगी। मैंने इसके लिए प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद सब

लोग अपने-अपने स्थानको चले गये । विदा होते समय इस्माइलजीने भी सलाम नहीं किया । मुझे पहलेहीसे इन लोगोंके मजहबसे दूर हो जानेकी झलक दिखलाई पळती थी, और पूछनेकी इच्छा होती थी । अब वह इच्छा और बलवती हो गई । विश्वामित्र पास ही बैठे थे । मैंने पूछा—

“विश्वामित्र ! यद्यपि मैंने लोगोंके नाम हिंदू मुसलमान जैसे सुने; किन्तु, उनकी पोशाक, बात-चीत, सलाम-दुआमें कोई फरक नहीं मिलता, क्या सभी मजहब मिल गये ?”

“मिल नहीं गये; प्रगति-विरोधी उन मजहबोंको हमने निकाल फेंका । नामोंमें भी बहुत परिवर्तन है, तो भी लोग जैसी इच्छा होती है वैसा नाम रख लेते हैं ।

“और भाषा ? इस समय सारे भारतकी मातृभाषा ‘भारती’ है । जिसे आपके समयकी हिन्दी-उर्दूकी प्रतिनिधि कहना चाहिये । यही एक भाषा, सर्वत्र बोली जाती है, लिपि भी नागरी है । अब भाषाकी कठिनाइयाँ नहीं हैं । भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें साहित्यिक-धार्मिक जिज्ञासासे और भी भाषायें पढ़ी जाती हैं; किन्तु है ‘भारती’ भाषा ही सर्वे-सर्वा । चाहे किसी भी प्रान्तका भारतीय क्यों न हो, उसकी भाषा भारती होगी । अब पुराने पक्षपात तो रहे नहीं, इसलिये सबके भाषा, भाव, वेप, एक हो गये हैं ।”

मैंने अब अधिक देर तक विलम्ब करना उचित नहीं समझा । समय की व्यवस्थाओसे मुझे अनुमान हो गया था कि शयन आदिका भी



अवश्य कोई नियम होगा। विश्वाभिन्न भी अपने कमरेमें सोने चले गये। मैं भी अपने पिछले सोनेवाले कमरेमें पलंगपर जा लेटा। अभी मेरी आँखों में नींद नहीं थी। सामने दीवारसे लगा हुआ विजलीका शूंडाकार प्रदीप अपना प्रकाश फैला रहा था। तापक मकान को गर्म किये हुए था और वहाँ सर्दिका नाम न था। आज षष्ठी तिथि मालूम होती थी। चन्द्रमा अभी वृक्षोंके शिखरसे मेरी कोठरीमें झाँकने लगा है। सामनेका पर्वत कुछ दूर है। चाँदनी चारो ओर छिटकी हुई है। रात्रि स्तब्ध है। मेरे विस्तरेपर आनेके साथ ही रेलका घर-घराना सुनाई दिया था। इस सत्राटेकी अवस्था में, एक-एक करके आजके प्रत्येक दृश्यकी फिर एक-एक बार आवृत्ति होने लगी। साथ ही मनने सब पर एक-एक स्वतन्त्र टिप्पणी भी करनी आरम्भ कर दी। स्त्री-जाति की स्वतन्त्रताका दृश्य सम्मुख आते ही कहा—तब तो एक-एक हाथके घूँघट और बुर्कोकी बोरा-बंदी अब काहेको दिखाई देने लगी? अब दो बीस, चार बीस करके गिननेवाली स्त्रियाँ कहाँ मिलेंगी? अब, लळकोंके पूछनेपर, चन्द्रमाके धब्बे, तारा, आकाश-गंगाकी विचित्र कथा सुनानेवाली मातायें कहाँ मिलेंगी? धनियोंका ख्याल आते ही सोचा—तो अब राजावहादुर, महाराजावहादुर, रायबहादुर, खानवहादुर, नवाबवहादुर होनेके लिए कोई न मरता होगा। अब इन पदोंके दाता-प्रतिगृहीता सदाके लिए भूमण्डलसे विदा हो गये। अबके गाँवका दृश्य सम्मुख आते ही पुराने गाँवका चित्र दिलसे भागने लगा। शायद इसीलिए कि आसानीसे उसका ज्ञान न हो जाय। मैंने भी मनसे कह

दिया—तो इसकी पवाह क्या, तुम न दिखलाओगे, तो जादू-घरमें देखने से तो रोक न सकोगे ?

एक-एक करके सब टिप्पणियाँ समाप्त हुईं । इसी बीच ग्यारह बजे का घण्टा भी बज गया था । मैंने कहा, अब वारह भी थोड़ी देरमें बजेगा; कलके कर्तव्यका थोड़ा-सा विचार करके सो जाना अच्छा है । सोचा—सेव-ग्रामकी बागोंकी बातें तो देख सुन लीं । घरों और श्रेणियोंकी भी बात मालूम हो गई । संस्थागार-भोजनागार भी देख ही लिया । सुमेधने कहा था कि तीन वर्षके होते ही बालक शिक्षार्थ विद्यालयोंमें भेज दिये जाते हैं । तो यह देखना है कि तीन वर्ष तकके बालक कैसे रहते हैं, चिकित्सालय भी देखना है, गाँवकी सफाई आदिकी बातें जाननी हैं; यही मुख्य बातें हैं । इस्माइल और विश्वामित्र दोनों ही विस्तृत अनुभववाले पुरुष हैं । इनके साथ सबका देखना और भी अच्छा होगा । इस प्रकार विचार कर मैंने आज निद्रा-देवीकी गोद में विश्राम लिया ।

## ग्राम और ग्रामीण

पाँच बजनेसे पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। मैं उठकर उस समय खिळकीसे आकाशकी ओर देख रहा था। चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। चन्द्रमा मेरे सम्मुख नहीं था, किन्तु चाँदनी नज़र आती थी। चाँदनीमें खिळकीके बाहर लदे हुए फूल खूब दिखलाई पड़ते थे। गुलाबकी भीनी-भीनी सुगन्ध दवे-पाँच मेरे कमरेमें आ रही थी। अभी दस-पाँच मिनट ही बीते होंगे, कि गोलकी आवाज हुई। पाँच बज गये। थोड़ी ही देरमें देव भी आ गये। उन्होंने पहले झाँककर देखा; जब मुझे बैठा पाया, तो भीतर आये। पूछा—क्या स्नान अभी होगा; यदि अभी, तो क्या यहीं घरके नलपर स्नान-पात्रमें, या स्नानागार के गर्म-कुंड में ?

मैंने कहा, मैं यहीं स्नान कर लूंगा। कल तो मुझे शौचकी आकांक्षा ही नहीं हुई थी। अब देवने बतलाया कि पीछेकी ओर वह पाखाना है। प्रत्येक घरका अलग-अलग पाखाना है जिसमें नल लगा हुआ है। पाखाना हो लेने पर नल घुमा देनेसे पानीकी बळी तेज धारा आती है, और मलको नलोंके द्वारा बहा ले जाती है। पीछे यह भी मालूम हुआ कि पाखानोंपर भंगी नहीं रखे हुए हैं। भंगी तो अब कोई जाति ही नहीं है। हाँ, नल विगळ जानेपर कोई भी आदमी, जो नलोंके सुधारनेपर नियुक्त है, उसे ठीक कर देता है। सारे गाँवका मैला बळे-बळे नलों-द्वारा दो-तीन कोसकी दूरीपर जाता है। वहाँपर बळे-बळे गड्ढे, कलों-द्वारा खोदे हुए तैयार रहते हैं। मिट्टी नीचे भी खुदी, और बाकी आस-पास लगी रहती है। इधर मैला गिरता जाता है, और उधर मशीन मिट्टी उसपर फेंकती जाती है। मशीनें विजलीके जोरसे चलती हैं और चलानेवाले भी दूर रहते हैं। यद्यपि मिट्टीसे ढाँके रहने तथा खुली हवासे मैले का सम्पर्क न होनेसे, वहाँ दुर्गन्ध नहीं मालूम होती, तो भी संचालक लोग मशीनोंके विगळ जानेपर वहाँ जाते हैं। एक गड्ढेके भर जानेपर पहलेसे दूसरा गड्ढा तैयार हो गया रहता है। इसी तरह एक भरा गड्ढा चार वर्ष तक बन्द छोळ दिया जाता है। पीछे खोद कर, उसमें और कुछ रासायनिक पदार्थ मिला कर, वह वृक्षोंमें खादकी भाँति उपयुक्त होता है।

मैं अपने विस्तरेसे झट उठ खळा हुआ, और पहले शौच गया। पाखाना स्वच्छ था—वह पाखाने-सा मालूम ही नहीं होता था। अभी

मैं मकानकी पिछली ओर नहीं आया था। देखा, थोड़ी-थोड़ी दूरपर, छोटे-छोटे एक ही तरहके पाखाने बने हुए हैं। ये घरसे दस-दस हाथ हट कर हैं। बीचमें वैसे ही फूल, बेल-बूटे लगे हुए हैं जैसे कि सामनेकी ओर। 'अतिथि-विश्राम'की सम्पूर्ण श्रेणीके आगे-पीछे, एक पार्क-सी लगी यह फुलवारी बड़ी सुन्दर मालूम होती है। पीछे मैंने देखा, सभी श्रेणियोंका प्रवन्ध ऐसा ही है। अपने घरोंके आमने-सामने फुलवारियों को ठीक रखना, अपने-अपने घरको स्वच्छ-शुद्ध रखना घरवालोंका अपना काम है। मैं शौचसे आकर स्नानके कमरेमें गया। जाकर देखा, ठंडे और गर्म जलके दो नल लगे हुए हैं। सफेद दूधकी भाँति चीनी-मिट्टी का, पत्थर-सा मंजबूत, दो हाथ लम्बा, डेढ़ हाथ चौड़ा, दो हाथ गहरा स्नान-पात्र क्या एक कुण्ड ही जमीन में मढ़ा हुआ है! नलकी बगलमें दीवारसे लगे एक स्थान पर सावुनकी टिकिया तथा उससे ऊपर खूंटियोंपर एक सफेद तौलिया और एक धुली हुई लुंगी रखी है। गर्म पानीका नल खुला हुआ है, और हौज लवालव भरा हुआ है, तो भी पानी ऊपरसे नहीं निकलता है। मैंने हाथ-भरवाँ घोया। विचार किया कि अब दतुवन करना चाहिये। दतुवन तो दीख नहीं पड़ी; हाँ, सावुनकी टिकियाके पासमें एक चाँदीकी डिब्बीपर एक दाँतका ब्रुश देखा। खोलनेपर डिब्बीके अन्दर सुगन्धित दाँतकी लेई मिली। मैंने विचारा, मालूम होता है, अब दतुवनका रेवाज ही नहीं रहा। पीछे विश्वामित्रने बताया, एक ही सेवग्राम के लिए पाँच हजार दतुवन चाहिये। अब फजूलके पेठ तो यहाँ हैं नहीं।

अच्छे पेठोंसे दतुवन तोड़ी जाने लगे, तो नित्य ही एक-दो पेठ सिर्फ एक गांवके लिये खराब हो जायें। फिर भूमंडलकी जन-संख्या तो डेढ़ अरब है। इसीलिये ब्रुश और मंजनका प्रबन्ध किया गया है। अनार, बादाम आदि के छिलकोंको क्या हम लोग बेकार जाने देते हैं? सबसे मंजन या कोई-न-कोई और कामकी वस्तु बनाई जाती है।

मैंने ब्रुश और लेईसे दाँत-मुँह साफ किया और कुण्डमें प्रविष्ट होकर, साबुनसे मल-मलकर खूब नहाया। इस प्रकार नहा-वो, कपड़े बदलनेपर, देवने आकर एक कल घुमाई और स्नान-पात्रका सब जल निकल गया। उसी कमरेमें एक ओर खिळकीके पास एक ऊँचे स्थान पर स्वच्छ आसन बिछा हुआ था। मैंने वहाँ जाकर कुछ व्यायाम किया। इसके बाद बैठनेके कमरेमें आया। अब सूर्यकी रक्तिमा प्राची दिशामें फैली हुई थी। सूर्य-विम्बकी एक पतली सुनहली रेखा ही अभी दिखाई पड़ती थी। जगह-जगह पक्षियोंका मधुर कलरव अब भी जारी था। हेवाके झोंके सामनेके फूलोंको हिला रहे थे। सळक और सामनेके धरोंकी शोभा और स्वच्छता विखरी हुई थी। मेरा भी चित्त अत्यन्त शान्त और प्रसन्न था।

इसी समय विश्वामित्र भी आ गये। उनके साथ पद्मावती भी थीं। मेरे कहनेपर वे दोनों भी पास ही रखी कुर्सियोंपर बैठ गये। यद्यपि चेहरा छोळ, सभी का सारा शरीर ढँका हुआ था; तो भी गर्म मकान में सर्दी कहाँ थी? सहज्रों वर्णनीय वाते हैं। सबका वर्णन कैसे हो सकता है? पुरुषों और स्त्रियोंकी पोशाक, देखनेमें यही नहीं कि बळी सुन्दर

थी, बल्कि उसमें कोई वस्तु व्यर्थ, अनुपयोगी और हानिकारक भी न थी। मैंने कामके समय तो पुरुष-स्त्रियों, दोनोंको, ऊनी जाँघिया और नीचे लम्बा मोजा और सारा पैर ढँके हुए एक प्रकारका जूता देखा। मैंने आश्चर्य से देखा कि चमळेकी कोई चीज न थी। जूते भी थे एक तरहकी मोटी जीनके, ( जो देखनेमें चमळेसी मालूम होती थी ), जिनके तल्ले दृढ़ रबरके थे। कुर्तोंके नीचे एक गर्म कोट और सबके सरपर एक ही प्रकार की टोपियाँ थीं। किन्तु मालूम होता है, यह पोशाक कामके वक्त की थी, क्योंकि रातको भोजनके समय तथा संस्थागारमें वह पोशाक न थी। सबके सरपर एक प्रकारकी गोल टोपी, पैरों तक लम्बे गर्म कोट और नीचे पतलून थी।

स्त्रियों के पहरावे जूता, मोजा, साळी, और कुर्ती हैं। अधिक सर्दी पळनेपर वह एक लम्बा गर्म कोट भी पहनती हैं, तथा सरपर टोपी भी लगाती हैं। स्त्री या पुरुष कोई किसी प्रकारका भी जेवर नहीं पहनता। कलाई या पाकेट की घळियोंका भी चलन नहीं। निर्बल दृष्टिवाले तथा जिन्हें उसकी आवश्यकता है, चश्मा भी लगाते हैं। हर एक व्यक्तिके पास एक-एक फॉन्टेन-पेन और एक-एक रोजनामचा भी देखा। कलका वृत्तान्त लिखनेकी जब मेरी इच्छा हुई, तो मुझे भी मेरी इच्छानुसार एक बळा रोजनामचा, और एक फॉन्टेन-पेन मिली। इसकी निव प्रायः विल्कुल ही सोनेकी थी, शायद कळाईके लेहाजसे कुछ इरिडियम नोकपर लगाई गई हो। क्लिप भी सोनेकी। बात यह है, अब लोगों के लिये सोनेका और उपयोग ही क्या हो सकता है? पाँड और मुहर

तो चलते ही नहीं। न लोग आभूषण पहनते हैं, न गाळ कर रखनेहीका काम है। अतः इन्हीं सब चीजोंमें उसका उपयोग होता है।

विश्वामित्र और पद्मावतीके आनेके थोड़ी ही देर बाद इस्माइल भी अपनी साथिन प्रियम्बदाके साथ आ पहुँचे और कहा, अब सात बजने ही वाला है, आज जलपानके बाद 'शिशु-उद्यान' देखना अच्छा होगा। प्रियम्बदा वहाँकी सहायक अधिष्ठात्री हैं। अभी यह, मुख्याधिष्ठात्री साथिन फातिमाको इस बातकी सूचना भी दे आई है। मैंने भी कहा, बहुत अच्छा, इस समय 'शिशु-उद्यान' देखा जाय, और दोपहर के बाद चिकित्सालय। इसी बीच गोलेकी आवाज आई और हमलोग भोजनागारकी ओर चले।

सड़कके दोनों ओर आस-पासके मकानोंकी शोभा और ही थी। सब मकानोंकी बनावटमें दृढ़ता, स्वच्छता और सुन्दरताका पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है। पूर्ववत् ही हमलोग हाथ-मुँह धो कुर्सियोंपर बैठे, जलपानके लिए एक-एक जलेबी, दो-दो अंडे और एक-एक गुलाब-जामन एक तश्तरीमें रखे थे। दूसरी तश्तरीमें ताजे तथा सूखे कुछ फलोंके कतरे और एक गिलास ताफ जलके अतिरिक्त एक गिलास खाली भी रखा था, जिसमें पीछेसे गर्म दूध दिया गया। पूर्ववत् घंटीपर खाना आरम्भ हुआ। अब हम लोग—विश्वामित्र, इस्माइल, प्रियम्बदा और मैं—वहाँसे शिशु-उद्यानकी ओर चले। मालूम हुआ कि शिशु-उद्यान गाँवके अन्त में है। ✓

रास्तेमें पूछनेपर विश्वामित्रजीने कहा, पान हीका नहीं, अब



बहुत-सी चीजोंका रवाज उठ गया है। तम्बाकू, खाना-पीना, बीछी-सिगरेट, शराब-भांजा, भंग-अफीम किसीका अब पता नहीं। बात यह है कि जो नशीली चीजें हैं, वे तो हैं ही वर्जनीय। उनका रोकना तो उनको हानि-कारिताके कारण ही आवश्यक था; किन्तु, जो अनावश्यक है उन्हें भी राष्ट्रने बन्द कर दिया। कोई चीज एक आदमीके उपयोग के लिये, बिना विशेष स्वास्थ्यादि हेतुके तो दी नहीं जा सकती। सबके लिये नियम एक होना चाहिए। जितने कपड़े साल भर में एक आदमी को मिलते हैं, सारे राष्ट्रमें उतने ही प्रत्येकको मिलते हैं। यदि पान का प्रबन्ध किया जाय, तो सारे राष्ट्रके लिये प्रबन्ध करना होगा। भारतमें २५ करोड़ आदमी रहते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि इतने आदमियोंके पान, कसैली, चूना, कत्था, तैयार करनेमें लाखों आदमियोंको लगा रहना पड़ेगा। इतनी फजूलखर्ची करना आज राष्ट्र कैसे गवारा कर सकता है? जो लाखों बीघे खेत पान, तम्बाकू आदि के पैदा करनेमें फँसे रहते, आज उनमें अन्य उपयोगी पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं। अनावश्यक व्ययके कारण ही चाय, काफी, भी संसार से उठ गई। अब उनके स्थानपर शुद्ध, गर्म, मोठा दूध सबको जालेमें तीन वक्त और गर्मीमें दो वक्त मिलता है।

मैंने कहा, तुम्हारी आजकी राष्ट्रीय प्रगतिने तो सारे ही दुर्घ्न-सनोंके लिए एक ही पर्याप्त कुल्हाड़ी ढूँढ निकाली है। फिर मैंने पूछा— अब हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाईके पृथक् भोज आदिका झगळा तो रहा नहीं, किन्तु मांस खानेवालोंका कैसे निपटारा होता होगा।

इसपर विश्वामित्रने कहा—अब असली मांस मिलता ही नहीं। नकली मांस खानेमें किसीको संकोच नहीं।”

“और अंडा ?”

“वह तो परम सात्विक फलाहार है।”

“अब क्या यूरोप-अमेरिकामें सूअर आदि नहीं पाली जाती होंगी ?”

“नहीं, विल्कुल नहीं। बस्तीमें यहीं न देखिये, कहीं कोई जानवर है ? पहले जैसे मैंने बन्दरोके वारेमें बताया था कि बंदरियोंको पकळ कर पिंजळोंमें बन्द कर दिया गया, जिसके कारण कुछ वर्षों में उनकी जाति ही उच्छिन्न हो गई। इसे जाति-उन्मूलन-प्रक्रिया कहते हैं। सूअर, कुत्ता, विल्ली सबका जाति-उन्मूलन हो गया है। केवल प्राणि-विद्याके विद्यार्थियोंके उपयोगके लिए कहीं कहीं उन्हें पालकर रखा गया है।”

“चमळेका तुम लोगोंने तो व्यवहार छोळ दिया, इसलिए मांस छोड़नेसे उधर तकलीफ नहीं उठानी पळी होगी; किन्तु इतना जो दूधका खर्च है, उसके लिए गाएँ तो बहुत पालनी पळती होंगी ? खैर, मारनेसे नहीं, तो अपनी मौतसे तो उनमेंसे हाजारों मरती होंगी ? उनका चमळा भी क्या मशीनोंके ‘वैल्ट’ के लिए काममें नहीं लाया जाता ?”

“मशीनोंकी वैल्ट भी चमळेसे कहीं मजबूत कानविसकी बनती है। चमळेको अलग करना, उसको सिसाना इत्यादि बळा गन्दा काम था। जिससे वायु बहुत दूषित हो जाती थी। अतः वह काम ही एक दम

छोड़ दिया गया। पशुके मरनेपर उसे खोद कर गाळ दिया जाता है। पीछे खाद हो जाने पर उसे व्यवहारमें लाया जाता है। ऐसे बेकार तो, जहाँ तक हो सकता है, कोई भी चीज जाने नहीं पाती। हड्डियोंका हम लोग पूरा उपयोग लेते हैं, गोबर आदि भी खादके लिए उपयुक्त होते हैं।”

हम लोग बातें करते जा रहे थे। रास्तेमें मिलनेवाले सभी नर-नारी मेरी ओर देखते चले जाते थे। ग्राम पहाळके नीचे और नदी के किनारे होनेसे लम्बाईमें अधिक है। चौड़ाईमें तो पांच सळकें ही हैं। सळकें अच्छी चीळी हैं, जिनके दोनों ओर घने वृक्ष लगे हुए हैं। प्रत्येक सळकके दोनों ओर गृह-श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीका पिछला भाग अगली श्रेणीके पिछले भागसे मिला है, अर्थात् दोनोंके पाखाने एक ही में जुळे हैं। इस प्रकार चौलाई में छः श्रेणियाँ हैं। ग्रामकी लम्बाई पूर्व-पश्चिम है। एक श्रेणीकी समाप्ति पर उत्तर-दक्खिन जानेवाली एक-एक सळक है। यदि कोई आदमी ग्रामणी-कार्यालयसे चले, तो एक चौराहेपर अतिथि-विश्रामकी श्रेणी मिलेगी। इसके बाद साधारण श्रेणियाँ हैं। तीन चौराहे पार कर चौथेपर 'संस्थागार' पड़ेगा, जो दो श्रेणियों के बराबर जगह घेरता है। ग्राम-पुस्तकालय इसीमें लगा हुआ एक बड़ा हाल है। यहाँसे आवश्यकतानुसार पुस्तकें श्रेणी-पुस्तकालयोंमें भी आती-जाती रहती हैं। 'संस्थागार' और भोजनागारमें एक ही सळक का अन्तर है। गाँवके नये और बड़े-बड़े सिलाई आदिके काम तो दर्जी-ग्रामों आदिसे वन कर आते हैं, किन्तु फिर भी कोई दीचमें मरम्मत

या जल्दीके कामके लिए ग्रामणी-कार्यालयके सामने सीने, रंगने, बिजली के शीशोंके रखने-बदलने आदिका काम होता है। उसकी उत्तर ओर उससे लगा ही हुआ घोबीखाना है, जहाँ मशीनोंके द्वारा कपड़ों की धुलाई, कलप आदि होती है। कपड़ों के सुखानेके लिए यहीं बड़े-बड़े गर्म हाल हैं। उससे एक सड़क लाँघ कर भोजनकी वस्तुओंका गोदाम है। उसीसे लगी मोटरोंके ठहरनेकी जगह, तथा अन्य वस्तुओं का गोदाम है। अन्तमें सामान मरम्मतके कामके लिए फँक्टरी है, जहाँ लोहार-बढ़ईका भी कुछ काम होता है। इन सभी जगहोंपर मरम्मतका वही काम होता है, जिसकी जल्दी रहती है। नहीं तो, वे चीजें उन-उन ग्रामोंको भेज दी जाती हैं, जहाँ केवल उन्हींका काम होता है। इस प्रकार मालूम हो सकता है, ग्रामके सभी कार्यालय पश्चिम ओर, उत्तर-दक्खिनकी सड़कपर पड़ते हैं। संस्थागार, भोजनागार बीच में, और शिशु-उद्यान तथा चिकित्सालय ग्रामसे बाहर पूर्व तरफ हैं। लम्बाईकी सड़कें अधिक चौड़ी हैं तथा उनपर सायादार वृक्ष लगे हुए हैं।

इच्छा हुई, पहले शिशु-उद्यान देखूँ, पर भोजनका समय हो गया था, इसलिए भोजनागारकी ओर मुळा। जब भोजनागार वीस गज रह गया, तभी ग्यारहका गोला दगा। सब लोग पुनः पूर्ववत् हाथ मुँह धो भोजनके लिए बैठ गये। इस वक्तका भोजन वही था, जिसे पहिले समय में लोग कच्चा भोजन कहा करते थे। रोटी, दाल, भात, मांस, साग, कढ़ी, पकौड़ी, सभी चीजें परोसी गई थीं। मेरी दाहिनी ओर

विश्वामित्र और बाईं ओर इस्माइल बैठे हुए थे। हम लोग जरा पहिले गये थे, इसलिए दो एक मिनट अभी देर थी। मैंने कहा, इतनेमें पाकशाला ही देख आये। भोजनागारके दक्षिण तरफ पाकशाला थी। जाकर देखा; सभी चीजोंके बनानेके लिए बड़े-बड़े बर्तन हैं, जिन्हें उतारने-चढ़ानेका काम मशीनों ही से लिया जाता है। आटा गूंधना, रोटी बनाना भी मशीनों ही द्वारा होता है। आगका काम बिजली देती है। इतनी बड़ी पाकशाला, जिसमें पांच हजार आदमियोंका भोजन बनता है, किन्तु कहीं फालिख नहीं, धूआं नहीं। हर-एक वस्तुके उालने और उतारनेका भी समय है। आंचका भी माप है। अतः किसी वस्तुमें गलबड़ी होनेकी गुंजाइश नहीं। यद्यपि सभी वस्तुयें स्वच्छ, शुद्ध ही आती हैं; तब भी भोजनके गुण-अवगुणके विशेषज्ञ जब तक किसी वस्तुके लिए अनुमति नहीं दे देते, तब तक वह नहीं बन सकती। यह पहलेही बतला चुके हैं कि असली मांस अब नहीं मिलता; किन्तु कई ऐसे पदार्थ रसायनिक योगसे तैयार किये गये हैं, जिनमें स्वाद भिन्न-भिन्न मांसोंका आता है, और गुण भी वही। पाकशालामें पुरुष और स्त्री दोनों ही भाँतिके पाचक हैं। परोसकर थालियों-कटोरियोंको लकड़ीके तख्तोंपर सजाया जाता है, जिनके पूरा हो जानेपर भोजनागारमें बिजलीहीसे धुमाया जाता है। उसपरसे दो-तीन आदमी उतार-उतारकर मेजोंपर रखते जाते हैं। भोजन समाप्त होनेपर फिर उसी भाँति उन्हीं तख्तोंपर थालियाँ और दूसरे बर्तन रखकर, धोनेके कमरेमें पहुँचाये जाते हैं, जहाँ गर्म जल और शोधक पदार्थ-द्वारा मशीनहीसे उनको माँजा

जाता है। वचा हुआ जूठा भोजन मोटरपर लादकर बाहर एक जगह गाड़ दिया जाता है, जिसकी खाद बनती है। किन्तु बहुधा लोग उतना ही लेते हैं, जिसमें अधिक जूठा न छूटने पाये।

घंटी बजनेसे पूर्वही, हमलोग अपने आसनपर बैठ गये थे। पीछे प्रेम-पूर्वक खूब भोजन हुआ। मुंह-हाथ धोकर जब हमलोग चिकित्सालयकी ओर चले, तो हमारे साथ देवमित्र भी थे। अब हम लोग चिकित्सालयमें पहुँचे। साधिन मनोरमा तथा उनके अन्य सहायकोंने द्वारहीपर हमारा स्वागत किया। एक सहायक चिकित्सकको छोड़कर चिकित्सालयके सभी कार्य-कर्त्ता महिलायें ही थीं। सहायक चिकित्सक कोई दूसरे नहीं, मनोरमाके पति श्री रहीमवल्स थे। दोनों ही दम्पतिने तक्षशिलामें चिकित्साका पूरा अध्ययन किया था। जन्म आप लोगोंका काश्मीरका है। मैंने समझा था, पाँच हजार की जब आवादी है, तो रोगी भी उसीके अनुसार होंगे, किन्तु यहाँ बिल्कुल ५० रोगी दिखाई पड़े। मालूम हुआ कि अधिक-से-अधिक एक बार सौ तक बीमारोंकी संख्या पहुँची थी। कोढ़, बवासीर, उपदंश, राजयक्ष्मा, मृगी, दमा आदि रोगोंका जब संसारसे ही नाम उठ गया, तो यहाँ कहाँसे मिलें? मामूली ज्वर, सिर-दर्द, अजीर्ण, कोई चोट-फाट, यही साधारण-तया रोग होते हैं। मनोरमाने कहा—अब चिकित्साशास्त्रकी बहुत-सी पढ़ाई सिर्फ पढ़नेहीके लिए होती है; औपघ-चिकित्साका तो यह हाल है ही, शल्य-चिकित्साकी और भी कम आवश्यकता पड़ती है; आजसे दो शताब्दियों-पूर्वके चिकित्सकोंको ही इसका बहुत प्रयोग करनेका अवसर मिलता था; तरह-तरहकी नई बीमारियाँ, राजरोग, युद्ध आदि कितने कारण थे,

जो सदा उनके पास रोगियोंकी भीड़ लगाये रखते थे। मैं इसके लिए अफ-सोस नहीं करती; यदि कभी ऐसा दिन आवे, कि कोई रोग ही न हो तो कैसा अच्छा होगा ! कालान्तरमें चिकित्साशास्त्रका प्रचार भी लुप्त हो जाय, तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं; किन्तु हाँ, यदि एक ओर रोगियोंकी चिकित्साका काम कम पड़ा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य-विषयक अनेक नियमोंके प्रचारके लिए पूरा समय मिला है, भोजन-आच्छादन, रहन-सहन, सभीमें स्वास्थ्यदायक और पोषक गुणोंका अधिक समावेश होनेका प्रयत्न करना अब चिकित्सकका बड़ा आवश्यक कर्तव्य हो गया है।

रहीम और मनोरमाने चिकित्सालयके सभी स्थानोंको भली प्रकार दिखाया। रोगियोंके रहने, खाने-पीनेके प्रवन्धके विषयमें क्या कहना है? चारों ओर स्वच्छता-ही-स्वच्छताका साम्राज्य था। रोगी-नुश्रूपक महिलाएँ रोगकी आघी पीड़ाको तो अपने सहानुभूतिपूर्ण मधुर-वचन और सरस वार्तावसे दूर कर देती हैं। औषधोंका कोष बहुत भारी है। उपयोगी हथियार और यंत्र भी पर्याप्त रखे हुए हैं। चिकित्सालयकी पाकशाला आदि सभीका निरीक्षण करके अब हम लोग वहाँसे विश्राम-स्थानको लीटे। मैंने विचार किया, कल और आजकी बहुत बातें मुझे रोजनामचेमें भी लिखनी हैं। अभी एक बजा है तब तक यह काम करूँगा। शामको आनेके लिए कहकर इस्माइल और प्रियम्बदा तो चली गई, किन्तु देव विश्राम-स्थानपर पहुँचाकर लीटे। मैंने विश्रामित्रसे रोजनामचा लिखनेकी बात कही। वह भी अपने कमरेमें चले गये। मैं अकेला कलम निकालकर लिखने बैठा। लिखने-योग्य बातोंका तो ठिकाना नहीं था, किन्तु मेरे पास समय

## शिशु-संसार

दूसरे दिन हम शिशु-उद्यानकी ओर चले। पहले फाटक मिला। उद्यानको आप यह न समझें कि कोई चार-दीवारी या लोहेके सीकचोंसे घिरा बगीचा होगा। इसकी वहाँ कुछ आवश्यकता ही नहीं है। न पशु हैं, जो भीतर घुसकर नुकसान करेंगे और न कोई चीज चुरानेवाला। द्वार बड़ा सुन्दर और विशाल है; इसके ऊपर दो-महला मकान है। भीतर जाते ही साथिन फातिमा—जो हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं—मिलीं। यद्यपि आपकी अवस्था अस्सी वर्षकी है, तब भी अपने कामको जवानोंकी भाँति करती हैं। आप २० वर्षसे विधवा हैं। शिक्षा समाप्तकर व्याह करनेके बाद आपके पति श्रीहृषीकेश द्विवेदी यहाँ ही आकर बसे। दोनों ही दम्पति



तक्षशिलाके विद्यार्थी थे। पतिने चिकित्साका काम अपने ऊपर लिया था, और फातिमा दस वर्ष तक चिकित्सालयमें ही रोगि-परिचर्याका कर्तव्य-पालन करती थीं। आपका बालकोसे अगाध प्रेम था, इसीलिए पीछे आप शिशु-उद्यानमें चली आईं। तबसे आप इन स्वर्गीय पुष्पोंकी सुगन्धका आनन्द लूट रही हैं। नामसे आप यह न समझ जायें कि फातिमा मुसलमान हैं। मैं लिख ही चुका हूँ कि घर्म अब उठ गया है।

अब हम लोग आगे बढ़ें। उद्यान बहुत ही विस्तृत और दूर तक फैला हुआ था। फूलोंमें शायद ही ऐसा कोई छूटा हो जो वहाँ न हो। बेला, चमेली, नाना भाँतिके गुलाब, चम्पा, जूही, मोगरा, कुन्द और गेंदा सभी थे। उनमेंसे बहुत-से फूल हँस रहे थे, और बहुत-से चुप-चाप हरी पोशाक पहने केवल तमाशा देख रहे थे। बीच-बीचमें कितने ही अनार, नारंगी, सेव, आम, जामन, लीची, कटहल, वैर और अमरुद आदिके पेड़ भी थे। टट्टियोंपर अंगूरकी लता भी फैली हुई थी। यहीं बीचमें एक बहुत भारी पीपलका वृक्ष है, जिसके नीचे लड़के गर्मियोंमें खेलते हैं। यद्यपि धूप निकल आई थी, किन्तु अभी घासोंपर ओस पड़ी हुई थी, इसलिए लड़के उस बड़े पक्के चबूतरेपर थे, जोकि उनके शयनागारके सामने था। धूप वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी सुश्रूषा करनेवाली महिलायें, यही बतला रही थीं कि आज एक बहुत बृद्ध महात्मा आनेवाले हैं। कोई-कोई बड़ा बालक—किन्तु तीन वर्षसे अधिकका नहीं, क्योंकि तीन वर्षके बाद तो वे विद्यालयमें भेज दिये जाते हैं—पूछ उठता था—अम्मा! क्या वह महात्मा हमारी बड़ी अम्मासे भी बड़े हैं! तब वह बतलाती—मेरे कलेजे! तुम्हारी

बळी अम्माका तो जन्म भी न हुआ था, जब वह महात्मा तुम्हारी अम्मासे भी बूढ़े हो गये थे।

एक शिशु—तो किसके बराबर हैं, हमारे गांवमें किसीको बताओ।

माता—मेरे बच्चे! तुम्हारे गांवमें क्या, पृथ्वी भरमें कोई उतना बूढ़ा नहीं।

दूसरा—अच्छा, इस पृथ्वीपर नहीं सही, मंगलकी पृथ्वीपर तो होगा, बुधकी पृथ्वीपर तो होगा?

माता—कोई होगा, किन्तु उसको तुमने देखा तो नहीं?

दूसरा—तो इसी पृथ्वीको कहाँ हमने सारा देख लिया?

माता—मेरे प्यारे! देख लोगे। अभी तो चलने लायक हुए हो, अभी तो बोलने लायक हुए हो। जब पृथ्वीका रास्ता, बोली-बानी सब सीख लोगे, तब सब देख लोगे।

इतनेमें दूसरी महिलाने कहा—अब काहे इतनी मायापच्ची करते हो विजय? देखो, वह तुम्हारी बळी अम्माकी चाई ओर सफेद दाढ़ीवाले वही महात्मा आ रहे हैं। देखो, अपना-अपना सितार हाथमें ले लो; आज देखना है, बूढ़े बाबाको कौन अच्छा गाना सुनाता है। मैं भी सुनाऊंगी, जानकी अम्मा भी सुनावेगी, जैनव अम्मा भी सुनावेगी। इतनेमें ध्रुव बोल उठा—मैं भी सुनाऊंगी। इसपर सब हँस पळीं। जानकीने कहा—ध्रुव! 'मैं भी सुनाऊंगी' नहीं, 'मैं भी सुनाऊँगा' कहो। ध्रुवने जानकीके पैरोंको कौलीमें भर मुँहको साळीमें छिपाकर कहा, 'मैं भी सुनाऊँगा'। इसपर रोहिणीने कहा—और अम्मा, 'मैं भी सुनाऊँगा'। जैनवने कहा, लो यह

दूसरी आफत आई। रोहिणी ढाई वर्षकी लळकी थी, जैनवने उसे गोदमें ले मुंह चूमकर कहा—मेरी ब्रिटिया ! लळकियां ऐसे नहीं बोला करतीं। कह, 'में भी सुनाऊँगी'।

रोहिणीने कहा—हूँ ! ध्रुव भैया यही तो कहता था, तव जानकी अम्माने टोका।

जैनव—तू बेटी है न ?

रोहिणी—हाँ ! तेरी बेटी हूँ, जानकी अम्माकी बेटी हूँ, बळी अम्माकी बेटी हूँ कि ! कमाल भैयाकी तो बहिन हूँ। शफी भैया भी, देख, रोहिणी बहिन—रोहिणी बहिन कहता है। ध्रुव भैया भी बहिन कहता है। तो खाली बेटी कैसे हूँ, बेटी भी हूँ, बहिन भी हूँ।

जैनव—अच्छा बूढ़ी दाई ! तुम बेटी भी हो, बहिन भी हो, लेकिन बेटा और भैया तो नहीं न हो ?

रोहिणी—हाँ ! नहीं हूँ।

जैनव—अच्छा ! तो बेटा, भैया, 'सुनाऊँगा' कहें तो ठीक, और बेटी, बहिन 'सुनाऊँगी' कहें तो ठीक। इतना ही नहीं, बूढ़े बाबा, पिता, चाचा सुनाऊँगा कहें तो ठीक और बूढ़ी अम्मा, छोटी अम्मा, बळी अम्मा सब सुनाऊँगी कहें तो ठीक।

इतनेमें हमलोग पहुँच गये और बात यहीं समाप्त हो गई। सब माताओंने अभिवादनके लिए पहले हाथ उठाया, जिसे देख बच्चोंने भी वैसा ही किया और छोटी गालियोंमें रखे अत्यन्त छोटे बच्चोंको छोळकर हाथ सवने उठाये।

मुझे वे बच्चे सचमुच खिले हुए स्वर्गीय फूल-से जान पड़े; उनके लाल-लाल होंठ और गुलाबी गालोंपर अस्फुट हँसीकी रेखा थी। सबके शरीरपर एक प्रकारके गुलाबी रंगके फलालनके कपड़े थे। सबके पैरोंमें छोटे-छोटे मोजे और छोटे-छोटे सुन्दर जूते थे। सिर मुलायम टोपीसे ढँका था। स्वागत समाप्त होनेके साथ ही मैंने देखा, बालक-बालिकायें सभी—जिनकी वहाँ पहिचान होनी कठिन थी—अपने छोटे-छोटे तीन तारवाले खिलोने-सितारको ले लेकर बैठ गये। कोई मित्रावको उल्टा पहिन्ता और वह अँगुलीमें नहीं जाती, तो पासके बड़े लड़केंसे कहता—

‘मोहन भैया ! जल्दी इसे अँगुलीमें लगा दे तो ।’

मूर्तुजाने एक बार कानके पास ले जाकर, तारको मारा तो ‘दिम’सी आवाज आई, बस क्या था। उसने समझा, मैं ही बाजी मार ले जाऊँगा। तुरंत प्रसन्नतासे फूला हुआ प्रियम्बदाके पास दौड़ा आया, हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले जाकर बोला—

अम्मा ! जरा गोदी तो ले। जब गोदी चढ़ गया, तो अपने बाजेको कानके पास ले जाकर एक बार तारपर मारा, किन्तु अबकी तार हाथसे दबा था, अतः आवाज नहीं हुई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्या, उसकी आशा हीपर पानी फिर गया ? तो भी कहा, माँ ! अभी नहीं न चुना; रखी रह, सुनाता हूँ न। प्रियम्बदा तो अभिप्रायको जान गई थी। उसने तारपरसे अँगुली जरा खिसका दी। मूर्तुजाने अबकी मारा, तो ‘दिम’से हुआ। बड़ा खुश होकर बोला—देख ! मैं अच्छा बजाता हूँ न ? प्रियम्बदाने कहा—हाँ बेटा ! तू बड़ा अच्छा बजाता है। आज पितामहको सुना तो। इसपर

मुर्तुजाने पूछा—अम्मा ! पितामह कौन हैं ? इसपर प्रियम्बदाने बताया— वही बूढ़े-बूढ़े सफेद दाढ़ीवाले । अब मुर्तुजाने एक बात चालाकीकी कही— 'माँ ! अब चुप-से बैठ जाता हूँ, नहीं तो विजय भैया कहेगा—अम्मासे सीख आया है।' यह कह मुर्तुजा जाकर एक जगह बैठकर, खूब आलाप लेने-जैसी शकल करके कुछ गुनगुनाते सितार छेळने लगा । देखा-देखी और कई वच्चोंने भी ऐसा ही करना आरम्भ किया ।

मैं गाळियोंपर बैठे वच्चोंकी ओर देखने लगा । कोई पासमें खळी माताकी अँगुली पी रहा है, कोई 'आगू'-'आगू' कर रहा है । कोई हँस-कर अपनी नई सम्पत्ति दोनों अगली दँतुलियोंको दिखा रहा है । सभी वच्चे हूष्ट-पुष्ट और, स्वस्थ थे । कोई दुबला, कुरूप और रोंदू न था । मैं एक छः-सात मासके वच्चेके पास गया, तो मेरे हाथ बढ़ते ही वह हाथ बढ़ाकर मानों मेरी ओर आनेकी इच्छा प्रकट करने लगा । फिर क्या था, उसको मेरी गोदमें देख बहुत-से वारी-वारीसे गोदमें चढ़े । सभी लळकोंकी संख्या डेढ़सौकी थी । देर होते देख मुर्तुजाने अब की प्रिय-म्बदाके पास जाकर कहा, माँ ! अब सुनाऊँ न—अब क्या देरी है ? इसपर प्रियम्बदाने कहा—हाँ ! रह जा ; अभी बुलाकर पितामहको बैठती हूँ, तब सुनाना । सबको देखनेके बाद फातिमा ने बैठनेके लिए कहा । लळकोंहीमें हमारे बैठनेके लिए फर्शपर थोळी जगह मिली । हमारे बैठते ही, सब बालक और करीब-करीब हो गये । शिशु-उद्यानमें सब मिलकर तीस मातायें हैं । सभी अपनी-अपनी गोदमें तथा आस-पास वच्चोंको लिये बैठ गईं । डेढ़ वर्षके ऊपरवाले लळकोंने हाथ

में सितार लिया था, और छोटोंमेंसे किसीने विल्ली, किसीने कुत्ता, किसीने खरगोश, किसीने सीटी, किसीने गुठिया, किसीने लकड़ीके अक्षरोंके कटे अंश, किसीने कोई खिलौना, किसीने कोई खिलौना। अब बड़ी अम्मा बोली—

बच्चे साथियो! हमारे सबके पितामह यहाँ अपने बच्चोंको देखने आये हैं। अब उन्हें सब लोग अपना-अपना गुण दिखाओ। पितामह बाबा बहुत दिनपर आये हैं। पहले जानकी अम्मा भजन सुनावेगी, तब जैनव अम्मा सुनावेगी, तब देखो कौन सुनावेगा? विजय झट-से बोल उठा— मैं। मुर्तुजा पहलेसे सँपर रहा था, किन्तु घोखेसे पहले न बोल सका, तो भी जल्दी-जल्दी उसने कह डाला 'मैं'। जानकीने हाथमें वीणा ले गीत गाया।

गानेका कहना ही क्या था? यद्यपि भापा बालकोंकी थी, भाव भी बालकोंका था, किन्तु स्वर, लय, तान सबसे निराला था। बीच-बीचमें मैं देखता था, कई एक बच्चे बड़े ध्यानसे सितारकी हाथसे छेळते कुछ गुन-गुनाते हुए तन्मय थे। अब जैनवने वीणाको हाथमें लिया। विजय—उसका शागिर्द—पास बैठा था। ऐसे भी वह सावधान ही बैठा था, किन्तु अब विशेष तौरसे एक बार खळा हो आलथी-मालथी मार, ठीक जैनवकी तरह उसकी दाहिनी ओर बैठ गया। जैनवने भीठे स्वरमें एक गीत सुनाया।

गीत समाप्त होते ही ज्योंही जैनवने वीणा अलग रखी, विजय गोदमें जा बैठा और धीरे-से कानमें बोला—माँ, वही उस दिनवाला गीत न सुनाऊँ? जैनवने कहा—कौन सा? इसपर विजयने कुछ फुसफुसाया। जैनवने कहा—हाँ वेटा, हाँ वही। अब विजय धीरे-से मेरे पास आया, और

बोला—पितामह ! अब एक गीत मैं सुनाऊँगा । मुर्तुजाने कहा—  
 नहीं पितामह ! पहले मैं सुनाऊँगा, तब विजय भैया सुनावेगा ।  
 विजयने कहा, नहीं पहले मैंने कहा था, पहले मैं सुनाऊँगा । मुर्तुजाने फिर  
 अपना पहला आग्रह दुहराया । अब बली अम्माने झगलेका जल्दी निपटारा  
 होते न देख, कहा—अच्छा, दोनों भाई मेरे पास आओ । दोनों दौलकर  
 फातिमाकी गोदमें चले गये । तब फातिमाने विजयसे पूछा—उस दिन,  
 विजय, जब तुम और शफी मेरे पास थे, मैं सेवका टुकड़ा तुझे जव देने लगी,  
 तो तुमने क्यों लेनेसे इन्कार किया ? विजयको अम्माके हाथके फलसे  
 इन्कारका शब्द कळा मालूम हुआ । झट गलेसे लिपटकर कहने लगा—  
 अम्मा ! तू तो यों ही कहती है ; इन्कार थोड़े ही किया ? यह तो कहा था  
 कि पहले शफीको दे, तो फिर मुझे दे । फातिमाने पूछा—अच्छा, ऐसा ही  
 क्यों कहा ?

विजयने कहा—तैंने ही नहीं बताया था, कि पहले छोटे भाईको देकर  
 तब अपने खाओ । शफी छोटा भैया है, मैं बड़ा भैया हूँ, तो पहले कैसे खा  
 जाता ? प्रह्लाद भैया, इब्राहीम भैया, जमशेद भैया जव विद्यालय नहीं  
 गये थे, तब मेरे या श्याम भैयाके विना खाये कहाँ खाते थे ?

फातिमाने कहा—हाँ ! मेरे लाल ! ठीक तो कहता है । अच्छा तो  
 मुर्तुजा छोटा भैया है, या बड़ा भैया ?

विजय—छोटा भैया ।

फातिमा—तो फिर उसकी बात पहले हो कि तुम्हारी ? विजयको  
 अपनी गलती समझमें आ गई । उसने हँसते हुए कहा, हाँ ! मुर्तुजा पहले तू

गा, तब मैं गाऊंगा। बड़े भैया छोटे भैयाकी बात होते देख, अब मुर्तुजाके मनने भी पलटा खाया। उसने कहा—विजय भैया बड़ा भैया है, पहले वह गा लेगा, तब मैं गाऊंगा। विजयने कहा—मुर्तुजा छोटा भैया है, पहले वह गायेगा, तब मैं गाऊंगा। अब एक दूसरा अँळंगा सळा देख, बळी अम्माने कहा—मुर्तुजा ! बळे भैयाकी बात छोटे भैयाको माननी चाहिए न ?

मुर्तुजा—हाँ, अम्मा ! माननी चाहिए।

फातिमा—तब जैसा विजय भैया कहता है, वैसा करो। अब मुर्तुजा दौळकर प्रियम्बदाके पास गया। और बोला—अम्मा ! मेरे तारोंको ठीक तो कर दे। प्रियम्बदाने लेकर जरा तारको इधर-उधर खींच दिया। अब मुर्तुजा दाहिने पैरसे पालथी मार और बायेंके सहारे सितारको हाथमें पकळे, ऐसे बन बैठ, मानो तानसेन ही उतर आया हो। थोळी देर खींचने-खांचनेके बाद बोला—अभी गीत मँने नहीं सीखा है, खाली बाजा सुनाऊंगा। मँने और विश्वामित्रने कहा—हाँ ! बाजा ही सुनाइये। अब मुर्तुजाने एक बार अँगुली तारपर मारी, किन्तु वह तारतक न पहुँचकर पहले ही रुक गई। बगलवाले लळके हँसना ही चाहते थे कि उसने फिर एक बार खूब साधकर अँगुली मारी और अब 'दिम'-सी आवाज आई। प्रियम्बदा, फातिमा, मँने और सभीने इसपर शावाशी दी। मुर्तुजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला—अच्छा, अब विजय भैयाका गीत हो। विजय, जो अब तक बळी अम्माके पास बैठ था, उठकर जैनवके पास जाकर बोला—माँ ! तू जरा बजा, तो मैं गाऊँ। विजयने एक-दो गीत खूब मिहनतसे याद किये थे। वह बहुधा जैनवकी गोदमें बैठकर उसके सितार बजानेपर गाय करता



था। इसीलिए अबकी फिर उसने वजानेको कहा। जैनवके दानादिर करते ही विजयने अपना गाना आरम्भ किया...

शिशुके मधुर स्वर और अकृत्रिम कंठसे निकले सरल गानने प्राणोंको प्रफुल्लित कर दिया। वारी-वारीसे दो-चार और गवैयोंने अपने करतव दिखलाये। इसके बाद अक्षरके खिलाळियोंका नम्बर आया। मरियम और रुक्मिणी सबसे पहले आईं। प्रियम्बदाने लकळीके अक्षरोंके बक्सको हाथमें लेकर उसमेंसे एक नीचे रखकर कहा—वूझो यह क्या है। रुक्मिणीके अभाग्यसे उसकी ओर अक्षरकी ऊपरी लकीर पळी थी, जिससे जब तक वह विचार करे तब तक मरियमने बोल दिया—‘क’। अब क्या, मरियमके आनन्दकी कोई सीमा न थी। प्रियम्बदाने कहा—बेटी रुक्मिणी, कोई परवाह नहीं, आओ तुम दोनों एक सीधमें पांतीसे खळी होकर अबकी वूझो। अबकी प्रियम्बदाने फिर एक अक्षर फेंका। गिरतेके साथ दोनोंने एक साथ ‘र’ कहा। बळी अम्माने दोनोंको गले लगाया। अब बळी अम्मा सबके कुत्ते, विल्ली, वत्तक, गुळिया आदि सभी खिलौनोंको लेकर पांतीसे रखकर कहने लगीं—प्रियव्रत ! खरगोश ले आओ तो। प्रियव्रतने झट खरगोश उठाकर हाथमें दे दिया। ऐसे ही वह एक-एक जानवरका नाम लेती जाती थीं, और बच्चे ला-लाकर देते जाते थे।

इसके बाद सारा समाज वहाँसे उठ खळा हुआ। अत्यन्त छोटे बच्चे भी इस तमाशेमें शामिल थे। मातायें गोदमें उन्हें लिये थीं। फूलोंके पास जाकर इसकी परीक्षा ली गई कि कौन कितने फल-फूलोंका नाम जानता तथा पहिचानता है। वहाँ मौलसरीकी डालियोंमें बहुत-से पालने लटक

रहे थे ; जिनके बारेमें बताया गया कि छोटे-छोटे बच्चे इन्हींपर सोते और झूलते रहते हैं। पालनोंके गद्दे बहुत ही मुलायम थे। एक कल सब झूलनोंको धीरे-धीरे झुलाती रहती थी। हमलोग यह देख ही रहे थे कि इसी समय नौ का घंटा बजा। आज हरी घासपर भोजनका प्रबन्ध था। इसी समय बाहरसे और भी बहुत-सी स्त्रियाँ आती दीख पड़ीं। ये लड़कोंकी जननियाँ थीं। वस्तुतः यहाँ 'माता' शब्दसे उन सभी महिलाओंका ग्रहण किया जाता है, जो बालककी रक्षा, शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध करती हैं। सब प्रकारकी अनुकूलता देना, छोटे-छोटे बच्चोंको भी जननियाँ, प्रायः शिशु-उद्यानहीमें रख आती हैं। रात्रिमें वर्ष दिन तकके बच्चोंको जननी अपने पास रखती हैं। दिनमें नव-जात शिशुओंवाली मातायें यदि काम करती हैं, तो ग्रामहीमें, सो भी दो घंटे; बाकी समय शिशु-उद्यानहीमें बालकोंका मन-बहलाव करती हैं। शिशु-उद्यान ग्रामवासियोंका फ्रीलोद्यान है, जहाँके पुष्पों और मनोरंजनकी और सामग्रियोंमें कोमल शिशु भी शामिल हैं। उनके मधुर-आलापके सुनने, उनके मनोमोहक खेलोंको देखनेकी इच्छासे कितनेही नर-नारी अपने अवकाशके समयको वहाँ व्यतीत करते हैं।

आजके राष्ट्रका ध्येय तो यद्यपि मनुष्य-मात्रके जीवनको आनन्दमय बनाना है, और ऐसा करनेमें उसे अच्छी सफलता भी हुई है, किन्तु बालकोंके लिए प्रस्तुत की गई सुखकी सामग्रियाँ तो पुराने सम्राटोंके राजकुमारोंको भी शायद नसीब न थीं। साधारणतया बालकोंको थोड़ा-थोड़ा दिन-रातमें तीन-तीन घंटेपर सात बार जलपान और भोजन कराया जाता है। पहला कलेवा उनका ६ बजे होता है, जबकि दूधके साथ ऋतुके उपयोगी

कुछ मिष्ठान्न दिये जाते हैं। इस वक्त नौ वजेके लिए खीर, कुछ फल, ऐसे ही पदार्थ थे। बारह वजे, भात-दाल, रोटी-तरकारी—जिसे पहले कच्ची रसोई कहा जाता था—का प्रबन्ध रहता है। ३ वजे फिर फल, दूध। ६ वजे भी कुछ फल। ९ वजे घीकी पकी नमकीन और मीठी चीजोंके साथ कुछ दूध भी और बारह वजे रातको फिर दूध और कुछ फल। भोजनका सिल-सिला तीन-तीन घंटेपर बराबर रहता है। परन्तु तीन समय—प्रातः, मध्याह्न और रात्रिके नौ वजे—छोड़कर, पेट-भर नहीं खिलाया जाता। खाना हजम होनेके लिए लड्डके दौड़-धूप किया करते हैं। आँख-मिचौनी आदि पुराने खेल-कूद भी खेले जाते हैं। छोटे-छोटे फुट-बालोंको लेकर लड्डके खूब खेलते हैं। हरी-हरी दूधपर इन छोटे-छोटे जवानोंकी कबड्डी भी बड़ी भली मालूम होती है। वागमें एक अखाळा भी इनके लोट-पोट और पहलवानीके लिए है। सारांश यह कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा और शारीरिक सुधार सभीपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। हाँ! जो मातायें मँने आते देखी थीं, उन्होंने अपने नवजात शिशुओंको दूध पिलाना शुरू किया, और कितनी ही लड्डकोंके पासमें खिलाने बैठ गईं। खाना खा सकनेवाले लड्डकोंकी मातायें अपने-पराये सभी वच्चोंको साथमें लेकर समान भावसे खिलाने लगती हैं। वास्तवमें इस समयके नर-नारियोंके हृदयसे संकीर्णता निकल गई है। उनके हृदय विशाल हैं।

जन्म देनेवाली माताओंहीके लिए नहीं, उन माताओंके लिए भी जो कि उद्यानमें बालकोंकी रात-दिन सेवा-सुश्रूपा करती हैं, यह बहुत भारी मानसिक बलेशकी बात है, कि तीन वर्ष बाद लड्डके दूर-दूरके

वले-वले विद्यालयोंमें भेज दिये जाते हैं। किन्तु राष्ट्रके कल्याणके लिए, और उन अपने बालकोंके हितके लिए वे सब सहन करती हैं।

भोजनके समाप्त होनेपर अब हमलोग कोठेपरके वस्तु-संग्रहालय की ओर चले। कुछ बालक तो स्वयं छोटी-छोटी सीढ़ियों-द्वारा चढ़ आये और कुछको माताओंने ऊपर पहुँचाया। विजय सभी बालकोंमें होशियार था। उसका शरीर भी हृष्ट पुष्ट था। वह जैनबकी अंगुली पकड़े हमारे साथ-साथ था।

संग्रहालयमें घुसते ही देखा, नीचे तरह-तरहके जीव-जन्तु, अन्न आदि वस्तुएँ रखी गयी हैं। घनुप, वाण, फरसा, गंळासा, लाठी, बंदूक तमंचा, भाला, कवच और खोद दीवारोंमें टँगे हैं। छोटी-छोटी तोपें भी रखी हैं। दीवारोंके ऊपर मनुष्य-जातिके वले-वले नेताओंकी जीवन-घटनाओं-सम्बन्धी वले-वले चित्र हैं। कहीं महात्मा सुक्रात प्रसन्नता-पूर्वक विषके प्यालेका पान कर रहे हैं। कहीं बुद्ध रक्तके प्यासे 'अंगुलि-माल' के प्रहारका कुछ भी ख्याल न करके प्रसन्न-वदन खड़े हैं। कहीं गांधी सलकपर कंकळ कूट रहे हैं। कहीं इब्राहम लिंकन विपत्तियोंकी घमकीका कुछ भी ख्याल न करके मनुष्योंकी दासता हटानेके लिए बलिदान हो रहे हैं। कहीं जोन स्वतंत्रताके लिए निछावर हो रही है। कहीं अशोक युद्धके बाद साम्राज्यसे विरक्त हो रहे हैं। इसी तरह अनेक प्रकारके चित्र हैं।

मुझसे यह भी कहा गया कि बालकोंको बोलते फिल्मों-द्वारा भी बहुत-से ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक बातोंका ज्ञान कराया जाता है। ग्रहोंका भ्रमण, रात-दिनका होना, चन्द्रमाका घटना-बढ़ना भी उसीके द्वारा

दिखाया जाता है। बालकोंको ये सारी शिक्षायें मनोरंजन और खेलके रूपमें ही मिल जाती हैं। दूसरोंका काम जिज्ञासा उत्पन्न करनेकी सामग्री एकत्रित कर देना है। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो बालक अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिए सब कुछ सहन करनेको तैयार हो जाता है। तब हर एक बात उसे जल्दी स्मरण तथा हृदयंगम भी होती जाती है। उस समय ज्ञानको घोलकर पिलाने या ठूसनेकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने वस्तुओंको देखते समय बीच-बीचमें कभी-कभी किसी लळकेसे किसी वस्तुका नाम पूछा, या नाम बोलकर वस्तु दिखानेको कहा, तो बालक बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक सन्तोष-जनक उत्तर देते थे। फातिमाने बताया—लळके स्वयं अँगुली पकळकर माताओंको खींच लाते हैं। कभी किसी वस्तुका नाम पूछते हैं, कभी किसी चित्रको देखकर चित्रित घटनाकी कथा सुनने बैठ जाते हैं। कहनेवालेसे अधिक उनको उन्हें देखने-सुननेमें आनन्द होता है। इसी समय यदि कभी भोजनका समय आ जाता है, तो बड़ी अरुचि-पूर्वक वहाँसे भोजन करने उठते हैं। यद्यपि तीन वर्ष तक उनको कोई पुस्तक पढ़नेको नहीं दी जाती, न लिखाया ही जाता है, किन्तु ज्ञानके साथ-साथ, उन्हें बहुत-सी संख्या तथा अक्षरों और अंकोंका बोध स्वयं ही खेलते-खेलते हो जाता है। ध्रुव, सप्तर्षि आदि कई तारोंको वह पहिचानने लगते हैं। वस्तुओंकी संज्ञाका कोप उनका बढा हो जाता है। माता, पिता, अभिभावक, और आस-पासके वायुमंडलको भी शुद्ध भाषाका प्रयोग करते देख उनकी भाषा बहुत शुद्ध होती है।

जब वहाँसे देखकर हमलोग उतरे, तो बालकोंके शयनागारकी

ओर चलनेके लिए कहा गया। जाकर देखा—छोटे-छोटे बालकोंके लिए जगह-जगह झूलने टेंगे हुए हैं। बालकोंके सोनेके लिए पलंगपर अच्छे-अच्छे मुलायम गद्दे भी बिछे हुए हैं। सर्दीमें कमरेको गर्म करनेका पूरा प्रबन्ध है। रात्रिमें बालक बहुत कम यहाँ रह जाते हैं। अधिकतर अपनी जननियों हीके पास सोते हैं। कुछ जो रहते हैं, वह अपनी उद्यानकी माताओंकी गोदमें सोते हैं। शयनागारकी बगलमें भोजनागार है। बगलमें पाकशाला है, जहाँ बालकोंके लिए ताजा-ताजा भोजन बनता रहता है। अब ग्यारहका समय नजदीक आ रहा था, अतः उद्यानका और अवलोकन करना न हो सका। दूरसे छोटी-छोटी छतरियोंके नीचे कुछ मूर्तियाँ-सी दिखाई पड़ीं। पूछनेपर मालूम हुआ कि वहाँ बालकोंके इष्ट-देव ऐतिहासिक महापुरुषोंकी संगमर्मरकी मूर्तियाँ हैं, जहाँ पहुँचते ही बालक 'कथा'-'कथा'की धुन लगा देते हैं। बिना उस महापुरुषकी एक दो जीवन-घटना सुने चैन नहीं लेने देते।

जानकीने घड़ी देखकर बतलाया कि अब ग्यारहमें पाँच मिनट बाकी हैं। हमलोग उद्यान-परिवारसे विदा हुए।

उस दिन उतना ही देखना था। दूसरे दिन अब यहाँसे नालन्दाको प्रस्थान करना था। विश्राम-घर लौट आनेपर विश्वामित्रसे यात्राके समय तथा मार्ग आदिपर विचार हुआ। विश्वामित्रने पूछा—क्या यहीसे सीधे नालन्दा चलना होगा ?

“सीधे तो चलना होगा, किन्तु सीधे इसी अर्थमें कि रेलमें चढ़कर फिर बीचमें उतरना नहीं।”

“रेलसे चलनेमें समय कुछ अधिक लगेगा; यदि विमानसे चलना हो,

तो आध घंटेका रास्ता है।”

“इतनी जल्दी चलना भी अभीष्ट नहीं है। रेलसे चलो, तिसमें भी जो ट्रेन सब स्थानोंपर खळी होती जाय, उससे। और जाना, भी उस लाइनसे चाहिये, जिसके द्वारा मैं आया गया हूँ; क्योंकि मैं रास्तेके आस-पासकी वस्तियोंके परिवर्तन आदिको देख सकूंगा। अब इधर जल्दी तो आना नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि यहाँसे रक्सौल, सुगौली, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, पटना और बख्तियारपुर होते नालन्दा चले, किन्तु रास्तेमें कहीं विश्राम नहीं लेना है—केवल जहाँ गाळी बदले, वहाँ बदलने भरको उतरना है।”

“गाळी भी पटना ही बदलेगी। बख्तियारपुर जानेका काम नहीं, पटनासे सीधी नालन्दाको लाइन गई है। रेलवे लाइनोंमें भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब भारतमें क्या, पृथ्वी-भरकी लाइनें एकसी ही चौळी हैं। वह चौळाई आपके समयके ई० आई० रेलवेसे कुछ कमकी है। इसलिए अब वी० एन्० डबल्यू० रेलवेकी छोटी लाइन, और बख्तियारपुर-विहार वाला ‘रेलका बच्चा’ नहीं मिलेगा।”

“विश्वामित्र ! ‘रेलका बच्चा’ तुमने कैसे जाना ?”

“किताबोंमें देखनेसे।”

“किन्तु, इसके सम्बन्धकी कथा तुमको न मालूम होगी; सुनो। तुम तो इतिहासके पंडित ही हो। उस समयके लोगोंमें मूर्खता बहुत थी। कितने गाँवोंमें कोई चिट्ठी आनेपर दूसरे गाँवमें बँचवानेको जाना पळता था। जब मर्द ही अक्षर-शून्य थे, तो स्त्रियोंके लिए क्या पूछना ? कोई देहाती

आदमी वख्तियारपुरकी उस समयकी बळी लाइनकी गाळीपर सवार था। उसने स्टेशनकी दूसरी ओर छोटे-छोटे रेलके डब्बे देखे, जो उसकी गाळीके सम्मुख वैसे ही थे, जैसे बापके सामने उसका छोटा बच्चा। उसने ऐसी छोटी रेलगाळी अब तक न देखी थी। अपने पासके किसी आदमीसे पूछा, जो स्वयं भी निरक्षर—किन्तु, तर्क-कुशल—था, कि यह क्या है। उसने कहा—‘रेलका बच्चा’। पहलेने पूछा—क्या रेल भी बच्चा देती है? उसने कहा—देख ही रहे हो; हाथीका बच्चा हाथी नहीं देखा है? उसने कहा—हां, सच कहते हो, बिलकुल शकल-सूरत भी मिलती है; खाली छुटाई-वळाई हीका तो फर्क है। अच्छा, तो बेचारा ‘रेलका बच्चा’ भी गया, उसके बोलनेवाले भी। पटना तक जब गाळी नहीं बदलेगी तब तो गंगामें पुल बँध गया होगा।”

“१९५० हीमें।”

“अच्छा तो कल किस समय चलना चाहिये?”

“कल साथी इस्माइलसे बात हुई थी। कहते थे कि मोहनपुर स्टेशनपर चढ़ना है। वहाँवाले भी बहुत उत्सुक हैं। उनका आग्रह तो एक रात आतिथ्य करनेका था, किन्तु आपकी दूसरी इच्छा देखकर उसमें बाधा नहीं डालना चाहते। कल जलपानके बाद यहाँवालोंकी अन्तिम फूल-माला लेकर आठ बजे चलना चाहिये। साढ़े आठ बजे वहाँ पहुँच जायँगे। ग्यारह बजे मध्याह्न-भोजन करके वहाँसे बारह बजे रेलपर सवार होना चाहिये।”

“ठीक है, यही प्रबन्ध करो।”

विश्वामित्रने, इन बातोंको इस्माइलसे कहा। और इसकी सूचना



---

उसी दिन मोहनपुर, तथा बीचके स्टेशनों एवं नालन्दाको भेज दी गई। रेलका समय देखकर ज्ञात हुआ कि गाळी सवारी-गाळी है, जो सब जगह ठहरती जाती है। हमलोग इस तरह चलकर परसों सवेरे साढ़े छः बजे नालन्दा पहुँच जायेंगे।

---

८

## रेलकी यात्रा

आज जलपानके पहले मेरे निवास-स्थानपर प्रियम्बदा और इस्माइल के अतिरिक्त देवमित्र, आचार्य विश्वामित्र आदि अनेक व्यक्ति आ गये थे। हमलोग साथ ही भोजनागारको गये। आज संस्थागारमें गाँवकी ओरसे फूल-माला देकर मेरी विदाईका प्रवन्ध हुआ था। जलपानके बाद हमलोग संस्थागारमें पहुँचे। वहाँ सब लोगोंकी ओरसे देवमित्रजीने मेरे लिए प्रेमोद्गार प्रगट किये। साथ ही मुझे अष्ट-धातुके पत्रपर स्वर्णाक्षरोंमें मुद्रित एक काव्यमय अभिनन्दन-पत्र दिया गया। कवयित्री वही प्रियम्बदा थीं, यह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात थी। मैंने उत्तरमें, ग्रामवासियोंके अकृत्रिम प्रेमके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा सन्तोष प्रकट किया।

अब सबके अभिवादन और प्रेममयी दृष्टिसे आप्लावित हो, सेवग्रामसे

में और विश्वामित्र विदा हुए। साथमें हमारी मोटरपर इस्माइल-दम्पति, तथा देवमित्र भी चले। हमारे चलनेकी सूचना फोन-द्वारा मोहनपुर पहुँच गई थी।

गाँवके बाहर ग्रामणी तथा अन्य सभ्य स्त्री-पुरुषोंने पहले हमारा स्वागत किया, और कहा, सब ग्रामवासी संस्थागारमें प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमलोग मोटरसे विना उतरे; सीधे संस्थागारमें पहुँचे। मकानोंकी सुन्दरता और ढंग बिल्कुल सेवग्राम ही सा था, बल्कि देखनेवालेको एक ही ग्रामकी भ्रान्ति हो सकती थी। विश्वामित्रने बतलाया, स्थानके संकोच, जन-संख्याकी कमी-वेशीसे गाँवकी लम्बाई-चौड़ाईमें भले ही फर्क पल सकता है, किन्तु श्रेणियाँ, सड़कें, संस्थागार आदि सबके नक्शे देशके सभी ग्रामोंमें एक-से होते हैं। जल-वायुकी विशेषतासे भी कुछ आवश्यक परिवर्तन देखा जाता है।

मोहनपुरके विषयमें मालूम हुआ, यहाँकी जन-संख्या सेवग्रामके ही बराबर है। यहाँ बर्फ बनानेका एक कारखाना है। और दूसरा व्यवसाय आस-पासके १४-१५ फलवाले गाँवोंके फलोंको भिन्न-भिन्न जगहोंपर चालान करना है। इस पर्वतके फल लंका और बर्मा तक जाते हैं। इतनी दूर तक जानेमें कोई भी फर्क न पड़े, इसलिए उनके रखनेकी गाळियोंमें चारों ओर बर्फ रक्खी रहती है। फलोंको ढोनेवाली मोटरोंपर लोहेके जालीदार बड़े-बड़े फल रखनेके बर्तन रहते हैं। एक मोटरपर ऐसा एक ही बर्तन रहता है। फलोंके बोझसे नीचेवाले फलोंको बचानेके लिए बीच-बीचमें दूसरी जाली रक्खी रहती है। मोटर-गाळीके स्टेशनपर पहुँचते ही, उठानेकी कल-द्वारा

सारा वर्तन ही उठाकर रेलके डब्बेमें रख दिया जाता है। रेलका डब्बा ऐसे नापका बना होता है, कि पाँच मोटरोंके माल उसमें बिल्कुल ठीक अेंट जाते हैं। फलोंकी गिनती देना वगीचोंवालोंका काम है। इस प्रकार कोलम्बो (लंका)के लिए जानेवाला सेव एक ही गाळीमें मोहनपुरसे वहाँ पहुँच जाता है।

मोटरसे उतरकर संस्थागारके रंगमंचपर पहुँचनेपर, मोहनपुरके नर-नारियोंने वैसा ही हार्दिक स्वागत किया, जैसे कि सेवग्रामवालोंने किया था। वहाँके ग्रामणीने भी मेरे विषयमें अपने सद्भाव ग्राम-वासियोंकी ओरसे प्रकट किये। मैंने भी इसके लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद फूल-माला दी गई। पीछे सवने भोजनका समय हो जाने से, भोजनागारमें जाकर भोजन किया। सब जगह प्रेम और आनन्दका स्रोत उमळ रहा था। समय न होनेसे यहाँके और स्थानोंको तो नहीं देख सका। संस्थागार और भोजनागार बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे कि सेवग्रामके। पूछनेसे पता लगा कि शिशु-उद्यान, चिकित्सालय भी वैसे ही हैं। द्वार भी नदीकी ओर है और चिकित्सालयसे थोड़ा हटकर बर्फका कारखाना है। ये बातें स्टेशनको चलते समय मुझसे कही गई थीं। मैंने बार-बार उधर इस ब्यालसे देखा कि कारखानेकी चिमनी तो दिखाई देगी, किन्तु मुझे यह स्मरण नहीं था कि काम तो बिजलीसे होता है, फिर चिमनीका क्या प्रयोजन— धुआँ-धक्कळका क्या काम ?

अब स्टेशनपर पहुँचे। पहलेसे ही मालूम हुआ था कि गाळीके आनेमें दो मिनटकी देरी है। अतः हमलोग थोड़ी देर अतिथि-विश्राममें बैठ गये

ये; क्योंकि विश्वामित्रने बतलाया था कि अब न स्टेशनोंपर पान-बीछी-सिगरेट और न मिठाइयोंकी दुकान, न 'कुली चाहिये—कुली चाहिये' का तूफान, न मुसाफिरखानोंकी 'भेळिया-घसान', और न भूखे-भिखमंगोंका 'जय जजमान' है। मैंने पूछा—खैर और न सही, किन्तु मुसाफिरखानों विना तो मुसाफिरोंको अवश्य तकलीफ होती होगी? इसपर विश्वामित्रने बताया तकलीफ काहेकी? खामखाह तो कोई उतरता नहीं। जब जहाँ जाना होता है, वहीं तो उतरता है। गट्टर, विस्तरेका तो कोई वखेळा है ही नहीं! अभीष्ट ग्राम समीप रहा, तो अतिथि-विश्राममें पैदल ही चलकर पहुँच गये। नहीं तो फोनमें दो अक्षर बोलनेपर तो मोटर आती है।

आखिर गाळी भी आ गई। आज पूरी दो शताब्दियों-बाद रेलकी सूखत देखी। लाइन तो बळी लाइनसी थी; डब्बे भी बहुत अच्छे, सुन्दर रंगे हुए थे। नई बात यह मालूम हुई कि इंजन चिन्हाई ही नहीं पळता था। न घुँँका फक-फक, न कालीमाईके रहनेका औंधा हौदा। इंजनके आगेका आकार हवाके धक्केको कम करनेके लिए नोकदार बना है, इंजनकी दूसरी पुरानी विशेषतायें नहीं हैं। यह सब काया-पलट विजलीके कारण हुई है। अब कोयला-पानीसे भाफ बनानेकी तो आवश्यकता है नहीं। विजली भीतर भरी रहती है। कुछ तो कोष बाहरसे लाकर रखा जाता है, और कुछ खुद रेलके पहियोंसे उत्पन्न विजलीके सञ्चय करनेसे हस्तगत कर लिया जाता है। आज-कलकी दुनिया अर्थ-शास्त्रके तत्त्वोंपर बहस करनेमें, जहाँ बालकी खाल उतारती है, वहाँ श्रम एवं, वस्तुको जरा भी फजूल नहीं जाने देती। मजाल क्या कि एक टुकळा सळा-गला लोहा, एक

जरा-सा शीशीका फूटा टुकड़ा, एक मामूली चीयड़ा, एक रद्दी कागजकी चिट व्यर्थ फेंक दी जाय। सभी चीजें गांवके गोदाममें जमा होती रहती हैं, पीछे वहांसे उनके उपयोग करनेवाले कारखानोंमें भेज दी जाती हैं। हां, बाहरसे तो नाम-मात्र ही विजली लेनी पड़ती है, और पहियों-द्वारा उत्पन्न विजलीसेही गाड़ी चलाना, पंखा चलाना रोसनी करना, भोजनकी गाड़ीमें रसोई बनाना, कमरे गर्म रखना, नहानेका पानी गर्म करना इत्यादि सब काम होते हैं। स्टेशनपर भी, न टिकटोंकी है-है पट-पट न पुलिसकी फटफार। पुलिसके बारेमें तो इतना ही ज्ञात हुआ कि ग्राम-सभाके चुनावके साथ कुछ लोग इस कार्यके लिए चुन लिये जाते हैं। चोरी आदिका तो डर ही नहीं है। ऐसे तो शिक्षित-समाज अकारण मार-पीट आदिपर उतर नहीं आता, किन्तु मनुष्य-स्वभाव है—यदि कुछ हुआ, या किसी अपराधीको पकड़ना, या ले जाना हुआ, तो उस वक्त उन्हींको करना पड़ता है। वस्तुतः उन्हें पुलिस न कहना चाहिये। इनके लिए प्रयुक्त होनेवाला 'सेवक' शब्द ही ठीक है; क्योंकि ये अत्यन्त विनीत और सेवामें तत्पर होते हैं। रेलोंमें चढ़नेके लिए टिकटकी आवश्यकता न होनेसे 'टिकट वावू' और 'टिकट-कलक्टरों'की तो आवश्यकता ही न रही। सब जगह सन्देश तारवाले टेली-फोन या बेतारवाले टेलीफोन-द्वारा भेजा जाता है। इसलिए 'ट्र-टर्क'वाले वावूका भी काम नहीं। समयपर लाइन साफ रखने तथा और प्रबन्ध करनेके लिए अन्य कर्मचारी होते हैं। किन्तु 'खलासी', 'पैटमैन' और स्टेशन-मास्टर सब बराबर ही हैं—बल्कि सब एक दूसरेका काम भी कर सकते हैं। कारवार के लिए यह कहनेकी तो आवश्यकता नहीं कि सब कुछ 'भारती'-भावा ही

में होता है। फलोंकी चालानका एक केन्द्र होनेसे, यहाँ चढ़ाई-उतराई तथा ढोनेका काम बहुत होता है।

इस मशीन-युगके यौवन-कालमें सब काम उन मशीनों ही द्वारा कराये जाते हैं, जिनकी नसोंमें विद्युत्का संचार है। मनुष्य तो सिर्फ हुक्म देता है। सवारी-गाड़ीके खळे होनेके 'प्लेट-फार्म'से कुछ दूरपर मालगोदाम है, जिसके पास ही पीछेकी ओर बर्फका कारखाना है। प्लेटफार्म बहुत सुन्दर, चिकना तथा आस-पास फूलोंसे सज्जित है।

स्टेशन-मास्टरसे भी परिचय हुआ। गाड़ीके आते ही हमलोग सवार हुए। न मेरे पास कोई विस्तरा था, न विश्वामित्रके पास। और भी कितने ही आदमियोंको सवार होते देखा, किन्तु मानों सबने कुछ न ले चलनेकी कसम खा ली थी। सब लोगोंके पास उतने ही कपड़े थे, जो उनके वदनपर—न विछौता, न ओढ़ना, न तकिया, न ट्रंक, न लोटा-गिलास-थाली-तसला, न हुक्का-चिलम, न तम्बाकू। और बातमें तो साहेबी थी भी, किन्तु जिस प्रकार रेलके इंजनने फक-फक धुआँ फेंकना छोड़ दिया था, वैसे ही आजके 'जेंटलमैनों'ने भी शायद इसी लज्जासे कि जिसे निर्जीवने त्याग दिया उसे सजीव होकर हम क्यों न त्यागें, सोच सिगार-सिगरेट छोड़ दिया है।

सचमुच 'सलाई-टिकिया-दियासलाई', 'चाह गरम', 'कवाव रोटी', 'द्वैतकी मिस्ती', 'सोडा-वाटर-बर्फ' आदि कोई भी पूर्व-परिचित शब्द मेरे कानोंमें न आये। गाड़ी क्या थी, छोटे-छोटे खिळकी-जँगलोंवाले जग-मगाते मकान थे। फर्स्ट, सेकेण्ड, थर्ड क्लासका पता नहीं। बस, एक ही

तरहकी गाळी, एक ही तरहका विछोना—चाहे इसे 'फस्ट क्लास' कहिए, या 'थर्ड'। चढ़नेके लिए द्वार दूर-दूरपर थे। हमलोग इंजनके पासहीके डब्बेमें चढ़ गये। अब गाळीमें देर न होनेसे प्रियम्बदा, इस्माइल, देवमित्र तथा मोहनपुरके सभ्य-जन विदा हुए। इंजन चलानेवाले महाशयको मेरे चढ़नेकी खबर हो गई थी। उन्होंने घंटी दे, गाळी छोळ दी। मैं गाळीमें खळा हो गया। देखता हूँ, गाळीके एक ओरसे रास्ता गया है, और उसकी दूसरी ओर सोने लायक बेंचें हैं, जिनपर मुलायम गद्दे लगे हैं। मैंने विश्वामित्रसे कहा—पहले बुड्ढेको तुम्हारी नई दुनियाकी गाळी देख लेने दो। हम लोग इंजनके पाससे चले। जिस गाळीमें जाते, वहीं स्वागत होता। स्त्री-पुरुष सब अपनी-अपनी बेंचोंपर बैठे थे। कोई पुस्तक पढ़ रहा था; कोई आजका ताजा समाचार-पत्र। समाचार-पत्रोंकी धूम अब भी कम नहीं। किन्तु 'बंक' और 'कम्पनियों'का इश्तिहार नहीं। अफसोस, अब 'जो चाहो सो पूछ लो', 'त्रिकाल-दर्शी आईना', 'असली मुमीरा', 'फायदा न करे तो दाम वापस', 'घर बैठे एक हजार रुपया महीना कमा लो', 'मुफ्त ! मुफ्त ! मुफ्त' इत्यादि शब्दावलियोंका पता नहीं। अखवारवालोंकी बळी-बळी व्यर्थकी सुखियाँ भी नहीं। न 'खास सम्वाददाता' अथवा 'रूटर-द्वारा'का पता है। महत्त्व-पूर्ण समाचारोंपर सुखियाँ अवश्य हैं, किन्तु अब बाहरी तळक-भळक दिखलाकर ग्राहक-संख्या तो बढ़ानी नहीं है। पत्रोंके कलेवर भी भारी ओढ़ने-पहिनने लायक नहीं। विचारणीय विषय मासिक-पत्रोंमें आते हैं। दैनिक-पत्र केवल संसारके दैनिक समाचारोंका संक्षेपमें संग्रह करते हैं। यह प्रत्येक प्रान्तके मुख्य स्थानसे उसीके नामसे निकलते हैं।



शायद यह कहनेकी आवश्यकता न होगी कि वह आवश्यकता अनुसार स्थान-स्थानपर उतनी संख्यामें भेजे जाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक नर-नारी आसानीसे पढ़ सकें। काम हो जानेपर, कागजके कारखानोंमें जाकर ये पुराने अखवार सादे कागज बन जाते हैं, और फिर दूसरी बार अपने कलेवरको काला करानेको तैयार हो जाते हैं।

मासिक पत्र बली तळक-भळकसे, आवश्यकतानुसार चित्रोंसे सुसज्जित होते हैं। फोटोग्राफीका भी अब यौवन है। इतना ही नहीं कि इससे आकृतिके साथ जैसे-का-तैसा रंग ही उत्तरता है, बल्कि अब चित्र भी एक सेकण्डमें बेतार-के-तार-द्वारा पृथ्वीके दूसरे छोर पर ज्यों-के-त्यों उतर कर समाचार-पत्रोंमें आ जाते हैं। मैं जिस दिन सेव-ग्रामके बागमें आया, उसी दिन मेरा चित्र संसारके समाचार-पत्रोंमें मुद्रित हो गया। प्रत्येक विज्ञानके पृथक्-पृथक् मासिक पत्र निकलते हैं।

हम लोग अब रेलगाड़ीके पुस्तकालयमें पहुँच गये थे। यहाँ पत्रों और पत्रिकाओंका ढेर पड़ा हुआ था। यद्यपि दो-तीन आलमारियाँ पुस्तकोंकी भी थीं, किन्तु पत्र-पत्रिकायें ही अधिक। ज्योतिष, गणित, अध्यात्म, इतिहास, भाषा-विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य, विद्युत, कृषि, आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणि आदि सैकड़ों विज्ञानोंकी पृथ्वीके भिन्न-भिन्न छोरसे निकलनेवाली पत्रिकायें वहाँ मौजूद थीं। नर-नारी कहीं किसी दार्शनिक तत्त्व पर आलोचना कर रहे थे; कहीं नवीन समाचारको लेकर आनन्द या शोक प्रगट कर रहे थे; कहीं साहित्य-सिन्धुमें गोते लगा रहे थे, तो कहीं उपन्यास ही पढ़-सुन रहे थे; और कहीं संगीत-मंडली जमी

हुई थी। पुस्तकालयकी गाळीके बाद भोजनालय है। यात्रियोंको घरकी तरह यहाँ बना-बनाया भोजन मिलता है। भोजनका समय वही यात्राम भी है। घंटा बजते ही लोग तैयार होकर बेंचों पर बैठ जाते हैं। भोजनालयसे लकळीके तख्ते पर भोजनकी सामाग्रियाँ परोसी हुई बिजलीके द्वारा सरकती हुई वहाँ पहुँच जाती हैं। भोजन खानेके बाद सब तख्ते बिजली-द्वारा ही लौटा लिये जाते हैं। पानी पीने तथा नहानेके नल जगह-जगह लगे हुए हैं। पायखानोंका प्रबन्ध गाळीके अन्तमें है। ये भी बड़े साफ हैं; किन्तु पहलेकी रेलोंकी तरह जहाँ-तहाँ पायखाना गिर नहीं पळता, उसके जमा होनेका स्थान है और खास स्टेशनों पर पायखानोंके नलोंमें गिरा दिया जाता है। शोधक तो जल-देवता हैं ही।

भोजनालयके कमरेको पारकर, हमलोग आगे चले, कई लोग बैठनेका आग्रह करते थे। किन्तु मैं यह कह देता था कि जरा आपके युगकी गाळी तो अच्छी तरह देख लूँ। आगे चलकर एक गाळी वीमारोंकी थी। इसमें पाँच-छः वीमार बड़े आरामसे लिटाये गये थे। उनकी सेवामें दयामयी दाइयाँ तत्पर थीं। कोई किसीको पुस्तक पढ़कर सुनाती थी; कोई बात-चीतसे मन-बहलाव करती थी। पासकी मेज पर गर्म रखनेवाले बर्तनोंमें दूध, और निकट ही सेव, अंगूर आदि ताजे-ताजे फल अच्छी तरह सजाकर रखे हुए थे। इन रोगियोंमेंसे दो तिन्व्रतसे आ रहे थे। चिर-रोगी होनेसे उनकी विशेष चिकित्साके लिए तक्षशिला ले जाया जा रहा था। तीन और रोगी नेपाल प्रान्तके भिन्न-भिन्न स्थानोंके थे। उन्हें वैद्योंने समुद्र-यात्राकी सम्मति दी थी। चिकित्सा और सुश्रूपाका समुचित प्रबन्ध होनेसे रोगीकी

आधी पीळा तो ऐसे ही भूल जाती है। भला यह आराम पहले जब बड़े-बड़े धनिकोंके लिए भी दुर्लभ था, तो सामान्य जनोंकी बात ही क्या ?

सब गाळियोंकी एक वार सैर करके हमलोग एक स्थान पर आकर बैठे। उस समय मुझे ख्याल आया कि एक यह समय है और एक वह भी समय था जब संसारमें सबसे कळी मिहनत करनेवालेको ही सबसे अधिक दुःख था। बेचारे परिश्रमी किसान-मजदूर रेलमें भी जब चढ़ते, तो उनके लिए खळे होनेके लिए पर्याप्त स्थान न था। एक-पर-एक लोग भेड़ोंकी तरह जेठकी कळी गर्मीमें भी कस दिये जाते थे। उस भीळमें कहीं बच्चा दबता रहता था कहीं औरत। कुछ उज्र करने पर कहा जाता था—इतनी भीळमें जाते क्यों हो, दूसरी गाळीमें क्यों नहीं जाते ? किन्तु दूसरी गाळी आने तकमें तो किसीका मुकदमा विगळता था, किसीकी लगन बीतती थी, किसीका बन्धु मरता था और किसीका खर्चा खतम होता था। और यह सब सह भी लें, तब भी कौन जानता है कि अगली गाळी खाली आयेगी, जिसमें टाँग-पसारे सोते जायेंगे। यह बैठने-सोनेका आराम, यह पढ़ने-लिखनेका सुभीता, यह खाने-पीनेकी बेफिक्री पहले कहाँ नसीब थी ? पैसेवालोंकी पाकेट भी तो चलते-चलते गायब हो जाती थी।

हमारे पासहीमें एक मध्यमवयस्का महिला बैठी हुई थीं। पूछने पर पता लगा, आप आन्ध्र-विश्वविद्यालयकी आचार्या हैं। आज छः मासके बाद एक बळी यात्रासे लौटी जा रही हैं। आपकी यात्रा समुद्र, आकाश, पृथ्वी तीनों द्वारा हुई है। आप मद्राससे जहाजमें सवार हुईं; वहाँसे लंकामें दो-चार दिन प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानोंको देखती हुई जावा और वाली-द्वीपोंको

गई; फिर आस्ट्रेलिया। मैंने उनसे पूछा, आस्ट्रेलियामें क्या केवल गोरे लोग बसते हैं? उन्होंने कहा, अब कहीं केवल गोरे, या काले, या पीले, या लाल नहीं बसते। सभी जगह सब रंगके लोग बसते हैं। मुझे आपका परिचय है। मैंने 'ल्हासा'में आपका चित्र और वृत्तान्त पढ़ा था। आप बीसवीं शताब्दीकी बात करते हैं। उस समय भारतमें ऊँच-नीच भावोंसे भरी नाना जातियाँ थीं; वैसे ही, दूसरे देशोंमें भी स्वार्थ-पूर्ण वर्ण-भेद, वर्ण-भेद थे। अब उनका कहाँ पता है? हमारे आन्ध्र प्रान्त, तामिल प्रान्त, अथवा केरल प्रान्तमें यदि पहलेकी बातें स्मरण करके पूछें—क्या अब भी तुम्हारे यहाँ 'परिया' हैं, अब भी तुम्हारे यहाँ 'थीया' हैं, अब भी वह 'अय्यर' और 'नम्बूदरीपाद' हैं, जो 'थीयों'की छायासे अपवित्र हो जाते थे?

मैं—तो क्या, आपके कहनेका मतलब यह तो नहीं कि अब यह बातें विलकुल नष्ट हो गईं?

महिला—नष्ट ही नहीं हो गई, कबकी भूल भी गई। अब वह बातें इतिहासके जिज्ञासुओंके लिए पुस्तकोंमें रह गई हैं। अब आस्ट्रेलिया आदि किसी भी स्थानमें पुराना पक्षपात और दुराग्रह नहीं। सब जगह आगत अतिथिकी वैसे ही पूजा होती है, जैसी अपने देशमें।

मैं—मैं आपको प्रायः हिन्दी अथवा शुद्ध 'भारती' भाषा बोलते देख रहा हूँ। आपके देशकी 'इकळे'-'तिकळे' वाली बोली तो इधरवालोंके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती थी। आपने यह भाषा कब, और कहाँ सीखी?

महिला—प्रत्येक भारतीयकी 'भारती' तो मातृ-भाषा है। मेरी भी यह मातृ-भाषा ही है।

में—तब क्या आन्ध्रवालोंकी 'तेलगू' मातृ-भाषा नहीं ?

महिला—यह नहीं कह सकती हूँ। तेलगू भी लोग जानते हैं। बहुत दिनों तक अर्थात् २०६६ ई० तक, उनका आग्रह था कि हमें तेलगूको मातृ-भाषा तथा सर्व व्यवहारोपयोगी बनाये रखना चाहिये। किन्तु सारे भारतकी उपयोगी राष्ट्रीय भाषा होनेसे 'भारती' तो पढ़नी ही पळती थी, नहीं तो मनुष्यको कूप-मंडूक बन जाना पळता। लोगोंने इस दोहरे परिश्रमके लिए सबका बहुत-सा समय बरबाद करना उचित न समझा। उधर जब सार्वभौम राष्ट्र होनेसे पूर्व ही एशियावालोंने एक राष्ट्र बनाकर सार्वभौमीको अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाई, तो लोगों पर और प्रभाव पड़ा। अब 'भारती'के साथ सार्वभौमीका भी जानना प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य हो गया। इसलिए 'भारती' ही मातृ-भाषा हो गई। यह केवल वहीं नहीं, 'तामिल', 'केरल', 'कर्नाटक'में भी।

में—तो क्या आपने अपनी प्राचीन मातृ-भाषाओंकी चिन्ताओंपर 'भारती'का महल उठाया है ?

महिला—भाषा तो अस्थिर होती है। कौन भाषा है, जो दो सौ वर्ष तक एक रूपमें रह गई ? हमारे पळोसमें ही 'तमिलनाड' है। पहले वहाँ ८-१० शताब्दियोंसे भी पूर्व जो भाषा थी, वह आपकी वीसवीं शताब्दीकी 'तमिल'से पृथक् 'शन्तमिल्' कही जाती थी। उस समयके लोगोंके लिए बिना पूरा श्रम और समय लगाये उसका समझना असम्भव था।

में—तो आपकी रायमें भाषा और उसके साहित्यकी रक्षाका प्रयत्न ही निरर्थक है ?

महिला—नहीं, मैं यह नहीं कहती। भाषाकी भी यथावसर रक्षा होनी चाहिये। साहित्यको तो अधुण्ण रखना चाहिये। किन्तु केवल भाषाकी रक्षाके लिए मनुष्य जातिकी एकताका बलिदान नहीं किया जा सकता। उसकी रक्षाका काम जातिके कुछ आदमी कर सकते हैं। जिनकी भाषा-विज्ञान, इतिहास अथवा विशेष साहित्यकी ओर स्वाभाविक रुचि हो; यह भार उनके ऊपर निश्चिन्तता-पूर्वक छोड़ देना चाहिये। संसारका उपकार अनेक भाषाओंको सुदृढ़ करनेमें नहीं है, बल्कि सबके आधिपत्यको उठाकर एकके स्वीकार करनेमें है। जैसे अन्य हितके कामोंमें मनुष्योंका पूर्वका पक्षपात बाधक होता था, वैसे ही यह भी एक प्राचीन निरर्थक पक्षपात था। यह भ्रमपूर्ण पक्षपात ही तो था, जो भारत बीसवीं शताब्दीमें नाना जातियोंमें विभक्त हो आपसहीमें कट-मर रहा था। यह वही अन्ध-विश्वास था, जिसके कारण इंग्लैण्ड 'दशमलव' तथा 'मात्रिक' परिमाणोंको फ्रांसका समझ कर, उसे अधिक उपयोगी और शुद्ध होने पर भी कबूल न करता था। अब उस पक्षपातका संसारमें स्थान नहीं। अब संसारके सभी स्थानोंमें अर्थ-शास्त्रीय दृष्टि एक है। एक समय था कि भारतमें ही हिन्दी-उर्दूका झगडा था। समय आया कि वह झगडा मिट गया और दोनोंकी प्रतिनिधि 'भारती' भाषा भारतकी राष्ट्रीय भाषा हुई। फिर बड़ी मुश्किलसे सारे प्रान्तोंने देवनागरी वर्णमालाका प्रान्तीय भाषाओंकी वर्णमाला होना स्वीकार किया। अन्तमें तो अब सबने 'भारती' भाषाको ही मातृ-भाषा बना लिया। पुरानी भाषा अब भी पढ़ी जाती है। अब भी उसके साहित्यका रस लिया जाता है, किन्तु उस संकीर्णताके साथ नहीं।

सभी तो साहित्य-सेवी नहीं होते। जिनकी रुचि होती है, उनके पढ़नेका पूर्ण प्रवन्ध है। इस समय कितनी आसानी है? मुझे सार्वभौमी भापाके द्वारा आस्ट्रेलिया, सम्पूर्ण एशियामें घर-सा ही मालूम पड़ा।

मैंने उक्त विदुषीके इन भावोंको बड़े ध्यान-पूर्वक सुना। पूछने पर मालूम हुआ कि आपका नाम गार्गी है। मैंने यात्राके वारेमें पूछा तो पता लगा कि आप आस्ट्रेलियामें कुछ दिन रहकर 'वोनियो' होती हुई 'निप्पोन्' (जापान) गई। मैंने बीचमें यह भी पूछा था कि आस्ट्रेलियामें आवादी कितनी है। उन्होंने बताया, १६ करोड़। चीन, भारतवर्ष और जापानकी घनी आवादी-वाले देशोंके बहुतसे लोग वहाँ जा-जाकर बस गये हैं। पहलेके इंग्लैण्ड, आदि देशोंके बसे हुए भी लोग हैं, किन्तु उनकी संख्या इतनी आवादीमें बहुत कम है। यह भेद भी ऐतिहासिकोंके महत्त्वका है। वहाँवालोंके लिए तो कोई भेद ही नहीं। मैंने पूछा—'फूजीयामा'को भी निप्पोन्में देखा? वहाँ १९२३ के चन्द्र घंटोंके भूकम्पने सात लाखकी बलि ले ली थी? उत्तरमें उन्होंने 'हाँ' कहा। पीछे वह नानकिन चली आई। फिर पेइपिंगसे मंचूरियाके कई स्थानोंमें घूमती आप साइबेरिया पहुँची। वहाँसे उत्तरी ध्रुवका दर्शन करती हुई साइबेरिया मंगोलिया, और तिब्बत होती अब अपने विद्यालयको लौट रही हैं। ज्योतिष-शास्त्र और भूगोलसे आपका बड़ा प्रेम है। इन्हीं दोनोंके सम्बन्धमें आपने यह बड़ी यात्रा की है। हाँ, साथमें आपके दो और अध्यापक रहे, जिनमें एक 'विश्वभारती'के प्रोफेसर हक और दूसरे अलीगढ़ विश्व-विद्यालयके प्रोफेसर विश्वनाथ। वह दोनों संज्जन भी सामनेकी बेंचों पर बैठे थे। पहले उन्होंने भी अभिवादन किया

था, किन्तु मुझे कुछ मालूम न हुआ था। बात यह है, वस्त्र तो अब सबके एकसे होते हैं, जब तक विशेष वार्तालाप न हो, अथवा कोई परिचय न कराये, तब तक कैसे जाना जा सकता है कि कौन किस योग्यताका है?

आज-कलके जेल भी दूसरे ही प्रकारके हैं। बीसवीं शताब्दीके जेलोंसे इनका मुकाबिला क्या? क्या यहाँके कैदियोंकी जरा-जरा-सी बातमें गाली और जूतोंसे पूजा होती है? ऐसी बात सुनकर तो आजके लोग पहलोंकी बुद्धिपर अफसोस करेंगे। आजकल तो कहा जाता है, अपराध भी मनुष्य किसी मानसिक रोगके कारण करता है; उसकी चिकित्सा होनी चाहिये—उसको शिक्षा देकर सुधरनेका अवसर देना चाहिये। भला वह लोग क्या शिक्षा देंगे, जिन्हें कैदी अपने ही जैसा चोर-डाकू जानते हैं? इसीलिए आज-कलके जेलर होते हैं अत्यन्त नम्र, मानस-शास्त्र और आयुर्वेदके पारंगत विद्वान्। कितने ही अपराधियोंके लिये शल्य-चिकित्साकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। रोगीको जिस प्रकार सावधानी और शान्तिसे रखा जाता है, वैसे ही अपराधीको। दंड केवल इतना ही समझिये कि उसकी पूर्ववत् स्वच्छन्दता नहीं रहती। भोजन वैसे ही सुन्दर, वस्त्र वैसे ही बढ़िया, मकान-शिक्षा आदिका प्रबन्ध भी अत्युत्कृष्ट। वहाँ ऐसे शिक्षक-जेलरकी शिक्षामें रहकर वह सुधर जाता है। पीछे फिर अपने कार्यपर जाता है। जैसे आजकल रोगियोंकी संख्या अत्यन्त अल्प है, अपराधियोंकी संख्या तो उससे भी अल्प है। बात यह है कि धनी-गरीब तो कोई है नहीं, जो वस्तु, भोजन, वस्त्र और गृह-सामग्री एकके पास है वही दूसरेके पास भी है। जब पर्याप्त तथा वैसे ही सुंदर कोट-कमीज मेरे पास



हों, जैसे कि दूसरोंके पास, तो मैं क्यों चुराऊँगा ? पेट-भर खानेके लिए सभी स्वादिष्ट पदार्थ मुझे, मेरी स्त्री, मेरी ललकी और मेरे ललकोंको बिना चोरी या दगावाजीके मिलते हैं, तो मैं वैसा क्यों करने जाऊँगा ? कोई चीज चुराकर बेचूँ, तो पहले दुनियामें न खरीदार ही हैं; न रुपया । रुपया लेकर भी क्या करना है ? बुढ़ापेके लिए ? सो तो राष्ट्रकी ओरसे वृद्धोंके लिए परिचारक तथा सब प्रकारके आरामका वैसा ही प्रबन्ध है, जैसा रोगियोंके लिए । फिर रुपयोंकी आवश्यकता ? बेटों-बेटियोंके लिए ? यह भी नहीं । तीन वर्ष तक राजकुमारोंकी तरह उनके पाले जानेका वर्णन हो चुका है । तीनसे बीस वर्ष तक भी उसी प्रकारके आरामके साथ उत्तम-से-उत्तम शिक्षासे भूषित होनेका प्रबन्ध राष्ट्रकी ओरसे है ही । शिक्षा-समाप्तिके बाद योग्य विदुषी कन्यासे इच्छानुसार व्याह, बिना वारात, जेवर, दहेज आदिके झगळोंके हो जाता है । तब रुपयेसे मतलब ! ✓

इस प्रकार चोरी तो आजकलके शासनमें असम्भव है । जमींदारी, काश्तकारी, माल-मिलिकियत किसीकी है ही नहीं, सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं । फिर दीवानी-अदालतोंका खात्मा ही है, साथ ही जमीनके दखल-देदखल आदिके झगळे, मार-पीट, खून-खराबीका होना भी बन्द है । आवकारीका कानून, फँक्टरीका कानून, सिक्कोंका कानून, स्टाम्पका कानून, हथियारोंका कानून इत्यादि हजारों कानूनोंकी जळें ही कट गई हैं । इनमेंसे बहुत-सी चीजोंका संसारसे ही नाम उठ चुका है । अब अपराध यह हो सकता है कि बातके लिए कहीं तकरार होकर झगळा हो जाय ।

स्त्री-पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं । दोनोंका पति-पत्नी-बंधन प्रेमका है ।

पतिका पत्नी पर उतना ही अधिकार है, जितना कि पत्नीका पति पर। वह पुरुष होनेसे उसपर कोई विशेष अधिकार नहीं रखता। व्याह भी दोनोंके युवा होनेपर, सुशिक्षित तथा सुचतुर होनेपर, दोनोंकी पूर्ण स्वीकृतिपर, विना किसी दबाव और विना किसी धनादिके प्रलोभनके होता है। ऐसी अवस्थामें दोनोंका प्रेम स्थायी होना ही स्वाभाविक है। किन्तु यदि निर्वाह न हो सके—किसी कारणसे अथवा पहले जल्दी करनेसे भूल हुई—तो अब भी दोनों स्वतंत्र हैं। दोनोंके रास्ते खुले हैं। दोनों व्याह-सम्बन्ध-विच्छेद करके अपना-अपना रास्ता ले सकते हैं। उनके वैसा करनेमें समाजकी ओरसे कोई बाधा नहीं।

इतना होने पर भी यदि बदचलनीसे कहीं झगळा, फसाद या मार-पीटका मौका आ जाय, तो इससे भी जेलके लिए कैदी मिलते हैं। अनिवार्य तथा बहुत ताकीद करने पर राष्ट्रीय नियमोंको न पालन करनेपर भी मनुष्य जेल भेजा जा सकता है। संक्षेपमें अपराधी होनेके यही तीन-चार कारण हैं।

इनके देखने तथा बीसवीं शताब्दीके अपराधोंसे मिलानेहीसे ज्ञात होगा कि कैदी कितने रह जायेंगे। मालूम हुआ, नेपाल प्रदेश भरमें एक ही जेल है, जिसमें कुल ५० कैदी हैं। बिहारमें भी एक ही जेल है, जिसके कैदियोंकी संख्या कभी सौसे ज्यादा नहीं हुई। ऐसी बात भारतहीके प्रान्तों-में नहीं, दूसरे देशोंमें भी है। पुराने जमानेमें चोरीके लिए बड़े-बड़े दण्ड मुकर्रर किये गये थे, जिसका कि अस्तित्व ही शासन-प्रणालीके दोष पर था। दूसरोंके परिश्रमकी कमाईको कानूनकी भूल-भुलैयामें डाल

कर हलप जानेवाले तो महाजन, महापुरुष; और रात-दिन खून-पसीनेको एक कर अपने और अपनी सन्तानका पेट न भरनेसे लाचार होकर, उसी पराये मालके हलपनेवालेकी लूटकी डेरीसे अपनी प्राण-रक्षा भरके लिए थोळा ले लेना बहुत भारी अपराध समझा जाता था। बात यह है कि उस समयकी धारणा ही दूसरी थी। दो-चार आदमियोंको लेकर दूसरेका धन हरनेवाले चोर, सी-पचास लेकर दिन दहाळे लूटनेवाले डाकू, दस हजार लेकर दूसरोंकी जन्मभूमि छीन लेनेवाले विजयी—दिग्विजयी—कहलाते थे। सिकन्दर और एक डाकूमें तात्त्विक दृष्टिसे तो कोई भेद नहीं; केवल परिमाणका भेद था। परिमाणके भेदसे तो कुछ और ही होना चाहिये था, क्योंकि थोळे पापवाला थोळा पापी, बळे पापवाला बळा पापी होता है। इस तरह तो सिकन्दर आदि बळे चोरोंकी बळी निन्दा होनी चाहिये थी, किन्तु वह दुनिया ही दूसरी थी। चोर कौन कहे, उलटे लोग उन्हें प्रतापी, महाप्रतापी, दिग्विजयी, विश्वविजयी कहने लगे। सारांश यह कि उस समयके अनेक अपराध कृत्रिम तथा बलात्कारसे कराये जाते थे।

हमारी गाळी दनादन चली जाती थी। कहीं चढ़ाई और कहीं उतराई, तो कहीं पहाळकी सुरंगमें होकर रास्ता था। अभी आस-पासके पहाळों पर अनेक प्रकारके फलोंका ही वागीचा था। आखिर कुछ घंटों चलनेके बाद हमारी गाळीने पहाळ छोळा। अब घने जंगलोंका रास्ता था। पुराने-पुराने शालके ऊँचे और मोटे वृक्ष थे। बीच-बीचमें और भी बळे-बळे दरख्त थे। मुझे मालूम था ही कि इस तराईमें बाघ और हाथी कई तरहके जानवर होते थे। मैंने उनके बारेमें पूछा। मुझे बतलाया गया कि इन जंगलोंमें उन

हिंसक जीवोंका नाम नहीं। सारे हिंसक जीव मार डाले गये हैं। उनके मूलकी रक्षा प्राणि-संग्रहालयोंमेंकी जाती है; जो दो-चार नर और मादा रखे गये हैं, उनके खानेके लिए नकली मांसके टुकड़े दिये जाते हैं, जिन्हें वह पहिचान नहीं सकते। हाथियोंको भी फँसा-फँसा कर जंगल खाली कर दिया गया है। उनका भी जाति-उन्मूलन-क्रियासे प्रायः विनाश-सा ही कर दिया गया है। अब केवल प्रदर्शनी तथा विद्याके उपयोगके लिए कुछ रखे गये हैं। अब यह जंगल निष्कंटक हो गया है।

अभी दो-तीन कोस गये होंगे कि एक स्टेशन आया। यहाँका माल-गोदाम बहुत भारी तथा यहाँसे दो लाइनें जंगलोंकी ओर गई थीं। उनके बारेमें पूछनेपर मालूम हुआ कि ये लाइनें दूर तक गई हैं। यहाँसे पूर्व, थोड़ी दूरपर, एक बड़ा भारी ग्राम है, जिसका नाम कागज-ग्राम है; जिसमें दस हजार लोग बसते हैं। वस्तियोंका ढंग दूसरे ग्रामोंका सा ही है। वहाँके निवासियोंको भी किसी प्रकारकी सुख-सामग्रीसे वंचित होना नहीं पड़ता। कागज-ग्राममें कागजका बड़ा भारी कारखाना है। लकड़ियोंके काटने, टुकड़े करने, उठाकर कारखाने तक लाने, चीरने-फाड़ने, पकाने-गलाने, 'पल्प' तैयार करने, कागज बनाने, काटने, तह लगाने, आदि सभी कामोंके लिए बिजली-द्वारा चलाई जानेवाली मशीनोंका प्रयोग किया जाता है। यहाँसे कागज तैयार होकर छापाखानोंमें जाते हैं। रद्दी कागज, सल्ले-गले कपड़ों आदिसे भरे रेलके डब्बे मँने स्टेशनपर खड़े देखे जिनके बारेमें मालूम हुआ कि यह सब कागज बनानेके लिए जा रहे हैं। पता लगा कि कागज बनानेके सभी उपकरण, वाँस, घास, लकड़ी आदि यहाँ प्रचुर

परिमाणमें हैं। अतः यहाँ इसका कारखाना खोला गया है। वहाँसे आगे लकड़ीके भी कारखानोंवाले ग्राम हैं। जिनमें मशीनों-द्वारा लकड़ीके तख्तोंको चीरकर चौखट, कियाळ, चौकी, तिपाई आदि सभी काठके सामान बनाये जाते हैं।

अब हमारी गाड़ी और आगे चली। मैंने मन-ही-मन विचार किया, अब थोड़ी देरमें जंगलसे पार हो जायेंगे। किन्तु इतनी देर होने पर भी देखा, अभी तक गाड़ी जंगलहीमें जा रही है। अब जंगलमें ज्यादा वृक्ष 'सागौन'के थे। मैंने पूछा, ऐसी लकड़ियाँ तो इधर नहीं देखी थीं। विश्वामित्रने कहा—यह लकड़ियाँ ही नहीं, पहले यहाँ खेत और गाँव बसे थे। यह सौ वर्षसे कुछ ऊपरकी बात है जब यहाँ 'सागौन'का जंगल लगाया गया, अब तो इनसे लकड़ीकी चीजें बनानेवाले यहाँ कई ग्राम हैं। इस तराईके लकड़ी और कागजके कारखानोंके बने लकड़ी और कागजसे आधे भारतवर्षका काम चलता है। इस जंगलसे वृष्टि होने और आगेके पहाड़ोंमें तरावट आनेमें भी मदद पहुँची है। तराईके सागौन और शालकी लकड़ी बड़ी दृढ़ और सुन्दर होती है।

गाड़ी बीचमें दो-दो, तीन-तीन मिनट रुकती दनादन चली जा रही है। जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष मेरे आनेका समाचार सुनकर देखनेके लिए स्टेशनोंपर आये हुए हैं। उतरनेका तो कोई काम नहीं। खिळकीपर बैठा ही हुआ हूँ, सफेद बड़ी-बड़ी दाढ़ी खुद ही परिचय करा देती है। गाड़ी रुकते समय थोड़ी देरके लिये हमारी बात कट जाती है; नहीं तो बराबर गाड़ीकी तरह वह भी चलती ही जाती है। अब हम लोग जंगलोंके बाहर

चले आये। अब सलककी दोनों ओर हरी-हरी घासोंका मैदान है। मंने पूछा—क्या जेठ मासमें भी अभी घासें हरी हैं। क्या तुम लोगोंने और चीजोंकी भाँति वादलोंको भी तो अपने कावूममें नहीं कर लिया ? अध्यापक हकने कहा, हाँ; अब वृष्टि कराना भी हमारे हाथमें हो गया है; आवश्यकता पळने पर विज्ञान-द्वारा वृष्टि कराई जाती है। किन्तु, यहाँ तो समय-समय पर हरी घासोंको जगह-जगह फँले हुए नलोंके जलको खोलकर सींच दिया जाता है। वृष्टि ऊँचे, सूखे पर्वतोंको हरा करनेके लिए कराई जाती है। नहीं देख रहे हैं, भूमि कौसी समतल, पानीके तलके बराबर है ? मंने पूछा, बरसातका पानी भूमिको काट-काटकर ऊभळ-खाभळ नहीं बना देता ? इसपर उन्होंने कहा, पानीकी चलती तो वह ऐसा करनेमें कब चूकता, किन्तु अब उसका रास्ता निर्दिष्ट है। कितना ही पानी बरसे, उन पक्के रास्तों अथवा नलों-द्वारा बळे नालोंमें होकर नदीमें पहुँचा दिया जाता है। रेलकी सलकको नहीं देख रहे हैं, कदम-कदमपर लोहेके पुल बंधे हुए हैं। जलके रास्तेपर कहीं जवर्दस्ती नहीं है।

अब गायोंके झुण्ड चारों ओर बिखरे हुए बळे सुन्दर दिखाई देने लगे। अब तक तो सलकके किनारे तार नहीं गळे थे, किन्तु अब तो तार भी बराबर गळे हुए थे, जिसमें गायें चलती गाळीके आगे न आ जायें। बहुत ही सुन्दर और बळी-बळी गायें थीं। जिनकी सूरत देखते रहनेको तवियत चाहती थी। गायोंसे बछळे अलग करके दूर चराये जा रहे थे। हरी-हरी घासोंको बळे प्रेमसे गायें चर रही थीं। मंने कहा, अब दाना-खलीकी इन्हें क्या आवश्यकता ? इसपर अध्यापक विश्वनाथने कहा—

तब भी खली, मक्काका दाना, कण, और चोकर इन्हें दिया जाता है। सायं-कालको थानपर जाते ही इनको यह स्वादिष्ट व्यारू कराया जाता है। मैंने जगह-जगह देखा कि लम्बे-लम्बे पक्के हीजोंमें साफ पानी लवालव भरा हुआ है। पानी इनमें बराबर आता और निकलता रहता है। यहाँ गायें आकर पानी पीती हैं; जगह-जगह हरे-हरे वृक्षोंकी छाया है। कुछ गायें वहाँ भी वंठी जुगाली कर रही हैं। गायोंके झुंडमें कई भीमकाय साँळ भी दिखाई दिये। इनमें कुछ चर रहे हैं, और कुछ 'अव्-भाँ' कर रहे हैं। साँळोंके देखते ही मुझे एक बात स्मरण आगई और मैंने अध्यापक हकसे पूछा, आप लोग खेत तो विजलीके हलसे जोतते हैं; और गाळी भी विजलीहीसे चलाते हैं; बैलोंके खानेवाले भी नहीं। साँळ रखनेको सौंपर दो-तीन बैलोंकी आवश्यकता पळती होगी, फिर इतने बछळे, जो पैदा होते होंगे, किस काममें आते हैं?

हक—कितने बछळे? हमलोग पैदा ही इतने बछळे होने देते हैं, जितने साँळोंकी आवश्यकता है। बाकी बछियाँ ही पैदा कराई जाती हैं।

मैं—तो क्या अब आपने यह विद्या भी पा ली है?

हक—हाँ, जो-जो आवश्यकता और कठिनाई मार्गमें आती गई, हमने परिश्रम किया और उसका हल भी मिल गया।

मैंने हँसते हुए कहा—भाई! तुमने सब बातोंमें कमाल किया। सब कठिनाइयोंको सहल और असम्भवोंको सम्भव बना दिया। तुम शायद एक भी असम्भव बात न जानते होंगे। यही गायें हैं, जिनको लेकर २०वीं और उससे पूर्व शताब्दियोंके हिन्दू-मुसलमान प्रलय तक एक दूसरेके खूनके प्यासे वन बैठे थे।

हक—वे हमारे पूर्वज चले गये, उनके लिए अब कुछ कहना तो ठीक नहीं, तो भी यह निरा अज्ञान था। दोनों अपनी हमेशाकी भलाईकी ओर नहीं देखते थे। सोना लुटा जा रहा था और कोयलोंपर लठ्ठम-लठ्ठ करते थे। सचमुच आज-कल जब कभी हमलोग उन पुरानी बातोंको पढ़ते हैं, तो हँसी आये बिना नहीं रहती।

अब मालूम हुआ कि अगला स्टेशन गो-ग्राम है। मैंने गो-ग्रामके विषयमें बहुत कुछ दर्याफ्त किया; जिसका सारांश यह है। इस ग्राममें पाँच हजार आदमियोंकी बस्ती है। असलमें आदमियोंकी बस्तीको तो गो-ग्राम न कहकर गोपाल-ग्राम कहना अच्छा होगा। क्योंकि गाँवमें तो एक भी गाय नहीं रहती। गाँव स्टेशनसे लगा हुआ है। गायोंका गोष्ठ वहाँसे एक मीलकी दूरीपर है। चरनेका मैदान तो कई कोसमें है। इस मैदानमें जहाँ-तहाँ घासके ताळ बराबर ऊँचे ढेर लगे हुए हैं। गाय-बच्चे मिलाकर सब एक लाख तक पहुँच जाते हैं। इनमेंसे प्रायः आधी तो दूध देनेवाली गायें ही होती हैं। भला, इतनी गायोंको कौन दुह सकता है? बात यह है कि विज्ञानने जैसे और कठिनाइयोंको सरल कर दिया, वैसे ही इसे भी सरल कर दिया है। गायें पाँतीसे खळी रहती हैं; उनके बीचसे मोटे-मोटे नल गये रहते हैं; और इन नलोंसे निकले छोटे नल गायोंके नीचे जाते हैं; जिनमें लगी रबळकी नलियाँ स्तनोंमें लगा दी जाती हैं। वस, मशीन-द्वारा सभी दूध दूहकर बड़े नलों-द्वारा, रेलकी लाइनपर खळी दूधकी गाळियोंके डब्बेमें जाकर गिरता है। डब्बे भरते जाते हैं और जिन-जिन गाँवोंमें उनका खर्च है, वहाँ रवाना होते जाते हैं। यहाँ दूध बिना



हवा देखे ही, डब्बोंमें बन्द हो जाता है । वहाँ भी उसे हवाका साक्षात्कार नहीं होता । बड़े वर्तनसे छोटे वर्तनोंमें भी ऐसे ही नलोंके द्वारा उसे ले जाया जाता है । खर्चवाले गाँवोंमें जाकर भी बन्द ही उसको विजलीकी आँचसे गर्म कर दिया जाता है । पीनेके वक्त ही वह दूध जरा देरके लिए हवाका मुख देखता है । गो-ग्राममें दूध गर्म करने आदिका कोई बखेळा नहीं । यहाँवालोंका काम है गौओंकी हिफाजत करना, उनकी अच्छी सन्तान पैदा करना, दूध निकालना, स्थान-स्थानपर आवश्यकतानुसार भेजना और बस । व्याई, विन व्याई, बच्चे, सबके लिए चरने और रहनेके पृथक्-पृथक् स्थान हैं, जहाँसे विना मर्जीके अपने आप वह इधर-उधर नहीं आ-जा सकते । गाय, भैंस, भेळ, बकरीके गाँवोंमें कुछ घोळे भी पाले जाते हैं । चरवाहे घोळोंपर चढ़कर इच्छानुसार अपने गल्लेपर शासन करते हैं । बीमार, बुड्ढे पशुओंके आराम और चिकित्साका वैसा ही प्रबन्ध है, जैसा कि मनुष्योंके लिए । गाँवके लोग अपनी ड्यूटीके अनुसार आ-आकर काम करते हैं । गो-ग्राम खेतीवाले ग्रामोंको लाखों मन खाद देता है । यह खाद बराबर रेलोंपर लादकर पहुँचाई जाती है ।

अगला स्टेशन भैंस-ग्रामका था । चरनेका वही मैदान आगे भी बढ़ता चला आया था । जैसी सुन्दर और विशाल गायें देखी थीं, वैसी ही भैंसे भी दिखाई पड़ीं । इनके सामने हाँसी-हिंसारकी बीसवीं शताब्दीकी भैंसे तुच्छ हैं । काली-काली देह । इनके स्तन बोटलकी भाँति झलकते थे; जिनको देखनेहीसे मालूम होता था कि यदि एक मन नहीं, तो कुछ ही कम दूध देती होंगी । भैंस-ग्रामके विषयमें मालूम हुआ कि यहाँ भी उतनी भैंसें हैं,

जितनी पिछले गो-ग्राममें गायें । हकका उत्तर सुनकर मैंने फिर न पूछा—  
साँझसे अधिक भैंसोंका क्या होता है ? भैंसोंको पानीमें बैठनेसे बड़ा प्रेम है;  
इसके लिए स्थान-स्थानपर चौड़े-चौड़े कुण्ड बने हुए हैं, जिनमें पानी आता  
बीर निकलता रहता है । खाने-पीने, रहने, दवाई-दर्पन सबका प्रबन्ध गो-  
ग्राम-सा ही है । किन्तु भैंस-ग्राममें दस हजार आदमी बसते हैं, जिनके  
लिए काम भी विशेष है । बात यह है कि गायोंकी भाँति भैंसोंका दूध नहीं  
भेजा जाता । भैंसोंका दूध बैद्यकी सम्मतिसे कहीं थोड़ा-बहुत भेजा जाता  
है । नहीं तो सब दूध मशीन-द्वारा मयन करके दूहनेके बाद ही, मक्खन  
निकाल लिया जाता है । यह मक्खन बर्फसे रक्षित गाळीके डब्बोंमें बन्द  
करके स्थान-स्थान पर भेजा जाता है । आवश्यकताके अनुसार मक्खनसे  
घी बनाकर भी भेजा जाता है ।

“किन्तु; क्या मक्खन निकालकर हजारों मन दूधका अवशिष्ट भाग  
रोज फेंक दिया जाता है ?”

“नहीं, यहाँ बटनोंका बड़ा भारी कारखाना है । दूधका सफेद घन  
भाग रासायनिक प्रक्रियासे पृथक् करके उनसे नाना रंग-विरंगके बटन  
बनते हैं । बटन ही नहीं, कितने दरवाजों, मशीनों आदिके सफेद हैंडलोंके  
लिए भी इसका उपयोग होता है, जिसमें आदमीका हाथ छूनेसे काला न हो ।  
एक ओर त्रिजलीने घूँँको संतारसे बिदा कर दिया, तो दूसरी ओर इधर  
इसने हाथका काला होना भी बन्द कर दिया है । आज क्या फैक्टरीके  
आदमीका रंग काला होता है ? आर्ट पेपरपर चिकनाई लानेके लिए भी  
इस दूधकी सफेदीका प्रयोग होता है । अब हायी-दाँत तो पैदा नहीं होता

किन्तु यह निस्सार दूध उसके कामके साथ और बहुत-से काम भी कर डालता है।”

घासोंके टाल तो मंने जगह-जगह देखे थे, किन्तु पयाल, भूसाका गंज कहीं न मिला। पूछनेपर मालूम हुआ कि धान और गेहूँ आदिके डंटे भी यद्यपि कल-द्वारा काटे जाते हैं, किन्तु साथ ही वाली थोड़े डंटेके साथ काटकर एक ओर रखी जाती है; और डंठलका बोझा अलग बँधता जाता है। यह डंठल और पयाल पीछे गाँठें बाँध-बाँधकर कागजके कारखानोंमें भेज दिये जाते हैं, जहाँ उनसे कागज बनाया जाता है। गाय-भैंसोंके खानेके लिए हरी और सूखी घास ही काफी होती है।

अब साढ़े तीनके तोपकी आवाज पासके किसी गाँवसे आई। हमारी गाळीवाले सभी लोग बेंचोंपर आकर बैठ गये। थोड़ी देरमें हवामें छतके तारके सहारे तैरता हुआ हमारे जलपानका तस्ता सामने आ गया। इस वक्त भोजन कुछ और ही नियामत थी। एक छोटी तश्तरीमें काली मिर्च लगाकर घीमें तले, नमकीन, हरी मटर तथा हरे चनेके दाने थे। एक-एक गिलास गन्नेका कच्चा रस दूधमें मिला हुआ अलग रक्खा हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ फल भी थे। मालूम हुआ, आज-कलके लोग पुराने गाँवोंकी इन नियामतोंसे भी महरूम नहीं हैं। बताया गया कि ऐसे ही सभी मौसिमकी चीजें बच्चे-बूढ़ों, पुरुष-स्त्रियोंके पास पहुँचा करती हैं। मक्काके दिनोंमें भुट्टे इसी तरह जलपानके समय पहुँच जाते यदि हम उस समय सफर करते। प्रसन्नता-पूर्वक हमारे गाळीके परिवारने जलपान किया। मेरे मनमें उस समय यह ख्याल आता था कि इसी युगके

वारेमें बीसवीं सतावरीके हिल्दू कहा करते थे कि आमें पोर पन्निभूम आवेगा। पृथ्वी नरक हो जावगी। यह तो सभी भूम स्वर्गके मायूम होने हैं। शायद उस युगके स्वानियोंके लिए गमस्त भूमंश्च-वागिसेवा इस प्रकार आनन्द भोगना नरक प्रतीत होता था।

हाथ-बाय धोकर, मागने पिछलीमें देगा, निचके रोतोंमें कौतों तक चनोंकी हरियाली लहरा रही है। चनोंके निचाय दूसरी कोई चीज ही नजर नहीं आती। पूछनेमें श्रात हुआ, अगला स्टेसन धालिग्राम है। वहाँ सिफें धान और चनोंकी रोती होती है। धानोंकी पसल पट जागैर उन्हीं रोतोंमें घने बो दिये जाते हैं। पचास-सनास बीघोंकी एक-एक पवारी थी, जिसके चारों ओर कौची मेंछें थीं। वासनाती, प्रियुनभोग, कनकशीय आदि उत्कृष्टतम धानोंको छोड़कर मोटे धानोंकी तो अब रोती ही एक तरहसे बन्द है। विद्यालयोंमें उनको मूल-रक्षा तथा परिचरके लिए धोन्डा बोया जाता है। बाकी रानेके लिए तो सब अच्छे-ही-अच्छे चावल है। यह धालिग्राम भी १० हजार आदमियोंका जाम है। वहाँ गेतीके अतिरिक्त चावल अलग करनेका भी कारखाना है। धान-मुटाईका काम भी वस मशीन हीसे। चावल तैयार होते जाते हैं, और स्वान-स्थानपर गाळियोंमें भर-भरकर रवाना होते रहते हैं। चनोंको दाल और देसन बनाकर तथा साबित भी चालान किया जाता है। पयाल तो कानजके कारखानोंहीमें चला जाता है। हाँ, धानकी भूसी तथा और कूळे-करण्टकी सड़टोंमें सळायकर, गाय बनाई जाती है। बाकी साद गो-ग्राम, भैंस-ग्रामसे आती है। कितने ही पशुओंके ग्रामोंमें हड्डी पीसनेके कारखाने हैं। मुर्दे पशुओंका, पहले दत्ता

दिया गया है, कोई चमळा नहीं उतारता। उन्हें गाळ दिया जाता है। पीछे सळी मिट्टी तो खादके स्थानपर भेज दी जाती है, और हड्डियाँ कलमें पीसकर चूर्ण कर दी जाती हैं। यहाँ उनसे बहुत-सी फास्फोरस भी निकाली जाती है, जिन्हें दियासलाई बनाने आदिके काममें लाया जाता है। यद्यपि सिग्रेटके बन्द होने तथा आगके स्थानपर विजलीके उपयोग होनेसे दियासलाईयोंका खर्च बहुत कम क्या, नहींके बराबर है; तब भी एकाध कारखाने दियासलाईके रखे गये हैं।

शालिग्रामका खेलका मैदान स्टेशनके पास ही सळकके किनारे था। देखा, सहस्रों स्त्री-पुरुष वहाँ जमा हुए हैं। 'फुटबाल' खेला जा रहा है। बड़े-बड़े जवान खेलमें लगे हुए हैं। ओह, अभी एक गोल हुआ—सारी दर्शक-मंडलीने प्रसन्नता प्रकट की। आगे इधर-कवड्डी जमी हुई है। हरी घासपर नंगे पैर, जँघिया और बनियाइन पहिने खिलाळी खेल रहे हैं। स्थान सळकसे लगा हुआ है, और गाळी भी स्टेशनके पास आनेसे बहुत धीमी पळ गई है ; इसलिए इनके पुष्ट, सुन्दर और स्वस्थ शरीर खूब दिखलाई पळ रहे हैं।

रेलोंकी सळकोंके नीचेसे जगह-जगह नहरें जाती दीख पळती हैं। विश्वामित्रने कहा—अब गण्डक, गंगा आदि नदियोंकी धारा उतनी मोटी नहीं मिलेगी, जितनी कि पहले थी। सारे देशमें नहरोंका जाल बिछा हुआ है। इन नदियोंके पानीका बहुत-सा भाग तो ऊपरसे ऊपर ही नहरोंमें ले लिया जाता है। सभी ग्रामोंमें यद्यपि अपने कारखानोंकी भाफके लिए पानीकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु सब कुछ हरा-भरा और साफ रखनेके

लिए उसकी बड़ी आवश्यकता है। खेती और बगीचेवाले गाँवोंको तो सींचनेकी भी हर वक्त आवश्यकता पड़ती रहती है। पानी और बिजली यही दोनों आजकलके संसारके प्राण हैं; बल्कि बिजली भी तो पानीहीसे तैयार की जाती है। इसलिए पानी आजकल सब कुछ है। इसका जैसा ही बड़ा भारी खर्च है, वैसा ही व्यर्थ व्यय भी न होने देनेकी ओर ध्यान है।

जंगल छोड़ते ही भूमि बराबर आ गई थी। अब पहाड़ भी दूर धुंधले बादलोंकी भाँति दीख पड़ते थे। चारों ओर मैदान-ही-मैदान था। बस्तीके पास ही वृक्ष थे, अन्यथा वृक्षोंका कहीं नाम न था। खेतोंमें खाद ले जाने तथा अनाज ढो लानेके लिए छोटी-छोटी गाड़ियोंकी पतली-पतली लोहेकी कळियाँ दिखलाई पड़ती थीं। चनोंमें यद्यपि फल लग गये थे, किन्तु अभी पके न थे—वह बिल्कुल हरे-हरे दिखलाई पड़ते थे, तोभी कहीं रखवालोंकी झोपड़ियाँ न दिखाई देती थीं। शालिग्राम स्टेशनसे कोसों आगे तक चनोंके खेत चले आये थे।

अब भूमि ऊँची आई। चनोंकी जगह पर बड़ी-बड़ी वालियोंवाले गेहूँके खेत हैं। सबकके दोनों तरफ जहाँ तक दृष्टि जाती है, हरे-हरे गेहूँ ही दिखलाई पड़ते हैं। हवाके झोंकोंसे हिलते हुए ये प्रशान्त सागरमें हल्की तरंगोंके समान मालूम देते हैं। गेहूँओंके स्वाद और आटेकी सफेदीके बारेमें क्या कहना है? किन्तु मुझे गेहूँके दाने अभी देखनेको न मिले थे। मैंने विश्वामित्रसे पूछा कि क्या हमारे समयके पूसा नं० ३ से भी यह दाने अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा—पूसा नं० ३ विद्यालयके संग्रहालयमें रक्खा हुआ है; वह भला इन गेहूँओंका क्या मुकाबिला कर सकता है? खेतकी

जुताई, कटाई, दँवाई आदि सभीके वारेमें तो इकट्ठा ही सुन चुका था कि विजलीकी कलों-द्वारा होती है। एक-एक हलमें बीस-बीस फाल पाँतीसे लगे रहते हैं, जो एक-एक हाथ गहरी भूमि खोदते चलते हैं। पीछेसे लगा पट्टेला (सिरावन)-ढेलोंको फोळता और भूमिको बराबर करता जाता है। बोनका काम भी मशीनों ही द्वारा होता है। पकी खेतीका काटना, बाँधना, ढोना, आदि सभी काम कलें ही करती हैं। अच्छी खाद और पर्याप्त जलकी अनुकूलतासे फसल जैसी चाहिये वैसी ही होती है। गेहूँओंके खेतोंमें सालमें दो फसलें होती हैं, बरसातमें मक्का और बाजरा बोया जाता है, फिर यह गेहूँ। मक्का और बाजरेको आजकल आदमी केवल भूट्टा और होलहाके तौरपर ही मौसिममें दो-चार दिन खाते हैं; बाकी इन्हें गाय-भैंसोंको दिया जाता है। इनके डंठल भी कागजके कारखानोंमें जाते हैं। हरा होनेपर कुछ पासके किसी पशु-ग्राममें भी स्वाद बदलनेके लिए भेज दिये जाते हैं।

इस गेहूँ-ग्राममें आटा पीसनेका बड़ा कारखाना है। यद्यपि सभी गेहूँके ग्रामोंमें खेतीके साथ-साथ पिसाई भी होनेका नियम नहीं है। किन्तु नजदीकमें और कोई ऐसा कारखाना न होनेसे इसकी आवादी दस हजार करके यहाँ कारखाना भी रखा गया है। आटा-मँदा सब यहाँसे तैयार होकर चालान होता है।

गेहूँ-ग्रामकी सीमा पार होनेपर आम-लीची आदिके वृक्ष दिखलाई देने लगे। पूछनेपर ज्ञात हुआ, अब हम मोतीहारीके पास आ गये। यह वगीचा एक विद्यालयका है। पहले बतलाया जा चुका है कि तीन वर्षके बाद लळके-लळकियाँ माता-पिता तथा जन्म-स्थानसे अलग करके विद्या-

लयमें भेज दिये जाते हैं। प्रत्येक ३०-४० ग्रामके बीचमें एक ऐसा विद्यालय रहता है, जिसमें दस-पन्द्रह हजार या कभी इससे भी अधिक बालक-बालिका पढ़ते हैं। इनमें प्रायः सब प्रकारकी साधारण शिक्षा देनेका प्रवन्ध होता है। सत्रह वर्ष तक बालक-बालिकायें इन्हींमें पढ़ते हैं। असाधारण प्रतिभाशाली, तथा किसी विद्याकी ओर विशेष प्रवृत्ति रखनेवाले बालक बीचमें भी एक विद्यालयसे दूसरे विद्यालयको—जहाँ उस विद्याका समुचित प्रवन्ध होता है भेज दिये जाते हैं। अध्यापकों या विशेषज्ञोंकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए यहाँसे किसी अन्य विद्यालयमें जाना पड़ता है, नहीं तो साधारणतया यहींसे शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी कार्यक्षेत्रमें उतरते हैं। सभी विद्यालयोंकी शिक्षा-दीक्षा और रक्षाका ढंग एक-सा ही है। विश्वामित्र जीने विशेष पूछनेपर कहा, यह सब बातें तो नालन्दामें आँखोंके सामने ही आयेंगी।

अब मोतीहारी नगर आया। क्या अब पुराने दर्शक पहिचान सकते हैं? बिल्कुल उलट-पुलट गया है। आवादी तो अब बिल्कुल दस हजार आदमियोंकीही है। किन्तु आजकी स्वच्छता, सुन्दरता और एकरूपता पहले कहाँ थीं? पहाळ पार करनेके बाद ही हम बिहार प्रान्तमें आ गये थे। मोतिहारी बिहार प्रान्तके 'विदेह' प्रदेशका एक जिला है। प्रान्तोंके नामोंमें इधर बहुत-कुछ परिवर्तन हुआ दीख पड़ता है। पुराना सारनका जिला इसी प्रान्तमें है। उसके पश्चिम काशी-कोसल प्रान्त लखनऊसे आगे तक चला गया है। उसके बाद कुरु-पाञ्चाल-मत्स्य शूरसेन प्रदेशोंका इसी नाम का एक प्रान्त है। दिल्ली इसी प्रान्तमें है, जोकि अब भी भारतकी राज-



धानी या राष्ट्रधानी है। इस प्रकार प्रान्तों तथा प्रदेशोंकेनाम पुराने रखे गये हैं। पिछली शताब्दियोंके इतिहास-सम्बन्धी स्थानोंके नाम भी ज्यों-के-त्यों रहने दिये गये हैं। यहाँ मोतिहारी नगरमें जिलाकी पंचायतका कार्यालय रहता है। सभापति और कार्यकारिणी के सदस्य अपने निर्वाचन-अवधि भर यहाँ ही रहते हैं। जिलाकी उत्पत्ति तथा आवश्यकताओंके अनुसार चीजें बाहर भेजने तथा मँगाने आदिका काम इनके कर्तव्योंमें एक प्रधान कर्तव्य है। जिलाके हिसाब-किताब तथा अन्य प्रकारके कागज-पत्रोंके साथ पुराने कागज-पत्रोंका भी यहाँ संरक्षणालय है। इसके और जिला आफिसके अतिरिक्त दूसरे सारे ही मकान बिना कोठेके हैं। गाँवों और शहरोंके घर-द्वार, रहन-सहन, खाना-पीना किसी बातमें भी कुछ भेद नहीं। अब वह पुरानी सळी गलियाँ और गन्दे मकान कहीं नहीं दिखाई पळते। जिलाकी पंचायतकी बैठकका यहाँ एक बृहद् भवन है। नगरवालोंका संस्थागार इससे अलग है। नगरमें एक छापाखाना है। जिला भरके आवश्यक कागज-पत्र यहीं छपते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कारखाना मशीनोंके सुधारने तथा पुरजोंके बदलनेका है।

आगे बढ़नेपर सळकके दोनों ओर दूर तक वाग-ही-वाग दिखलाई देने लगे। मैंने जलपानमें अमरूद और बेरके टुकड़े खाये थे। एक-एक बेर एक-एक छटाँकके थे, तिसमें तारीफ यह कि गुठलीका पता नहीं। अमरूदोंमें भी, सारा फल ढूँढ़नेपर कहीं एक बीज मिल पाता था। मिठास और सुगंधके लिए क्या कहना है? विश्वामित्रने बताया, यह फल भी वैसे ही होते हैं। अब घटिया वस्तु पैदा ही नहीं की जाती। यह सारा वाग

वेर-ग्रामका था। इस ग्राममें यही काम होता है। फल बारहों मास होते रहते हैं, अतः लोगोंको काम भी सदा मिलता रहता है। मालूम हुआ कि दूसरी तरफ इस ग्राममें जामुनका भी बाग है। इसमें भी वेरहीकी भाँति जाड़ किया गया है। अर्थात् आकार बहुत बड़ा; मिठास-सुवास अनूप; किन्तु गुठलीका पता नहीं।

बागोंके बाद एक बार फिर खेत-ही-खेत दिखलाई देने लगे। कितने ही खेतोंकी फसल तो कट गई थी, किन्तु ऐसे भी खेत थे, जिनमें कोसों फलियोसे लदी सरसों थी। मालूम हुआ, यह तेलग्राम है। यहाँ इन खेतोंमें पहले तिल्ली उत्पन्न की जाती है, पीछे सरसों बो दी जाती है। यहाँ तेल निकालनेका बड़ा भारी कारखाना है। खाने तथा सिरमें लगानेका तेल प्रदान करना यहाँवालोंका काम है। मैंने कहा—तब तो चाहे विजलीहीसे काम क्यों न किया जाता हो, किन्तु तेलसे कपड़े तो अवश्य रंगे जाते होंगे। विश्वा-मित्रने कहा—नहीं, पहले तो काम करनेके वक्तकी पोशाक ही सबकी दूसरी होती है; दूसरे, काम भी दूर-ही-दूरसे करना होता है। सभी काम तो मशीन और नल करते हैं। इन तेलोंके ले जानेवाली बहुत-सी गाड़ियाँ भी मैंने स्टेशनपर देखीं, जो पुराने समयके मिट्टीके तेलकी गाड़ियोंसे बहुत मिलती जुलती थीं। मैंने पूछा—सुगंधित तेल तो यहाँ नहीं बनता होगा? इसपर बतलाया गया कि सुगंधित तेलोंके कारखाने गाजीपुर, जौनपुर, कन्नौज आदि नगरोंमें हैं। वहाँ आस-पास कोसों दूर तक इसके लिए फूलोंहीकी खेती होती है। तिल वहाँ दूसरे स्थानोंसे जाता है, जिससे वहाँके लोग तेल तैयार करते हैं। ऐसे ही मालूम हुआ, साबुन तैयार

करनेके ग्राम हैं, जहाँ सावुन-ही-सावुन तैयार किया जाता है।

अगले स्टेशनपर अँचार-ग्राम लिखा दिखाई पड़ा। मालूम हुआ, यहाँ अँचार और मुरब्बेके सिवाय कोई काम ही नहीं होता। अँचारके लिए फल, तेल; इसी प्रकार मुरब्बोंके लिए अपेक्षित सामग्रियाँ उन-उन चीजोंके ग्रामोंसे आती हैं। यहाँवाले मशीनोंसे फलोंको काट, सुखा-पकाकर, अँचार तैयार करके अपने बड़े गोदाममें चीनी मिट्टीके बड़े-बड़े हौजोंमें रखते हैं। जब खाने लायक हो जाता है तो फिर जगह-जगह उसी प्रकार सावधानी-पूर्वक ले जानेवाली गाड़ियोंमें भेजा जाता है। यहाँके लोग अँचार बनानेकी विद्यामें बड़े पटु हैं। उनको इस विषयकी विशेष शिक्षा मिलती है। कटहल, बड़हल, आम, जामुन, आँवला, कदम्ब आदि सब चीजोंका अँचार बनता है। इन वस्तुओंके उत्पन्न करनेवाले अलग-अलग ग्राम हैं। और सभी वस्तुओंके आकार-प्रकार, गुणोंमें विज्ञानने आश्चर्य-जनक परिवर्तन कर दिया है।

आगे हमें सळकके किनारे दर्जी-ग्रामके अतिरिक्त दाल-ग्राम पड़ा। दाल-ग्राममें वर्षाकी फसलमें खेतोंमें उळद, मूँग और जाळेमें अरहर पैदा की जाती हैं। इनसे यहाँ दाल बनानेका बड़ा भारी कारखाना है। बाकी सब ढंग अन्य ग्रामों-सा ही है। इसके बाद कई-एक गाँव मिले, लेकिन सबमें कलमी आमों तथा लीचियोंका वाग ही था। यह वागोंका सिलसिला मुजफ्फरपुर होते गंगाके किनारे तक लगातार चला गया था। फलोंके रूप-गुणमें तो आश्चर्य-जनक परिवर्तन हुआ ही है, साथ ही फसल बारहो मास तैयार होती रहती है। कितने ही वागोंके वृक्ष सालमें दो बार फल

देते हैं। लीची और आमके फलोंमें गुठली अब बहुत छोटी-छोटी देखी जाती है; किन्तु, ऐसे भी फल तैयार किये जाते हैं जिनमें गुठली एकदम नहीं होती। सारा बिहार एक तरह आमों और लीचियोंका वाग है। अंग, मगध, विदेह इसके तीनों प्रदेशोंमें सबसे अधिक पैदावार इन्हीं दो फलोंकी है। यह फल यहाँसे भारतमें ही नहीं, यूरोप, अमेरिका तथा एशियाके सभी भागोंमें भेजे जाते हैं। वर्षकी गाळियोंमें वह इस प्रकार भेजे जाते हैं कि महीनों रखनेपर भी नहीं बिगळते। आमोंका आमरस भी तैयार किया जाता है; और उसके बनाने और रखनेकी ऐसी क्रिया और प्रबन्ध है कि खानेपर ताजे आमोंका स्वाद आता है।

दाल-ग्रामसे कुछ ही आगे आये थे कि अँधेरा हो गया। फिर मैं कुछ आगेके ग्रामोंकी वात पूछता और सुनता रहा। आठ बजेके भोजनको समाप्तकर थोड़ी देर और वार्तालाप किया। अब सारी ट्रेन विजलीके प्रकाशसे जगमगा रही थी। इसके बाद मैं सो गया। चार बजेका समय था, जब हमारी गाळी गंगाका पुल पार करने लगी। हमने कहा अब विदेह छूटता है और मगधमें प्रवेश होता है। यह पटना देवानम्पिय पियदस्ती राजाकी पुरी आई। मैंने एक बार जो अपनी यात्राके अब तकके दृश्यको अपने सामने फिर रखा, तो विचार हुआ, अबके लोग बड़े चतुर हैं। पहले का प्रत्येक आदमी चाहता था कि संसारकी सभी वस्तुयें वहीं पैदा कर ले। इस प्रकार एक ही गाँव अपनी आवश्यक सभी सामग्रियोंको पैदा करनेकी कोशिश करता था। अब तो एक गाँवके हजारों आदमी एक ही चीज पैदा करते हैं। दर्जीग्राम कपड़ा तैयार करनेवाले ग्रामोंसे कपड़ा लेकर स्त्री-

पुरुष-बच्चोंके लिए, तरह-तरहके नापके वस्त्र तैयार करता और आई हुई माँगोंके अनुसार वहाँ-वहाँ रवाना करता है। उसके कुछ आदमियोंको रसोई बनाना पळता है; किन्तु उसे न अनाज पैदा करनेसे सम्बन्ध; न आटे-चावलके भावसे प्रयोजन; न लाठीसे गाय-भैंस चरानेका काम; न आलू-बैंगन-गोभी बोलनेसे मतलब; न ऊख पेल कर चीनी-गुळ तैयार करनेका प्रयास; अर्थात् उसके लिए अपेक्षित अन्य सभी वस्तुयें दूसरे ग्राम तैयार करते हैं, जिनके कि कपड़ोंकी आवश्यकता वह पूरा करता है। इकट्ठा बहुत-सी चीजें कलों-द्वारा तैयार करनेमें श्रम और समय कम लगता है। कहीं पहले लोगोंके दिन-रात लगे रहने पर वही मसल थी कि यदि सिर ढँका तो पैर नंगा, यदि पैर ढँका तो सिर नंगा। किन्तु यहाँ हफ्तेमें पाँच दिन और रोज चार ही घंटे प्रत्येक व्यक्तिको काम करना पळता है और इतनेहीमें स्वर्ग-सुख भोगनेकी सभी वस्तुएँ प्रस्तुत हो जाती हैं। पहलेकी सारी जिन्दगी जिन्दगीहीके लिए थी। आदमी रात दिन लगे रहकर तब अपने और अपने बाल-बच्चोंका पेट भर, तन ढाँक, जीवन-रक्षा करता था; दूसरे कामके लिए मुश्किलसे समय निकलता था। यहाँ मैं उन आदमियोंको नहीं गिनता हूँ, जिनका जीवन परायेंकी मेहनत पर निर्भर था। उस समय मनुष्य कैसे अपने जीवनका कोई उच्च लक्ष्य रख सकता था जब कि इस प्रकारकी आपत्तियोंमें उसे पळा रहना पळता था? किन्तु अब तो अवस्था ही दूसरी हो गई है। ४ घंटे काम; बाकी २० घंटे सोना, पढ़ना, नृत्य-भान, सत्संग, विद्याव्यसन, परोपकार-चिन्तन, साहित्य-सेवा आदि सभी कामोंके लिए बचा हुआ है। इतनी सुखकी

सामग्रियोंसे घिरे रहने पर भी उसके लिए अपने जीवनका सर्वांश अर्पण नहीं करना पळता। प्रबन्ध कैसा है? वर्षमें नौ मास अपना कर्तव्य पालन करके आप तीन मास सैर-सपाटा भी कर सकते हैं, चाहे पृथ्वीके किसी भागमें भी स्वतंत्रता-पूर्वक घरकी भाँति सानन्द रेल, जहाज या विमान-द्वारा विचर आ सकते हैं। अपने-अपने कार्यक्षेत्रके चुननेमें भी स्वतंत्रता है। केवल योग्यता होनी चाहिये। फिर भारतीय अंगूरकी खेतीका जानकार फ्रान्समें जाकर बस सकता, रह सकता है।

पटनामें नालन्दा जानेवाली गाळी तैयार मिली। हमारी गाळीकी यहीं तक पहुँच थी। अन्य साथियोंसे विदा हो में और विश्वामित्र नालन्दा की गाळी पर जा बैठे।

---

## अपूर्व स्वागत

अब हमारी गाळी दनदनाती नालन्दाके पास जा रही थी । प्रातः कालका समय था । भगवान भुवन-ज्योति यद्यपि अभी पूर्वके क्षितिजपर दिखाई नहीं पळते थे, किन्तु उनके आनेका सम्वाद उपकालीन रक्तिमा दे रही थी । दूर कृषि-विद्यालयके वृक्षोंके ऊपरसे यह लालिमा वैसे ही दीख पळती थी जैसे अँधेरी रात्रिमें दूरसे दिखलाती दावाग्नि । मानो भगवान भास्कर संसारके अन्वकारके दग्ध करनेमें अभी सके हैं । यद्यपि अभी उनका साक्षात् आगमन नहीं हुआ किन्तु उनकी अवाईकी सूचना पाये हुएसे पक्षिगण इधर-उधर उळ-उळकर बैठ रहे हैं । रेल-लाइनकी दोनों ओर फलोंके भारसे लटके हुए चनोंके पीछे दूर तक दिखलाई पळते हैं, जिनमें कहीं-कहीं पतली-

पतली खेतोंमें जाने वाली लाइनें दिखलाई पळ जाती हैं। मैंने कहा, और तो सब है, किन्तु आजके लोगोंको चनेका होलहा तो न मुयस्सर होता होगा, किन्तु पीछे मेरा यह विचार भी गलत निकला। मैंने स्वयं पीछे होलहा खाया था। मेरे साथी भी शौचादिसे निवृत्त हो बैठे थे। गाळीमें कहीं कुछ लोग पुस्तक पढ़ते हुए दीख पळते थे—कुछ लोग गान कर रहे थे बाकी लोग भी चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे अपने-अपने विचारोंमें मग्न थे। उस भीतरी सत्राटेमें वही गाळीकी घळघळाहट कानोंमें आ रही थी। मैं भी शौचादिसे निवृत्त हो, स्नान-कोठरीसे स्नान करके आ बैठा। अब हमारी गाळी विद्यालय-भूमिमें प्रविष्ट हुई। चारो ओर दूर तक खेतोंसे घिरा एक तीनतला सुन्दर मकान है। उससे थोड़ी दूर पर एक ऊँचा चार महलका मकान है; जिसमें चारो ओरके मकानोंके बीचमें एक बळा भारी चौखुटा आंगन है। मकानके बाहर फूलोंकी शोभा निराली है। विश्वामित्रने बतलाया, वह कृषि-विद्यालय है; और यह उसका छात्रावास। ऐसे ही और भी थोड़ी-थोड़ी दूरपर विद्यालय मिलते गये। आखिर ठीक साढ़े छः बजे गाळी नालन्दाके बळे स्टेशन पर पहुँची। नालन्दाका घेरा बहुत भारी है। यहाँ ४ स्टेशन हैं, जो समीपस्थ विद्यालयके नामसे पुकारे जाते हैं। इस बळे स्टेशनका नाम है नालन्दा प्रघान।

प्रत्येक ट्रेनमें अन्य प्रवन्धोंके साथ बे-तारका टेलीफोन भी लगा रहता है। पिछले स्टेशन पर फिर विश्वामित्रने हमारे आनेकी सूचना आचार्यको दे दी थी। हमारी गाळीके स्टेशन पर पहुँचते ही विद्यालयके बटवानोंने सूचनाका विगुल दिया। पटनामें चढ़ते वक्त हमलोग दरवाजेके



पास ही बैठे थे। अतः गाळी खळी होते ही उतर पळे। प्लॅटफार्म पर आचार्य तथा पचास प्रधान-प्रधान उपाध्याय खळे थे। मेरे उतरते ही सबने 'स्वागत' किया; और गलेमें फूलोंकी माला डाली। स्टेशनसे बाहर यद्यपि मोटर खळी थी, किन्तु मैंने कहा, इतनी दूरके लिए इसकी आवश्यकता नहीं; दूसरे, मार्गमें खळे बच्चोंसे मिलनेमें भी कठिनाई उपस्थित होगी। अब हमलोग 'वसुवन्धु'-भवनकी ओर चले। सळककी दोनों ओर पांतीसे विद्यालय-के छात्र खळे थे। यह सब वळी श्रेणियोंके छात्र थे। एक-एक विद्यालयके छात्रोंकी पंक्ति एक ही जगह थी। पहुँचतेके साथ ही उस-उस विद्यालयके प्रधान आचार्यका परिचय कराया जाता था। इस प्रकार आखिर 'वसु-वन्धु'-भवनका बळा हाल आ गया।

'वसुवन्धु'-भवनकी शोभा अपूर्व है। चारो ओर दूर तक घासका हरा मैदान है। मकान बहुत ऊँचा, सफेद संगमरमरका-सा दीखता है। इसके चारो ओर संगमरमरकी छतरियोंके नीचे पुराने और वीते हुए कितने ही आचार्यों एवं प्रसिद्ध महापुरुषोंकी मूर्तियाँ हैं। मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि यहाँ विद्याव्रतकी भी एक विशाल-मूर्ति स्थापित है। यह वही यशस्वी पुरुष हैं, जिन्होंने नालन्दाके पुनरुद्धार करते वक्त सर्व-प्रथम अपना सर्वस्व दिया था। सब स्थावर और जंगम सम्पत्ति उनकी पच्चीस लाखकी थी। इन्हें कोई सन्तान न थी। इन्होंने विद्यालयहीको अपना पुत्र बना, सर्वस्व अर्पण कर दिया। विद्याव्रतने सचमुच उस समय असाधारण साहस और स्वार्थ-त्यागका परिचय दिया था। मुझे स्मरण है कि जिस समय मेरे हृदयमें विद्यालयके पुनरुद्धारका विचार उठा, तो स्वयं

इस प्रकारका भी संदेह उठता था, कि क्या मैंने ऐसा अस्तिवत, अयोग्य व्यक्ति ऐसे भारी कार्योंको उठा सकता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति होती थी, कोई इसके सदृश ही महान् पुरुष इन धानकी अपने हाथमें लेता तो मुझे भी उसके पीछे चन्दकर नव प्रकारसे मेकार्म संगार करनेमें निदाना आनन्द होता। किन्तु दुर्भाग्यसे महान् पुरुषोंको इन माहुर्यपूर्ण कार्योंका स्मरण न था, अथवा उपेक्षा थी। यही देन और सर्वथा अपनी अयोग्यता मानकर भी मैंने इन काममें हाथ डाल ही दिया। किन्तु इन काममें अनेक विद्वानोंके अतिरिक्त बहुत धनकी भी आवश्यकता थी। धनपात्रोंका उभाव न था, किन्तु उनमेंसे बहुत तो उत्साह ही नहीं समझते थे। जो समझ भी सकते थे, उन्हें ऐसा होनेपर विश्वास न था। अन्य जगहोंमें धनादि प्रदान करनेसे पदवियों और निताचोंकी वृष्टिकी सम्भावना थी, यह बात न थी; फिर ऐसी अवस्थामें कौन धनपात्र आगे बढ़ता ?

मैंने बाल्यहीने यद्यपि भिक्षु-आश्रम ग्रहण किया था, किन्तु भिक्षा माँगनेका अभ्यास न था। यह और भी एक कठिनाई थी। मैं, किसी-किसी तरह मैंने अपने आपको इसके लिए तैयार किया। उत्साही पुरुषोंने मेरी झोलीमें पलना आरम्भ किया। किन्तु फिर वही कठिनाई। यह सभी उत्साही पुरुष ऐसे थे जो अपने उत्साहके बराबर धन देने की सामर्थ्य न रखते थे। तो भी उनके उत्साहसे मुझे बड़ा उत्साह मिलता था। ऐसे समयमें विद्याप्रतके हृदयमें प्रेरणा हुई। यह मेरे लिए अपरिचित व्यक्ति थे। इसके पूर्व कभी इन्होंने ऐसे कार्योंमें हाथ भी न डाला था। परन्तु, न जाने हृदयमें एकदम क्या आया कि इन्होंने अपने सर्वस्वका दानपत्र मेरे पास भेज दिया।

आज दो शताब्दियोंके ऊपरकी बात मेरे लिए कलकी सी है। मेरे नेत्रोंके सामने अब भी मेरे वह सहयोगी फिर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवनको विद्यालयकी आधार-शिलाके नीचे डाला था। उस समयके हम लोगोंने उनका सम्मान किया—किन्तु उतना नहीं, जितनेके वे पात्र थे।

वसुवन्धु-भवन अर्द्धचन्द्राकार है। इसमें सवा लाख आदमियोंके बैठनेका स्थान है। बैठनेकी गैलरियाँ रंग-मंचके सन्मुखसे आरम्भ हो धीरे-धीरे ऊँची होती चली जाती हैं। यद्यपि वह रंग-मंचके सन्मुख अर्द्धचन्द्राकार दूर तक चली गई हैं, किन्तु इस प्रकार बनाई गई हैं, कि सभी दूर और नजदीकके आदमी रंग-मंचको देख सकते हैं। इन गैलरियोंके नीचे-ऊपर तीन तहें हैं। बैठनेके लिए लम्बी-लम्बी कुर्सियाँ हैं। स्थान-स्थान पर विजलीके लैम्प और पंखे लगे हुए हैं। रंग-मंचकी धीमी-सी आवाजको भी सबसे आखिर वाले श्रोता तकके कानमें बराबर पहुँचनेके लिए वीच-वीचमें शब्द-प्रसारक यंत्र लगे हुए हैं। यह शब्दोंको श्रोतव्य बनाते हैं। प्रत्येक तलमें वायु और सूर्य-प्रकाशके आने-जानेके लिए पर्याप्त रोशनदान और वातायन हैं। दीवारोंपर भूमंडलके प्राचीन और अर्वाचीन महापुरुषोंके चित्र और सुनहरे अक्षरोंमें सूक्तियाँ लगी हुई हैं। इन चित्रोंमें अधिकांश विद्यालयके ही छात्रों और अध्यापकोंके बनाये हुए हैं। छात्रों और छात्राओं, दोनों के बैठनेके लिए भवनमें स्थान हैं। बैठनेकी जगहोंपर पहुँचनेके लिए सीढ़ियाँ बाहरसे लगी हुई हैं। केवल रंग-मंचपर जानेका मार्ग सामने पल्ला है। रंग-मंचकी वगलमें नेपथ्य-शाला है, जहाँ नाटक करनेके समय पात्र नेपथ्य-परिवर्तन करते हैं।

---

विद्यालयकी इस प्रकारकी श्री-वृद्धि देखकर मेरे आनन्दकी सीमा न थी। मेरे समयसे अब बहुत फर्क हो चुका था। विश्राम-स्थानपर पहुँचकर वहाँ जलपानके लिए सब-कुछ तैयार पाया। मैंने विद्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ तथा अन्य प्रधान अध्यापक, अध्यापिकाओंके साथ जलपान किया। जलपानके बाद आजका प्रोग्राम शिशु-कक्षा देखना निश्चित हुआ।

---

अपने लठके या लठकी, या किसी सम्बन्धीसे मिलने आया था; कोई ऐसे ही अपनी वार्षिक छुट्टियोंमें मनोरंजनके लिए आया हुआ था। कोई किसी विद्या-सम्बन्धी जिज्ञासासे आया था।

आखिर ट्राम बालक-बालिकाओंके उद्यानके मुख्य द्वारपर पहुँच गई। हम लोग नीचे उतरे। अध्यापिका-वर्गने द्वारपर स्वागत किया। द्वार तथा उसकी सीधमें तीन-तल्ला मकान स्वच्छता-सुन्दरतासे परिपूर्ण हैं। भीतर मकानोंके अतिरिक्त, एक बड़ा भारी बाग वैसा ही लगा हुआ है, जैसा कि सेवग्रामके शिशु-उद्यानमें; फर्क यही है, कि बालकोंकी संख्या अधिक होनेसे यह एक स्वतंत्र ग्राम-सा मालूम होता है। सोनेके कमरोंके अतिरिक्त पाक-शाला, भोजनागार, चिकित्सालय तथा भाण्डार-घर हैं। भीतर बच्चोंको खुले पानीमें तैरने और नहानेके लिए बहते पानीका एक पक्का कुण्ड है, जिसमें डुबाव पानी नहीं रहता। जगह-जगह बागमें फव्वारे और लतागृह बने हुए हैं। खेलनेके लिए हरी घासोंसे ढँके बड़े-बड़े मैदान हैं। जाळेके दिनोंमें स्नानके लिए एक बड़े मकानके भीतर गर्म पानीका कुण्ड है।

शिक्षा देनेवाली सभी महिलायें ही हैं। शिशु-कक्षामें प्रत्येक बालक-बालिकाको तीन वर्ष रहना पछता है। पहले बतलाया जा चुका है, कि राष्ट्रीय नियमके अनुसार सभी बालक-बालिकायें तीन वर्षकी अवस्थाके बाद माता-पितासे अलग करके विद्यालयोंमें भेज दिये जाते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा तीन कक्षाओंमें विभक्त है। शिशु-कक्षा चौथे वर्षकी अवस्थाके आरम्भ होते ही आरम्भ होकर छवें वर्षकी समाप्तिके साथ समाप्त होती

नायक स्वयं चुनते हैं। एक-एक टोलीके लिये एक-एक सोनेका कमरा है।

रात्रिमें जब बालक-बालिकायें अपने-अपने विस्तरों पर लेटते हैं, तो अध्यापिकायें इतिहासके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुरुषोंकी कथायें सुनाती हैं। इन कथाओंमें सन्-तारीख नहीं रहते। हाँ, यह बतला दिया जाता है, कि अशोक बुद्धके बाद हुए थे—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके भी बाद। कथाओंकी भाषा सरल, तथा भाव बही लिये जाते हैं, जिन्हें बालक आसानीसे समझ सकें। यह कथायें इतिहास, भ्रमण और विज्ञान आदि सभीके सम्बन्धमें हुआ करती हैं। कभी-कभी छात्र इन्हें स्वयं भी दुहराया करते हैं। कभी अध्यापिका और विद्यार्थी-वर्ग कोई-कोई गीत भी मिलकर गाते हैं। बालकोंको स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी नियम भी बड़े ध्यान-पूर्वक बतलाये जाते हैं। उन्हें अपने ही नहीं, अपने आसपासको स्वच्छ रखने-रखवानेकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें भली प्रकार बतला दिया जाता है, कि केवल तुम्हारी ही स्वच्छता पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे अठोस-पठोसमें भी स्वच्छता होनी चाहिये। अपने यहाँ सफाई करके कभी अपने कूड़ा-ककटको दूसरेके यहाँ न फेंक दो। किसी जगह इस प्रकार कुछ पठा हुआ, देखकर स्वयं उसे हटा दो, या उपयुक्त व्यक्तिको उसकी सूचना दे दो। उन्हें बड़ोंका आदर और छोटोंसे प्रेम-भाव रखना सिखला दिया जाता है। बालक संसारके लिये जीवन उत्सर्ग करनेवाले पुरुषोंकी कथाओंको बड़े प्रेमसे सुनते हैं। अध्यापिकायें उन्हें बड़े मधुर और हृदय-ग्राहक शब्दोंमें कहती हैं। बालक कितनी ही बार सुनते-सुनते करुणाभिभूत हो आँसू बहाते देखे जाते हैं।

हैं। शिशु-कक्षाके छात्रोंकी पोशाक जाँधिया, मोजा, जूता, और कोट या कुर्ता है। जाळेके दिनोंमें सिर ढाँकनेका गुलबन्द भी पहिनते हैं। कहीं किसी प्रकारके आभूषणका वहाँ नाम नहीं होता, किन्तु वस्त्र, ऋतुके अनुकूल तथा सुन्दर होते हैं। इस पोशाकमें बालक-बालिकायें बड़े फुर्तीले दीख पळते हैं।

हमारे जानेपर अपने-अपने नायकोंको सामने किये हुए सब टोलियाँ खड़ी थीं, शिशु-पार्लियामेंटके प्रधान और मंत्रियोंने शिशु-समाजकी ओरसे हमारा स्वागत किया। मेरे कहनेपर अखाळेका खेल देखना निश्चित हुआ। बालकोंने स्वयं अपनी-अपनी जोड़ी चुनी। ऐसी दस जोड़ियोंको मैंने निश्चय किया। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी वर्षोंके बालक थे। अखाळेपर पहुँचकर पहली जोड़ी प्रथम वर्षके लळकोंकी छोड़ी गई। इनका नाम कृष्ण और इब्राहीम था। अखाळेमें पहुँचनेसे पहले ही इन्होंने कपळा उतार कुश्तीका जाँधिया चढ़ाया। पहले तो दोनों दूरसे दाव तकते रहे। आखिर गुत्यमगुत्यी हो गई। बालकोंको लळनेके कायदे भी बतलाये गये हैं कि सफल होनेपर भी कितन-कितन अंगों पर चोट करने या पकळनेसे हार हो जाती है। इब्राहीमने कृष्णको आखिर नीचे कर ही दिया, किन्तु कृष्ण भी एक था। इब्राहीम चित्त करते-करते हार गया, किन्तु वह चित्त न हुआ। जब वह इसमें लगा हुआ था, तभी अवसर देख कृष्ण ने ऐसी झपट मारी, कि इब्राहीम चारो खाने चित्त। दर्शक शिशु-समाज ने आनन्द-ध्वनि की। अब दोनों अलग-अलग खळे हो गये। इब्राहीमने एक बार और औसर देनेकी प्रार्थना की। कृष्णने कहा—भाई इब्राहीम !

जाति थी। पुरुष-जातिने इनकी शक्तिको मूर्खतासे विकसित होनेसे रोक दिया था। उनको यह न मालूम था कि इससे उनकी अपनी भी हानि है। मैंने कहा—इन्हींमें आखिर उन अस्पृश्योंकी भी सन्तानें हैं, जिन्हें उस समयके लोग यदि मनुष्य कहते थे, तो मानों बड़ी कृपा करते थे। अन्यथा उन्हें पशुओंसे भी बदतर संभ्रंशा जाता था। कुत्तेको गोदमें बिठानेमें संकोच न था, किन्तु मजाल क्या कि किस्मतके मारे वह पुरुष पासमें फटक सके। ओह ! कितने करोड़ ऐसे मनुष्योंके अमूल्य जीवन वरवाद कर दिये गये ? अन्यायका कुछ ठिकाना था ? उन अभागोंको गाँवमें कुआँ रहनेपर भी कुएँका पानी पीनेको नसीब न होता था। और दोपोंके साथ उनपर सबसे बड़ा दोष यह लगाया जाता था, कि वे मैला साफ करते हैं—वह मुर्दे पशुओंको ले जाते हैं इत्यादि। किन्तु उन दोष-दर्शकोंको यह न सूझता था, कि समाजकी ऐसी सेवाके लिए—जिसे कि करनेके लिये और लोग तैयार न थे, तथा जिसपर समाजकी सुस्थिति निर्भर है—उनका कृतज्ञ होना चाहिये, न कि उलटा उन्हें तिरस्कारका पात्र बनाना चाहिये। खैर ! वह भी एक स्वप्नका समय था, यद्यपि वह स्वप्न हजारों वर्षों लम्बा-चौड़ा था। आखिर मनुष्योंने समझा—एक दूसरेको छोटा बनानेसे हमें स्वयं नीच बनना पड़ता है। संसार फिर उस स्वप्नको न देखे, उस नशे या मोह-निद्रामें न पड़े।

इस प्रकार आज शिशु-रक्षाका निरीक्षण समाप्त हुआ। अध्यापिकायें सभी उत्तम योग्यताकी हैं। साथिन वीरा जिस प्रकार कन्याओंके लिए आदर्श हैं, वैसे ही बालकोंके लिए सच्ची निर्माता माता हैं। सब देखकर



---

प्रायः तीन बजे हमलोग अतिथि-विश्रामको लौट आये । कलके लिए बाल-कक्षाका देखना तै पाया । इसके बाद बहुत देर तक विद्यालयके दो शताब्दियोंके इतिहासके बारेमें वार्तालाप होता रहा ।

---

## शिक्षा-पद्धति : बाल-कक्षा

आज सवेरे ट्रामपर सवार हो, हमलोग बाल-कक्षाकी ओर चले। यह और भी दूर, अर्थात् दो कोसपर थी। पहले कहे अनुसार बाल-कक्षा ८ वर्षकी अर्थात् ६ से १४ तककी है। इसमें दो-दो वर्षकी उपकक्षायें बनाई गई हैं, जिनके लिए पृथक्-पृथक् निवासोद्यान हैं। बाल-कक्षामें संक्षेपसे साहित्य, गणित, भूगोल, व्याकरण, धर्म, संगीत, आलेख्य, कृषि, गोरक्षा आदि विषय हैं। किन्तु यह सभी प्रत्येक छात्रको पढ़ना आवश्यक नहीं है। विद्याओंकी ओर प्रलोभन-द्वारा प्रवृत्ति कराकर देखनेपर जिधर बालकका स्वाभाविक रुझान नहीं देखा जाता, उधर बल नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ इस श्रेणीमें प्रविष्ट हो, तीसरेसे पाँचवें वर्ष तक प्रत्येक बालकको

संस्कृत आदि किसी भाषाके सिखानेकी प्रथा है। इन भाषाओंके सिखानेका वातावरण इस प्रकारका बनाया गया है, (यह पहले सूचित किया गया है) जहाँ बालकको छोटे शिशुओंकी भाँति भाषा सीखनेकी अनुकूलता रहती है। जबदंस्ती मस्तिष्कपर लानेका प्रयत्न नहीं किया जाता। किन्तु देखनेपर जब मालूम हो जाता है, कि बालककी उधर रुचि नहीं है, तो फिर बल नहीं दिया जाता। बाल-कक्षामें दाखिल होनेके साथ ही बालकोंको उनके नित्य-कृत्य बतला दिये जाते हैं।

बाल-कक्षामें पहुँचते ही वहाँ भी अध्यापक-अध्यापिका-वर्ग तथा विद्यार्थी-समाजकी ओरसे हमारा स्वागत हुआ। सब बालक-बालिका श्रेणीसे खड़े थे। पोशाक सबकी जाँघिया और कुर्त्ता था। जाळेमें सिर ढाँकनेके लिए गर्म बस्त्र, एवं जूता-मोजा भी मिलता है। एक-एक उपकक्षाका एक-एक गाँव बसा हुआ है, जहाँ भोजनालय, संस्थागारके अतिरिक्त भांडार भी रहता है। यहाँ भी तैरकर नहानेका कुंड है तथा अखाळों और खेलोंके मैदानोंका पूरा प्रबन्ध है। मकान तीन-महले हैं। ऊपर जानेके लिए बिजलीका झूला है। २०-२० विद्यार्थियोंके सोनेके लिए एक-एक कमरा मिलता है। लिखने-पढ़ने, प्रकाश, पुस्तक रखने आदि सबका उसमें प्रबन्ध है। निद्रासे उठकर शौचादि जाना पाँच ही बजे होता है। स्नान आदिसे निवृत्त होकर बालक कलेवा करते हैं। भोजनके लिए जो चार समय नियत हैं, वही बाल-कक्षाके लिए भी हैं—शिशु-कक्षाकी भाँति छः बार नहीं। अध्यापनके लिए यहाँ पृथक् पाठशाला है। बैठनेके लिए बेंचें हैं।

यद्यपि बाल-कक्षासे नियमानुसार पढ़ाई शुरू होती है, तो भी विषयको

रचिकर बनानेकी ओर खूब ध्यान रहता है। इस समय मनोहर भाषामें लिखी पुस्तकों, नाटकों और वायस्कोपों-द्वारा इतिहासकी शिक्षाको भी जारी रखा जाता है। नाटकोंको बालक स्वयं अभिनीत करते हैं। विज्ञान और ज्योतिष-सम्बन्धी जिज्ञासाओंकी पूर्तिके लिए उत्कंठा होनेपर दूरवीक्षण, अणुवीक्षण एवं प्रयोगशालाओंका भी सहारा लिया जाता है। कृषि, गो-रक्षा आदि विद्यायें क्रियात्मक ही अधिकतर सिखाई जाती हैं, जिसके लिए खेत तथा गोशाला आदिका प्रबन्ध है। बाल-कक्षाके प्रथम दो वर्षोंको समाप्तकर विद्यार्थियोंको सार्वभौमी भाषाकी शिक्षा दो वर्ष तक दी जाती है। इस समय और विषय पूर्ववत् ही मातृ-भाषामें चलते रहते हैं। सिर्फ बालकोंका निवास सार्वभौमी छात्रावासमें होता है, जहाँ सब लोग केवल वही भाषा बोलते हैं।

यह सार्वभौमी भाषा क्या है? यह एस्पेरेंटो भाषाका और भी परि-  
मार्जित रूप है। एस्पेरेंटोमें प्रयुक्त होनेवाले आर्टिकल्स (Articles) को उखा दिया गया। विल्कुल पन्द्रह नियमोंमें इसका सारा व्याकरण समाप्त होता है। लिंग, विभक्ति, प्रत्ययमें अटल नियम हैं, जिनका अपवाद कहीं नहीं होता। जैसे वचन दो ही हैं—एक वचन, बहुवचन। लिंग तीनों हैं, किन्तु निर्जीव पदार्थोंमें सभीके लिए नपुंसक लिंगका प्रयोग होता है। स्त्रीलिंगवाले सभी शब्द आ, ई, ऊ, अन्तवाले होते हैं तथा केवल सजीव ही के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही अन्य स्वर-अन्तवाले शब्द सजीवके लिए आनेपर पुल्लिंग होते हैं। क्रिया-रूपोंके लिए सीधे-सीधे चार काल हैं, अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान और आज्ञा। वचन यहाँ भी दो हैं। वाकी पुरुष

ज्यों-के-त्यों हैं। धातुओंका चुनाव खास तौरसे हुआ है। पहले पाली, प्राकृत जेन्द, और संस्कृत भाषाओंमें जो धातु एक-से हैं, उन्हें छांट लिया गया है। अब इन धातुओंसे ग्रीक, लैटिन, एवं ट्युटानिक (Teutonic), रोमन (Roman), स्लाव (Slav) और केल्टिक (Celtic) भाषाओंकी धातुओंसे तुलना करके जो धातु बहुत-सी भाषाओंमें सम्मिलित हैं, उन्हें चुन लिया गया है। सार्वभौमीमें इन्हीं धातुओंसे बने शब्दों और क्रियाओंको लिया गया है। वैज्ञानिक शब्द जो अब तक यूरोपीय भाषाओंमें प्रचलित थे, वही स्वीकार कर लिये गये हैं, केवल उनके अन्तमें उनके लिंगके अनुसार प्रत्यय लगा दी गई हैं। अपने जीवनमें राष्ट्रीय आवश्यकता या भ्रमण आदिके लिए इस भाषाकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बाल-कक्षामें नवें और दसवें वर्षमें इसकी शिक्षा अनिवार्य-सी है। सार्वभौमी छात्रावासमें जानेपर मुझे सभी बालक उसीमें वार्तालाप करते मिले। उस समय दसवें वर्षवालोंने मेरे आनेके उपलक्षमें अपनी प्रसन्नता इसी भाषामें प्रकट की। जिसके बहुतसे शब्द मुझे समझमें आने लगे थे। लोगोंने बतलाया, यह भाषा भूमंडल-वासियोंकी प्रायः सभी मातृ-भाषाओंका पूर्ण बीज रखनेसे सभीके लिए आसान है। चीन, जापान, स्याम, तिब्बत, वर्मा आदि देशोंमें भी इसका खूब प्रचार है। × × × × × × × × भारतमें सभी जगह भारती भाषा इस समय मातृ-भाषा है। पेशावरसे बगदाद तक बोली जानेवाली फारसी या उसकी वहिन भी इसके कुलकी है। यूरोपकी भाषाओंकी भी वही दशा है, जिनका प्रचार यूरोप ही नहीं, अफ्रिका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा भूमंडलके अन्य द्वीपोंमें है।

यह पहले कहा जा चुका है, कि आजकलकी शिक्षा-प्रणालीका मूल सूत्र है बालककी स्वाभाविक जिज्ञासा रखनेवाली बुद्धिको उसके अभीष्ट लाभमें मदद पहुँचाना। इसीलिए परीक्षा करके जिस ओर बालककी स्वाभाविक रुचि होती है, उधर ही उसकी शिक्षाका मार्ग खोला जाता है। दो शताब्दियोंके अनुभवने बतला दिया है, कि यही वास्तविक शिक्षा है। जवर्दस्ती ठोंक-पीटकर वैद्य-राज बनानेवाले विचारने अनेक स्थानोंपर बाधा पहुँचाई थी। पुराने समयके लोग भी खूब थे—खासकर २०वीं शताब्दीके। जिस प्रकार माता-पिता पुत्रकी इच्छा और उद्देश्यको देखे बिना बालपनहीमें उसका जोड़ा उसके गले बाँधते थे, वैसे ही यह भी निश्चय कर डालते थे कि मेरा लळका वकील होगा, मेरा डाक्टर इत्यादि। फल इसका यह होता था कि कितनी ही बार बालकको अपनी विद्या, रोचक कौन कहे, कवीनैनकी गोलीसे भी कळब्री मालूम होती थी; और उसका कोई सुपरिणाम न होता था। किन्तु अब मामूली शिष्टाचार और लोक-व्यवहारका उपयोगी ज्ञान तो बालकोंको देखते-देखते और सुनते-सुनते हो जाता है। और विद्याकी बात उनकी प्रवृत्तिपर आरम्भ होती है। इस प्रकार गणित और ज्योतिषकी ओर प्रवृत्ति रखनेवाले बालक उतना ज्ञान बाल-कक्षाहीमें सम्पादन कर लेते हैं, जितना बीसवीं शताब्दीके उस विषयके एम० ए० भी नहीं जानते थे। अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अक्षमिति, चलनकलन आदि सभी गणितकी शाखाओंमें उनका पूरा अधिकार हो जाता है। वह अपने पाठ्य विषयमें नित्य नवीन उत्सुकता और उत्साहके साथ संलग्न रहते हैं। उनका पठित विषय बहुत कुछ

उपस्थित रहता है। साधारण ज्योतिषकी शिक्षा तो उनकी प्रथमहीसे आरम्भ रहती है। अपने अगले मार्गमें जहाँ-जहाँ जिन-जिस गणितकी आवश्यकता प्रतीत होती है, उधर बड़े आनन्दसे वह प्रवृत्त होते हैं। साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदिमें भी यही बात है, यद्यपि कोई बालक इन विद्याओंके साधारण ज्ञानसे भी सर्वथा अनभिज्ञ नहीं रहता। कारण, उसके नित्यके व्यवहारमें, बात-चीतमें, संसर्गमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। भविष्य-जीवनमें भी उनका साधारण ज्ञान अनिवार्य मालूम होनेसे वे उधर भी थोड़ा-बहुत परिश्रम स्वयं कर डालते हैं; किन्तु प्रकृतिके अनुकूल न होनेसे वह अधिक दूर तक उसमें नहीं जाते। बीसवीं शताब्दीमें जैसे खास-खास ही पाठ्य पुस्तकें रस दी जाती थीं, वैसे अब नहीं है। कौन-सी पुस्तक अब पढ़नेको देनी चाहिये, यह उस अध्यापककी इच्छापर निर्भर है, जो अपने विद्यार्थीकी प्रकृतिका चराचर निरीक्षण कर रहा है। समान प्रकृतिवाले छात्रोंकी टोलियाँ बनी रहती हैं, जिनके लिए प्रकृत विषयका मर्मज्ञ अध्यापक रहता है। विद्याके लिए अपेक्षित सभी सामान मौजूद रहते हैं। इस प्रकार शिक्षामें आजकी चाल आकाश-विमानोंहीकी भाँति तेज है।

बाल-कक्षाकी सभी वस्तियोंको हमने घूम-घूमकर देखा। सिर्फ इसी एक कक्षाके पाँच बड़े-बड़े ग्राम हैं। हर एक ग्राममें निवासियोंकी आवश्यकताके सभी सामान मौजूद रहते हैं। अन्यत्र जैसे मैंने सब जगह वह नियम-सा देखा था कि मकान कोठेवाले नहीं होते, यहाँ विद्यालयमें सभी मकान तीन-महला, चार-महलासे ऊपरहीके हैं। शिशु-कक्षाकी वस्तियोंकी भाँति

ही बाल-कक्षामें भी एक-एक सोनेके कमरोंमें बहुत-से विद्यार्थी सोते हैं।

विद्यार्थियोंको पुस्तकें तथा अन्य सामान रखनेके लिए अलग-अलग आलमारियाँ हैं। पढ़नेके लिए पृथक् भी पाठशालाका विशाल भवन है। खेलने-कूदने, ललने, तैरने आदिके बड़े-बड़े मैदान तथा तालाव हैं। बालकोंका शरीर देखनेहीसे पता लगता है कि उनकी शारीरिक उन्नतिपर कितना ध्यान दिया जाता है। सब बातोंका पूरा निरीक्षण करके दोपहरका भोजन भी हमने यहीं ग्रहण किया।

चौदह वर्षहीकी अवस्थामें बालिकाओंको इतना ज्ञान हो जाता है, जो कि २०वीं शताब्दीमें पर्याप्तसे भी कहीं अधिक कहा जाता। बालकोंकी अपेक्षा बालिकायें संगीत, आलेख्य, चिकित्सा और साहित्यमें अधिक रुचि रखतीं तथा योग्य भी निकलती हैं। बालिकाओंकी अवस्था देखकर बीसवीं शताब्दीके वे आदमी भी अपने विचार बदल डालते, जिन्हें कई निर्बलतायें स्त्री-जातिमें स्वाभाविक मालूम होती थीं। मुझे यहाँके शिक्षण और योग्यताको देखकर निश्चय हो गया कि आजकलके मानव-जगत्की बहुत-सी न्यामतें इसीकी वदौलत हैं। एक ओर तो हजारों झगड़ों और आपत्तियों को जल पारस्परिक असमानता उठा दी गई और दूसरी ओर ऐसी सर्व-गुण-भूषित शिक्षा; फिर क्यों न मनुष्यलोक पुराने ख्याली देवलोकसे भी अच्छा हो जाये ?



## शिक्षा-पद्धति : तरुण-कक्षा

पूर्व क्रमहीसे मैं नित्य विद्यालयके एक-दो विभागोंका निरीक्षण करता रहा। और १२ दिन ऐसा करते रहनेपर एक बार सरसरी तौरसे सबको देख सका। शिक्षक-कक्षा और बाल-कक्षाकी शिक्षा जिस प्रकार अनेक विषयोंमें होती है (यद्यपि उसमें विद्यार्थीकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका पूरा ध्यान रखा जाता है) वैसा मिश्रशिक्षण तरुण-कक्षामें नहीं है। संसारके व्यवहारोंको अच्छी तरह चलाने, तथा मनुष्यकी वैसी जिज्ञासा भी होनेसे, प्रथम दो कक्षाओंमें कुछ सर्वतोमुखी-सी शिक्षा दी जाती है, किन्तु तरुण-कक्षामें शिक्षा पानेवालोंके लिए अनेक विद्यालय हैं, जो विद्याकी एक शाखाकी शिक्षा देते हैं। विद्यार्थी अब केवल उसी विद्याका अध्ययन करता है, जिसकी ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और जिसे उसने

पिछले वर्षोंमें भी मुख्य तौरसे, औरोंकी गौण रखते हुए, पढ़ा है। यद्यपि ऐसे बालकोंकी संख्या बहुत कम होती है, किन्तु हें ऐसे भी विद्यार्थी, जो व्यवहारोपयोगी ज्ञानसे इसलिए अनभिज्ञ रह जाते हैं, कि उनकी रुचि न होनेसे उधर उनको परिश्रम नहीं कराया जाता।

नालन्दा विद्यालयमें पृथक्-पृथक् विषयोंके पन्द्रह विद्यालय हैं, जो भाषा-पुरातत्त्व, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, संगीत, आलेख्य, वास्तु (सिविल इंजीनियरिंग), आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणि, कृषि, यांत्रिक एवं शिक्षण विद्यालयोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। अध्यापक अपने-अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता हैं। भाषा-पुरातत्त्व विद्यालयमें इतिहासकी मौलिक सामग्रीसे परिचय एवं उसके एकत्रित करनेका ढंग बतलाया जाता है। यह बीसवीं शताब्दी नहीं, बाइसवीं शताब्दी है। भूमि, बालू अथवा समुद्रोंके नीचे पड़ी हुई बहुत-सी सामग्रियाँ बहुतायतसे इधर मिली हैं। अनेक पुरानी जातियोंके धर्म, आचार-विचार तथा इतिहासपर इधर बहुत प्रकाश पड़ा है। भारत, मिश्र, असुर, कल्दान, ईरान, मेक्सिको, ब्राजील आदि अनेक देशोंकी प्राचीन सभ्यताकी परिचायक अनेक सामग्रियाँ हाथ लगी हैं। राष्ट्रने इन सामग्रियोंके प्राप्त करने और रक्षित रखनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी है। जहाँ प्राचीन खंडहरोंको खोदने, चीजोंकी रक्षाके लिए सुरक्षित स्थान बनानेमें लाखों आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ हजारों विद्वान दिन-रात उनके रहस्यके खोलनेके लिए भी परिश्रम कर रहे हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता और इतिहासके लिए मध्य एशिया, तिब्बत, हिमालय, जावा, बाली, स्याम, सुमात्रा और लंका (सीलोन) तक छान मारा गया है। इस काममें नालन्दा-

भूमंडलमें एक जगहसे दूसरी जगहपर। पहले एक दूसरेकी भाषा समझनेमें कठिनाई हुई थी, किन्तु अब वह भी जाती रही। यद्यपि दिन-प्रति-दिन वृष्टि और जलकी कमी होती जाने एवं मंगल-गर्भीय उष्णता—जीवनी-शक्ति—का ह्रास होते जानेसे वहाँके लोग चिन्तित हैं, तो भी उन्होंने इसके लिए बहुत-सा उपाय किया है। जहाँ एक ओर नहरोंका जाल-सा विछा दिया है, वहाँ अपने यहाँकी जन-वृद्धिको भी रोक दिया है—रोक ही नहीं, बल्कि कम करना आरम्भ किया है। यद्यपि लोग भी इसके प्रयत्नमें हैं, कि कित्ती नये ग्रहमें जायें, किन्तु अभी तक इसका कोई उपाय नहीं सूझा है। भूमंडलके लोग भी, उनकी कठिनाइयोंको देखकर चुप नहीं हैं। वह भी इसका हल ढूँढ़ रहे हैं। कोई-कोई इस बातकी भविष्यद्वाणी भी करने लगे हैं, कि वह समय समीप है, जबकि मनुष्य एक ग्रहसे दूसरे ग्रहमें जा सकेंगे। यदि ऐसा हो सका, तो हमारा अपने रहन-सहनका संसार तथा भाई-बन्धुपन और भी बढ़ जायगा। एक-एक ग्रहके ठंडा होनेपर लोग पहलेहीसे दूसरे ग्रहमें चले जा सकेंगे। इस प्रकार कमसे कम बृहस्पतिकी आयु-भर तो निश्चित रहेंगे। वैभारगिरिपर वेधशालाके कामहीके लिए दूर तक मकान बन गये हैं। पानी और विजलीका ऊपर ही खूब अच्छा प्रवन्ध हो जानेसे वह और भी अधिक आनन्दका स्थान हो गया है।

दर्शन-विद्यालय यहाँसे दो कोस पीछेकी ओर है। यहाँ भारतीय सेश्वर-निरीश्वर दर्शन ही नहीं, भूमंडल भरके दार्शनिक विचारोंका अध्ययन-व्यापन होता है। आचार्य वशिष्ठ इस विषयके स्वयं अपूर्व विद्वान् हैं। उनका बहुत समय इसीके पठन-पाठनमें व्यतीत होता है। सभी विद्यालय एक

दूसरेसे दूर-दूरपर हैं। उनके बीचमें या तो मैदान हैं, या आम-लीची आदि फलोंके कोसों लम्बे बाग। सभी विद्यालय पुस्तकालयों तथा अपेक्षित अन्य सामग्रियोंसे युक्त हैं। जहाँ विज्ञान-विद्यालय रसायनशाला तथा प्रयोगशालासे सुसज्जित है; वहाँ वनस्पति और प्राणिशास्त्रके विद्यालयोंके साथ बड़े-बड़े वनस्पति-उद्यान एवं प्राणि-संग्रहालय हैं। इस प्रकार सभी विद्यालय सांगोपांग विद्या-वितरण कर रहे हैं। उन-उन विद्यालयोंके छात्रावास उनके पासहीमें हैं। छात्रावास क्या हैं, एक-एक ग्राम हैं। बालकों और बालिकाओंके छात्रावास तथा विद्यालय इकट्ठे ही हैं। स्त्री-पुरुषका भेद ही उठा-सा दिया गया है।

विद्यालयकी वस्तियोंमें भोजन बनानेवाले तथा स्वच्छता एवं मशीनों आदिके सुधारनेके लिए कुछ और लोग नियुक्त हैं, जिनके निवास-स्थान अलग वस्तियोंमें हैं। लळकोंके वस्त्र धोने एवं कपळा सीनेके गाँव भी पृथक् हैं। इसी तरह गोपाल-ग्राम भी पास, किन्तु विद्यालयकी सीमाके बाहर है। पुस्तकोंके छापनेके लिए जो 'नालन्दा प्रेस' पहले खोला गया था, अब उसका काम बहुत बढ़ गया है। भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके यहाँसे मासिक कई एक पत्र निकलते हैं। नालन्दाके पुराने स्तूपों और इमारतोंको पूरा सुरक्षित रक्खा गया है। भैरवजीके नामसे २०वीं शताब्दीके ग्राम्यजनोंमें प्रसिद्ध बुद्धकी मूर्तिपर अब एक बहुत अच्छी छतरी लग गई है। वह विशालकाय, सुन्दर शांत मूर्ति अब और भी अधिक मनोहर मालूम होती है। उसके पासका बड़ा स्तूप अब नया-सा मालूम होता है। सूर्यनारायण और उसके पासका वह गाँव अब नहीं है।

विद्यालयकी तरुण-कक्षा, एवं विद्यालयकी शिक्षा समाप्त कर और अधिक पढ़नेवाले विशेषज्ञोंकी श्रेणीमें भारतसे बाहर लंका, बर्मा, स्याम, जावा, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशोंके विद्यार्थी बहुत अधिक संख्यामें हैं। इन देशोंके आचार्योंमें आजकल नालन्दाके शिक्षितोंकी काफी संख्या है। संसारमें कोई विद्या नहीं, जिसकी उच्च शिक्षा विद्यालय न देता हो। ऐसे ही संसारका शायद ही कोई कोना होगा, जहाँ नालन्दाका छात्र न हो।

---

## शासन-प्रणाली

नालन्दामें रहते हुए और कामोंके साथ मेंने उचित समझा, कि आजकलकी शासन-प्रणालीका भी ज्ञान प्राप्त करूँ। इस कार्यमें उपाध्याय विश्वामित्रने बड़ी सहायता की। अब-तकके वर्णनसे यह मालूम ही हुआ होगा, कि भूमंडलमें सभी जगह अब समताका राज्य है। धर्मके नामपर, ब्राह्मण-राजपूत-शेख-सय्यद जातियोंके नामपर, धन और प्रभुताके नामपर, गोरे और कालेके नामपर, जो अत्याचार पहले होते थे, कितनी ही मानव-सन्तानें दूसरोंके पैरोंके नीचे आजन्म कुचली जाती रहती थीं, उन सबका अब नाम नहीं। अब मनुष्य-मनुष्य बराबर हैं, स्त्री-पुरुष बराबर हैं। सभी जगह श्रम और भोगका समत्व मूल-मंत्र रखा गया है। न अब

भूमंडलमें जमींदार हैं; न सेठ-साहूकार हैं; न राजा हैं, न प्रजा; न धनी हैं, न निर्धन; न ऊँच हैं, न नीच। सारे भूमंडलके निवासियोंका एक कुटुम्ब है। पृथ्वीकी सभी स्थावर-जंगम सम्पत्ति उसी कुटुम्बकी सम्पत्ति है। दैनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जिन-जिन पदार्थोंकी आवश्यकता है, उनके उत्पादन और संग्रहके लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार सभी सचेष्ट होते हैं। श्रम कम और उत्पत्ति अधिक होनेके लिए कार्यों और श्रमोंके बहुत-से विभाग कर दिये गये हैं। बीसवीं शताब्दीके लोगोंको आजकलका विभाग विचित्र-सा मालूम होता। अब तो जीवनकी एक भी आवश्यक वस्तु शायद ही एक कोई गाँव, बिना दूसरेकी सहायताके, उत्पन्न करता हो। जहाँ पहलेका एक ग्राम अनेक प्रकारके अनाज, साग-तरकारियोंके अतिरिक्त कितने ही छोटे-छोटे शिल्पोंका भी व्यवसाय करता था, वहाँ आजका यह विचित्र गाँव है, जो आकार, संख्या और खर्चमें उससे कई गुना बड़ा होने पर भी एक भी चीज पूरे तौरसे पैदा नहीं करता। यदि गेहूँ पैदा करता है, तो आटा दूसरी जगह पीसा जाता है; यदि ऊख पैदा करता है, तो चीनी दूसरी जगह बनती है; यदि दूध पैदा करता है, तो घास-दाना दूसरी जगहसे मँगाता है; यदि सिलाई करता है, तो कपड़ा दूसरी जगहसे मँगाना होता है। मशीनोंकी ढलाई-सुधराई तो खैर दूसरी जगह पहले भी होती थी। आज-कलका सारा मनुष्य-समाज जिस प्रकारकी जीवन-सामग्रियोंसे परिपूर्ण है, उन सबके लिए यदि ऐसा न किया जाता, तो बहुत समयकी आवश्यकता होती। आज जिस प्रकार कुल चार घंटे काम करके ही मनुष्य सारी आवश्यकताओंको प्राप्त कर वाकी बीस घंटे जीवनके अन्य

मानन्दोंके उपभोगमें लगाता है, वैसा वह कब कर सकता था? यंत्रोंका न उपयोग करते, तो इतना प्राप्त करना असम्भव था, चाहे सारा भी समय उसीके लिए क्यों न समर्पण करना पड़ता। यंत्रोंके उपयोगको भी अधिक लाभदायक बनानेके लिए यह श्रम-विभाग उपयुक्त सिद्ध हुआ है। ऐसे पहले भी श्रम-विभाग कुछ तो हुआ ही था, किन्तु आजकलके लोगोंने इस सूत्रको और भी विस्तृत अर्थमें प्रयोग किया है।

पहले शासनोंमें रचनात्मक कार्योंकी अपेक्षा ध्वंसात्मक कार्योंकी मात्रा अधिक थी। जब कभी लड़ाई छिळ जाती थी, तब तो मानों इसका ज्वालामुखी फूट निकलता था।

इस विषयमें और कहनेसे पूर्व उचित प्रतीत होता है, कि वर्तमान शासन-व्यवस्थाके ढाँचेका कुछ जिक्र कर दिया जाय। सारे भूमंडलकी शासन-व्यवस्थाका मूल-ढाँचा ग्रामकी शासन-व्यवस्थाको समझिये। ग्राम-शासन-सभा—या जिसे संक्षेपमें ग्राम-सभा कहते हैं—में अपनी जन-संख्याके अनुसार सैकड़े पीछे एक पंच चुननेका अधिकार है। यदि किसी गाँवमें पाँच हजार आदमी हैं, तो वहाँकी ग्राम-सभाके पचास सभासद् होंगे। इस चुनावमें सम्मति देने तथा खळा होनेके लिए उस ग्रामके प्रत्येक नर-नारी समान भावसे योग्य हैं, यदि कोई मानसिक अथवा शारीरिक असमर्थता इसमें बाधक न हो। यह सभासद् फिर अपना सभापति या ग्रामणी, तथा × × × × सोलह सभासदोंकी कार्य-कारिणी समिति बनाते हैं। × इसी कार्य-कारिणीके हाथमें ग्रामकी आवश्यकता



और उत्पत्तिके देख-रेख तथा प्रबंधका भार रहता है। पहले एक बार कहा जा चुका है, कि ग्रामकी प्रत्येक श्रेणीका एक नायक होता है। यह नायक सौ परिवारों-द्वारा चुना जाता है, जिनमें अधिक-से-अधिक दो सौ व्यक्ति हो सकते हैं। दो सौसे कम इसलिए हो सकते हैं, कि शायद कुछ पुरुष-स्त्री अविवाहित हों। ग्राम-कार्य-कारिणी समिति इन नायकोंसे अपना बहुत-सा कार्य कराती है। शान्ति-भंग तथा अन्य आवश्यक समयमें यों तो सभीका कार्य शासन-सभाकी सहायता करना है, किन्तु इन नायकोंका उस समय यह प्रधान कर्तव्य होता है। पूर्व-कालकी पुलिसका कार्य इन्हींके द्वारा लिया जाता है। किसी कार्यके कारण अनुपस्थित होनेपर इनके स्थानपर ग्राममें सहायक नायक कार्य करते हैं। ग्रामके सभी व्यक्तियोंको भिन्न-भिन्न कार्यपर नियुक्त करना ग्राम-सभाकी सम्मति-अनुसार कार्य-कारिणीका काम है। यह आवश्यकतानुसार वैद्य, धाय, पुस्तकाध्यक्ष, भोजनाध्यक्ष, भण्डारी आदि सभी विभागोंके प्रमुखोंको नियुक्त करती है। ग्राम-सभाके एक बारके चुने सभासदोंकी अवधि अधिक-से-अधिक तीन वर्ष है। यही अवधि यहाँसे सार्वभौम सभाके सभासदों तककी है। किन्तु शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओंके लिए चुने गये व्यक्तियोंके लिए यह नियम लागू नहीं है। इस प्रकार किसी शिक्षकको आजन्म अपने पदपर रहनेका अधिकार है, यदि उसने जनताकी दृष्टिमें कोई अक्षम्य अपराध न किया हो।

ग्रामोंके बाद बहुत-से ग्रामोंको मिलाकर पहले तहसील या सव-डिवीजन सभायें तथा कहीं-कहीं थाना सभायें थीं। किन्तु उनके टूटे सौ

वर्षसे ऊपर हो गये। ग्रामोंके सुन्दर प्रबन्ध, बिजलीकी सवारी-गाळियों तथा टेलीफोनोका प्रति ग्राममें उत्तम प्रबन्ध होनेसे वस्तुतः जिलाकी दूरी अब तहसीलहीके बराबर रह गई है। जिस प्रकार प्रत्येक सौ आदमियोंपर एक आदमी ग्राम-सभाका सभासद चुना जाता है, वैसे ही बीस हजारपर एक आदमी जिला-शासन-सभाका सभासद् चुना जाता है। जैसे पटना जिलामें दस लाख आदमी रहते हैं और यहाँकी शासन-सभामें पचास सभासद् हैं। प्रत्येक पाँच सभासद्पर कार्य-कारिणीका एक सभासद् चुना जाता है। इस प्रकार पटना जिलाकी कार्य-कारिणीके दस सभासद हैं जिनके हाथमें क्रमशः निम्न दस विभाग हैं—

- १—शिक्षा;
- २—स्वास्थ्य, जन-संख्या-सावधीकरण;
- ३—शान्ति-व्यवस्था, न्याय;
- ४—अर्थ;
- ५—दूसरे जिलों तथा स्थानोंसे लेन-देन;
- ६—कृषि, शिल्प-व्यवसाय;
- ७—यंत्र-गृहादि-निर्माण और सुधार;
- ८—डाक, तार, रेल, विमान;
- ९—पुरातत्त्व-इतिहास-संरक्षण;
- १०—प्रेस।

चुनाव होनेसे पहले जिलाकी ग्राम-सभायें तथा जन-साधारण-द्वारा उम्मेदवारोंके नाम आते हैं, जिन्हें जन-साधारणकी अभिज्ञता और विचारके

लिए चुनाव-तिथिसे पूर्व ही प्रकाशित कर दिया जाता है। पीछे उनके विषयमें प्रत्येक ग्राममें एक ही दिन, एक ही समय वोट लिया जाता है; फिर बहु-सम्मतिसे निर्वाचित पुरुषों तथा स्त्रियोंका नाम प्रकाशित कर दिया जाता है। किसी प्रकार अयोग्य सिद्ध होनेपर उस सभासद्को स्थानसे च्युत करनेका अधिकार उसके निर्वाचकोंको है। एक सभासद्के निर्वाचनका हल्का पृथक्-पृथक् होता है। पटनामें ऐसे-ऐसे पचास हल्के हैं। जिलेका जिस जगह सदर रहता है, वहाँके लोगोंका प्रधान काम जिला-शासन-सम्बन्धी कार्योंका करना है। लिखने-छापने आदिका काम, पुराने कागज-पत्रोंको सुरक्षित रखनेका काम, शासनके अनेक विभागोंके काम, सभी वहींपर होते हैं। यद्यपि प्रति तीसरे वर्ष जिला-शासन-सभाके सभा-सदोंका परिवर्तन हो जाता है, किन्तु भिन्न-भिन्न विभागोंके दफ्तरोंके कार्यकर्त्ता, तथा अन्य कार्य-निर्वाहक पूर्ववत् ही बने रहते हैं। कार्य-कारिणीके सभासद् अपनी अवधि भर जिलाके प्रधान स्थानपर निवास करते हैं।

जिलाके विभागोंमें प्रथम, द्वितीयका कार्य तो नामहीसे स्पष्ट है। शान्ति-व्यवस्था-न्याय-विभाग शान्ति-स्थापन, अदालत और अपराधियोंको उचित दंड और सुधारका काम करता है। किसीकी व्यक्तिगत कोई सम्पत्ति न होनेसे अब तो दीवानीका शब्द ही उठ गया है। इसलिए कचहरी कहनेसे सिर्फ फौजदारी कचहरी ही समझना चाहिए। जैसे संसारसे और दूकानें उठ गईं, वैसे ही गवर्नमेंटकी स्टाम्पफरोशी, अमलोंकी पान-सुपाळी, वकीलोंका मिहनताना भी उठ गया। उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दीके इस प्रतिष्ठित पेशेका तो एक दम ही पता नहीं है। अदालतका कमरा खुला हाल होता

है, जिसमें न्यूनातिन्यून दो विद्वान वृद्ध अनुभवी जज बैठते हैं। प्रत्येक अभियोग अपने ग्रामकी न्याय-पंचायत—जो ग्राम-सभा-द्वारा संगठित की गई एक समिति होती है—से होकर आता है, जिसमें या तो ग्राम-सभा अपना फैसला दे दिये रहती है, या आरम्भिक अनुसन्धानके बाद जिलाकी अदालतमें भेज देती है। वादी, प्रतिवादी गवाह सभी होते हैं। न्यायाधीश स्वयं हर बातकी गहराई तक पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं। अभियोगोंकी संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए कचहरियोंकी चहल-पहल नहीं है। मुकदमें अपमान, मार-पीट अथवा खून इन्हीं तीन दफ्ताओंमें खतम हो जाते हैं। फाँसी या प्राण-दंडकी सजाही अब एकदम उठा दी गई है, उसके स्थान पर अपराधियोंको किसी टापूमें मनुष्य-समाजके आनन्दसे वञ्चित करके रखा जाता है, जहाँ उसके भली प्रकार इलाज, शिक्षण आदिका प्रवन्व होता है। किन्तु जब यह सिद्ध हो जाता है कि अब उसके स्वभावमें परिवर्तन हो गया, अब वह समाजके लिए खतरनाक नहीं है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरे अपराधोंके बन्दियोंके लिए प्रत्येक प्रान्तको एक जेल रखना पड़ता है, जहाँ उन्हें रखकर सुधारा जाता है।

पाँचवें विभाग-द्वारा जिलामें उत्पन्न वस्तुयें आवश्यकतावाले बाहरी स्थानोंमें भेजी जाती हैं, और दूसरे जिला तथा प्रान्त आदिसे आवश्यक वस्तुयें मँगवाई जाती हैं। यह मानों जिलाके भीतर और बाहर वस्तुओंके बदलनेका द्वार है। बाकी दूसरे विभाग नामहीसे स्पष्ट हैं।

कई जिलोंके ऊपर प्रान्तीय शासन-सभा होती है। प्रत्येक दो लाख मनुष्योंपर इसका एक सभासद् चुना जाता है। निर्वाचनसे पूर्व नामजद

करनेका तरीका नीचेसे ऊपर तक एक-सा ही है। विहारमें दो करोळ स्त्री-पुरुष सम्मति देनेवाले हैं। इस प्रकार प्रान्तीय सभामें यहाँके एक सौ सभासद हैं। इसकी कार्य-कारिणीमें भी पूर्ववत् दस विभागोंके दस सभासद् या मंत्री हैं। इनके कार्य भी पूर्ववत् ही हैं, किन्तु क्षेत्र विस्तृत है। प्रान्तका न्यायालय अपीलका अन्तिम स्थान है। यहाँ भी कार्य-कारिणीके सभासदों तथा सभापतिका प्रान्तके मुख्य स्थानमें अपनी अवधि भर रहनेका नियम है। अन्य सभासद् केवल सभाकी बैठकोंके समयमें ही आते हैं।

प्रान्तोंके ऊपर देश-सभा है। इसके लिए प्रति दस लक्ष एक प्रतिनिधि चुना जाता है। भारतमें इस समय बीस करोळ सम्मति-दाता स्त्री-पुरुष रहते हैं, बाकी पाँच करोळ बीस वर्षसे कम तथा विद्यार्थी-अवस्थामें हैं। भारत-शासनकी कार्य-कारिणीमें भी वैसे ही दस आदमी कार्य-कारिणीके सभासद् होते हैं, जिन्हें अवधि-भर दिल्लीहीमें रहना होता है। किन्तु दो शताब्दी पूर्वके समान शिमला-निवास इन वेंचारोंके भाग्यमें नहीं है। विभाग पूर्ववत् ही हैं, कार्य-क्षेत्र विस्तृत है।

इसके ऊपर सार्वभौम सभा है, जिसके लिए पचास लाखपर एक सभासद चुना जाता है। इस समय भूमंडलकी मनुष्य-गणना एक अरब अठ्ठासी करोळ है, जिसमें अळतीस करोळ तो विद्यार्थी आदि हैं, बाकी डेढ़ अरब स्त्री-पुरुष सम्मतिदाता हैं। सार्वभौम सभाके तीन सौ सभा-सदोंमेंसे चालीस भारत भेजता है। सार्वभौमकी कार्य-कारिणीमें पन्द्रह सचिव हैं। सार्वभौम सभाके सभापतिको राष्ट्रपति कहते हैं। सार्वभौम सभाका स्थान दक्षिणी अमेरिकाके ब्राजील देशकी नारंग नदीके किनारे ठीक भूमध्य-रेखापर

है। यहाँहीकी अक्षांश-रेखा शून्य मानी जाती है। इस नगरका नाम सार्व-भौम नगर है। इसे वसे आज सौ वर्ष हो गये। जिस दिन सार्वभौम शासन स्थापित हुआ, उसी दिन एक सार्वभौम संवत् भी चलाया गया। आजकल सम्बत् १०१ चल रहा है। सार्वभौम सभाके सभासदोंकी यात्रा वायुयानों द्वारा हुआ करती है। राष्ट्र-पति तथा कार्य-कारिणीके सभासद् अथवा सचिव अपनी अवधि भर सार्वभौम नगरमें रहते हैं। सार्वभौम सभाकी कार्यवाही सार्वभौमी भाषामें होती है। सार्वभौम नगरमें पचास सहस्र स्त्री-पुरुष रहते हैं। इनमें सभी देशोंके आदमी हैं, जो सभी भिन्न-भिन्न विभागोंके दफ्तरों तथा अन्य कार्योंमें नियुक्त हैं। सार्वभौम सचिवोंके हाथमें निम्न विभाग हैं—

१—शिक्षा

२—स्वास्थ्य

३—शान्ति-व्यवस्था

४—अर्थ

५—लेन-देन, परिवर्तन

६—कृषि

७—शिल्प-व्यवसाय

८—यंत्र

९—गृह-पथ-निर्माण आदि

१०—डाक-तार

११—यान-विमान

१२—मुद्रण

१३—जन-संख्या-नियंत्रण

१४—पुरातत्व-संग्रहालय

१५—रेकॉर्ड-इतिहास

मनुष्य-गणनाको अधिक बढ़ने न देनेका पिछली दो शताब्दियोंमें बहुत प्रयत्न हुआ है और उसमें पूर्ण सफलता हुई है। इस विभागका सम्बन्ध ऊपरसे ग्राम तक है। प्रत्येक दसवें साल मनुष्य-गणना तो होती ही है, इसके अतिरिक्त, जहाँ दो माससे ऊपरका गर्भ हुआ, उसकी सूचना और गणना भी इस विभाग-द्वारा बराबर पत्रोंमें निकलती रहती है। दो उद्देश्योंको लेकर यह विभाग कायम हुआ था, जन-संख्याकी वृद्धिको रोकना, और चिर-रोगी, राजरोगी-द्वारा सन्तान न उत्पन्न होने देना। दोनों ही उद्देश्योंको इसने पूर्ण किया है। आजकल जो एक भी कुष्ठ, मृगी, उपदंश, ववासीर आदि रोगोंवाले आदमी नहीं मिलते, उसका कारण उक्त प्रयत्न ही है। ऐसी छूतकी बीमारियोंवाले रोगियोंको साधारण जन-समाजसे पहले अलग करके आरामके साथ रखने तथा उनकी चिकित्साका भी पूर्ण प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार उन्हें अपने संसर्गसे रोग फैलाने-का मौका नहीं दिया जाता। दूसरे, आगे सन्तान न हो, इसके लिए उनकी जनन-शक्तिको विशेष निर्धारित उपायोंसे नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य-जातिके चिर-शत्रु इन बीमारियोंका उन्मूलन किया गया है। इतनेपर भी देखा गया, कि यदि कोई रुकावट न डाली गई, तो मनुष्य-संख्या ब्रेतहासा बढ़ती ही जा रही है। विशेषज्ञोंकी समितिने पृथ्वीकी

औसत वार्षिक आमदनी निकाल बतलाई। मालूम हुआ, इससे पौने दो अरब से कुछ ही अधिक आदमी सानंद जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फिर क्या था? यह भी हिसाबसे मालूम हो गया कि इतनी पैदाइशमें इतने तो मरनेवालोंकी जगह पूरा करते हैं, बाकी इतने केवल वृद्धि करते हैं। यदि प्रत्येक विवाहित दम्पति दो या तीन सन्तान ही उत्पन्न करें, तो यह वृद्धि रोकी जा सकती है। इसपर फिर वही जनन-शक्ति नाश करनेकी प्रक्रियाका प्रयोग किया गया। प्रत्येक स्त्री-पुरुषके बुढ़ापेके आरामका जिम्मा तो अब राष्ट्रपर है, इसलिए सन्तान उत्पन्न करनेकी बळी लालसा तो ऐसे भी कम हो गई है। और उक्त प्रक्रियासे केवल जनन-शक्ति मात्रहीका हरास होता है, बाकी सब तो पूर्ववत् ही रहता है। इसलिए इसे लोग स्वयं पसन्द करते हैं। पहले अनेक पुरुष इसके विरोधी थे। उनका कहना था कि वृद्धि तो अवश्य रोकी जानी चाहिये, किन्तु कृत्रिम उपायसे नहीं, संयम-नियमसे। दूसरे विचारवालोंका कहना था कि यह संयम इतना सरल कार्य नहीं, जिसे राष्ट्रके सभी जन पालन कर सकें। जब यह बात है, तो इसपर ढील देना एक प्रकारसे जनवृद्धिको ही पुष्ट करना है। राष्ट्र इस मृगतृष्णाके भरोसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेसे नहीं रुका रह सकता। अस्तु। इसका फल अब यह हो गया है, कि और कामोंकी भाँति जन-संख्याका घटाना-बढ़ाना भी राष्ट्र-कर्णधारोंके हाथमें वैसेही है, जैसे किसी विजली-बत्तीका जलाना और बुझाना।



## नालन्दासे प्रस्थान

नालन्दामें पूरे एक पखवारे तक निवास करनेके बाद मैंने अपनी अगली यात्रा आरम्भ की। विश्वामित्रको वर्तमान और भूत जगत्का पूर्ण परिचय था, और वह मेरे भी पूर्ण परिचित हो गये थे। इसलिए मैंने अपनी यात्रामें उन्हें ही साथी चुना। उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक इसे स्वीकार किया। वाते समय यद्यपि पटना पड़ा था; किन्तु रात्रिका समय था, हमलोग वहाँ उतर न सकते थे, इसलिए उसके वारेमें कुछ न जान सके। अब अपनी यात्रामें नालन्दासे प्रथम पटना ही चलना निश्चित हुआ। यात्रा दिनमें की गई, इसलिए मार्गकी भूमिके दृश्य भी खूब दिखाई पळते थे। विश्वामित्र इधरके गाँव-गाँवसे परिचित थे। वह बीच-बीचमें गाँवोंके चारेमें बहुत-कुछ बतलाते जाते थे। नालन्दा पटनासे साधारण ट्रेन-द्वारा दो घंटेका रास्ता है। रास्तेमें आमोंके वाग बहुत देखनेमें आये। मैंने विश्वामित्रसे

कहा, कि पटनाके मालदह आम पहले भी बहुत मशहूर थे। उन्होंने बतलाया, अब आकार और स्वाद, दोनोंमें और भी उन्नति हुई है। यहांके आम सुमेर (उत्तरीय ध्रुव)से कुमेर (दक्षिणीय ध्रुव) तक पृथ्वीमें चारों ओर भेजे जाते हैं। विदेह, मगध और अंग, विहारके तीनों ही खंड संसारके आमों और लीचियोंके बगीचे हैं। इनकी अधिक भूमि तथा निवासियोंका अधिक अंश इन्हींकी खेतीमें लगा रहता है। तारीफ यह है, कि अब यह दोनों ही फल बारह मास तैयार होते रहते हैं, हर वक्त हजारों रेल-गाड़ियाँ इनसे लदी, वर्षसे सुरक्षित, एशिया और यूरोपके भिन्न-भिन्न भागोंमें दौड़ती रहती हैं। रेलोंका जाल तो एकमें एक लगा, आस्ट्रेलिया तथा और द्वीप-समूहों को छोड़, सारे भूमंडलमें बिछा हुआ है। काठमाण्डव (नेपाल), दार्जिलिंग और सदिया इन तीनों रास्तोंसे हिमालयको पारकर रेल तिब्बतमें घुसी है। तिब्बतमें बहुत दूर तक रेल है। अब तिब्बती लोगोंमें वह मलिनता नहीं रही। वह क्या, अब तो भूमंडलका कोई भी मनुष्य-पुत्र स्वच्छता, सभ्यताके मानव-गुणोंसे वंचित नहीं है। सभीके लिए शिक्षा और सुख-सामग्री बराबर वितरण की जाती है। तिब्बतसे मंगोलियामें ताँता बिछाती रेलवे लाईन अल्ताई पर्वतको पारकर साइबेरिया पहुँच जाती है। मंगोलियासे मंचूरिया और चीनके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें रेलें गई हैं और फिर युन्-नान् होती यनाम, स्याम और बर्मामें फैल गई हैं। बर्माका सम्बन्ध फिर रेलोंसे चटगाँव और आसाम प्रान्तसे हो गया है। यही नहीं, बर्मासे मलाया होते समुद्रमें सुरंगसे सिंगापुर और सुमात्राको भी मिला दिया गया है।

तिब्बतसे पश्चिमकी ओर तुर्किस्तानके यारकन्द, काशगर होती ताशकन्द, समरकन्द, फिर अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरबमें रेलोंका जाल बिछा है। यूराल पर्वतको कितने ही स्थानोंपर पारकर रेलें रुसमें घुसी हैं। इधर कुस्तुन्तुनियामें समुद्रपर पुल बाँध, एसिया और यूरोप मिला दिये गये हैं। फ्रांस और इंग्लैण्डके बीचमें भी समुद्रमें सुरंगवाली रेल-लाइनें बिछी हैं। स्वेज नहरकी सुरंगवाली रेलसे एशिया-अफ्रीका जोड़ दिये गये हैं। अफ्रीकामें भी सब जगह रेलोंका जाल है। इधर पिछली शताब्दियोंमें 'सहाराकी' बालुकामय भूमिको अपार जल-राशिसे भरकर एक समुद्र तथा उसके आस-पास लाखों मीलकी मरुभूमिको हरी-भरी कर देना एक बड़ा आश्चर्यमय कार्य हुआ है। अफ्रीकाकी जन-संख्या भी पहलेसे बहुत बढ़ गई है। आधा यूरोप वहाँ पहुँच गया है, इसके अतिरिक्त एशियाके भी बहुतसे आदमी वहाँ चले गये हैं। किन्तु अब वह पुराना वर्ण-भेद और देश-भेद नहीं। सब एक कुटुम्बकी भाँति रहते हैं। हब्शी, यूरोपियन, एशियाई सभी शिक्षा-दीक्षा आदिमें समान हैं और रंग आदिमें भी समान होते जा रहे हैं।

इस प्रकार तो रेल-मार्ग पूर्विय गोलार्द्धमें बिछा हुआ है। साइबेरियासे वेरिंग समुद्र-स्रोतको सुरंग-द्वारा पार करती हुई गाळी उत्तरीय अमेरिकाके अलास्का प्रान्तमें पहुँच जाती है। फिर तो कनाडा, संयुक्त राष्ट्र, मेक्सिको होती, पनामा नहरको सुरंगसे पार करती हुई गाळी दक्षिण अमेरिकामें घुस जाती है,

यद्यपि इस प्रकार पृथ्वीका अधिक भाग क्या, आस्ट्रेलिया और अन्य छोटे टापुओं तथा जापानको छोड़ सभी भू-प्रदेश रेलोंसे जोड़ दिया गया है, किन्तु आसानीके साथ जहाज भी चीजोंके पहुँचानेमें बड़ा काम करते हैं। इनके अतिरिक्त दूर-दूरकी यात्रायें वायुयानों ही द्वारा होती हैं। मुख्य उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुवोंपर वस्ती हो गई है, जहाँ गर्मी या छः महीने वाले दिनमें लोग रहते हैं। ज्योतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ तथा भौतिक तत्त्व-वेत्ता वहाँ अधिक जुटते हैं। यात्रा वायुयान-द्वारा होती है। आजकलके लोग स्काटके आत्म-बलिदानकी कथायें भले ही पढ़ लें, किन्तु क्या उस समयकी कठिनाइयोंका ठीक अनुमान वे कर सकते हैं ?

बिहार और पटनाकी यात्रा करते, वीचमें प्रसंग-वश यह भी बातें आ गईं। इसके कारण बिहारके आम और लीची ही हैं। इन लगातार आम और लीचीके बागोंमें गुजरते हमलोग आखिर पटना पहुँच ही गये। सूचना पहलेसे पहुँच गई थी। बिहार-शासन-सभाके सभापति साथी यूसुफ कस्तिपय अन्य सभासदोंके साथ स्टेशनहीपर स्वागतके लिए आये थे। स्वागतके वारेमें एक ही वार लिख देना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्थानवालोंने एक दूसरेसे बाजी ले जानेका प्रयत्न किया। जब मैंने नगर देखा तो मालूम हुआ कि पाटलीपुत्र तो अलग रहा पटनाका भी वह पूर्ववाला आकार बिल्कुल उलट-पलट गया है। सारे पटना शहरमें केवल पन्द्रह हजार आदमी रहते हैं। अब उन तंग गलियों और सड़कोंका नाम-निशान नहीं, न उन चौतल्ले-तितल्ले मकानोंहीका कुछ पता है। सभी रहनेके मकान ग्रामोंकी तरह हैं। फुलवाळी और वृक्षोंका भी वैसा ही शोक है। इससे जिस जगह, पहले हजार

आदमी रहते थे, अब मुश्किलसे पचाससे सौ आदमी तक रहते हैं। पटना बिहार-प्रान्तका सदर है। यहाँ बहुतसे राष्ट्रीय दफ्तर हैं। छापाखाना बहुत भारी है। बिना-तारके-तारका बड़ा स्टेशन है। वायुयानोंका भी बड़ा अड्डा है। यहाँके सभी निवासियोंका प्रधान काम इन्हीं विभागोंमें काम करना है।

यद्यपि रहनेके घर सभी एक-महले हैं; तो भी दफ्तर कई-कई तलों वाले हैं। कागज-पत्रोंका जो रेकर्ड-आफिस है, वह तो पूरे पचास तलोंका है। नीचेसे सबसे ऊपरवाले तलपर पहुँचना परिश्रमका काम है, इसीलिए यहाँ वही विजलीका झूलाडोल ऊपर-नीचे जानेके लिए है। इस कार्यालयमें प्रान्तका प्रत्येक कागज बड़े यत्नसे रखा गया है। कागजोंको आग आदिसे बचानेका पूरा प्रबन्ध है। इस दफ्तरमें बिहार-सम्बन्धी अंग्रेजी शासनहीके कागज नहीं, मुसलमानकालकी भी बहुत-सी सनद आदि इकट्ठी की गई हैं। पटनाकी सबसे सुन्दर इमारत अशोक-भवन है। इसका नक्शा नालन्दाके वसुवन्धु-भवनहीका-सा है, किन्तु इसकी शोभा उससे और अधिक है। इसमें सोने और संगमर्मरका काम खूब देखनेमें आता है। विस्तार भी इसका 'वसुवन्धु-भवन' के इतना ही है। रंग-मंचके ऊपर बड़े-बड़े स्वर्णक्षिरोमें लिखा है, 'एषे च मुक्त भुते विजये देवनं प्रियस थो ध्रम विजयो।'

## भारतके प्रान्त

पटनासे चलकर, यद्यपि मैंने वर्तमान भारतके सभी प्रान्तोंमें दो-दो, चार-चार दिन दिये, किन्तु सभी जगहोंकी बस्ती, रहन-सहन एक-सा ही देखा। यद्यपि मैं रोज अपने रोजनामचेमें अपने आस-पासकी चीजोंके विषयमें लिखता गया हूँ, किन्तु, यहाँ उसका उद्धरण करना पुनरुक्त मात्र समझ छोड़ देता हूँ। अपनी यात्रा-क्रमसे, केवल सर्सरी तौरसे मोटे-मोटे परिवर्तनोंहीका, संक्षिप्त विवरण देता हूँ।

पटनाके साथ ही बिहार प्रान्तको छोड़, मैं काशि-कीसल प्रान्तके बनारसमें गया। और परिवर्तनोंके साथ बनारसने भी बड़ा परिवर्तन खाया है। न वह काशीकरवटकी करवट है; न कचौली-गली, न उसकी कचौली।

गलियोंका तो एकदम नाम ही नहीं है। बळी चौळी-चौळी सळकें हैं। खुली हवादार जगहोंमें वही मकानोंकी शोभा है, जो पहले बतलाई जा चुकी है। यदि आज कोई आदमी वीसवीं शताब्दीके किसी मकानको ढूँढना चाहे, तो नहीं मिल सकता। मुझे और भी उदासी मालूम हुई, जब मणिकर्णिका, दशाश्वमेध आदि पूर्वके गुंजान घाटोंपर गया। यद्यपि स्नानके अवसरपर अब भी बहुत-से स्नान करनेवाले आते हैं; सीढ़ियाँ पहलेसे भी सुन्दर और साफ हैं; विजलीकी ताकतसे चलनेवाली कुछ नावें भी गंगामें सपाटे मारती दिखाई पळती हैं, किन्तु अब वह घाटियों और पण्डोंकी चहल-पहल कहाँ ? अब वह 'गुरु'-'गुरु'की कहनाई और कुंडी-सोटेकी रगळाई कहाँ ? नाइयों और मालियोंका भी पता नहीं। पता कैसे हो, इस समय तो जब पैसादेवहीका पता नहीं, तो उनके अनुचरोंका ठिकाना कहाँ ? न अब दशाश्वमेधकी सट्टी है, न विशेश्वरगंजका गोला; न साँळों-मुष्टंडोंका पता। न अब तत्कालीन समाज-की-मारी हतभागिनी स्त्रियोंके दालमंडीके कोठे। लोगोंके रहनेके मकान वही एक-महले। ऐतिहासिक स्थानोंके चारों ओर खूब हरी-हरी खुली जगह दिखाई पळती है। मंदिरोंको अब एक ऐतिहासिक चिन्ह समझ सुरक्षित रक्खा गया है। रुपये-पैसोंका तो चढ़ावा सम्हालना नहीं है। सारे बनारसमें इस समय केवल पचीस सहस्र नर-नारी निवास करते हैं, जो यदि पुराने मकान होते, तो एक कोनेहीमें आ जाते, किन्तु चौळी सळकों और एक-महले मकानों और फूलों आदिके कारण पुराने बनारस-भरमें फैले हुए हैं।

बनारसके पास दो और प्रसिद्ध वस्तियाँ हैं, एक तो बरना उस पार

तीन कोसपर 'ऋषिपतन मृगदाव'—जिसे पहले सारनाथ कहा करते थे—दस हजार आदमियोंकी वस्ती है। यहाँ अतिथि-विश्राम बहुत दूर तक वने हैं। बुद्धिवादी बुद्धके सर्व-प्रथम यहीं उपदेश करनेसे इसका माहात्म्य भारी है। सारे भूमंडलके नर-नारी यहाँ आते हैं। स्थान अब बहुत रमणीय हो गया है। पुराने ध्वस्तप्राय स्तूप विल्कुल अब नये हो गये हैं। दूसरा स्थान है अस्सी उस पार काशी विश्व-विद्यालय। पहलेसे बहुत दूर तक इसका विस्तार है। अब पुरानी पाठशालायें तथा पंडितोंकी गृह-पाठशालायें तो हैं नहीं, किन्तु इससे विद्याप्रचारमें कोई कमी नहीं है। सभी विद्याओंका अध्ययनाध्यापन पूर्वसे भी अधिक व्यवस्थित रूपमें काशी-विश्वविद्यालयमें होता है। इसकी गणना भूमंडलके उच्च श्रेणीके विश्व-विद्यालयोंमें है। साहित्य और दर्शनमें उसकी बड़ी ख्याति है।

काशि-कोसल प्रान्तकी राजधानी प्रयाग है। गेहूँकी खेती तथा आम, अमरूद, वैरके बागोंकी यहाँ अधिकता है। खासकर बनारस जिलेमें उपरोक्त फल बहुत होते हैं।

इसके अतिरिक्त चीनी भी इस प्रान्तमें बहुत होती है। पहलेसे नहरें यहाँ बढ़ गई हैं, किन्तु आबादी घट गई है।

इन्द्रप्रस्थ। इसमें सूरसेन, कुरु, पांचाल, मत्स्य चार विभाग हैं। सूरसेन और मत्स्य कमिश्नरियोंमें बीसवीं शताब्दीकी अनेक रियासतें भी सम्मिलित हैं। अब उन रियासतोंका कुछ भी चिन्ह नहीं रहा। भारतकी राजधानी दिल्ली इस प्रान्तकी भी राजधानी है, किन्तु खास शहरमें पचास ही हजारकी वस्ती है। स्वच्छता-मुन्दरतामें बड़ी-बड़ी है। पुरानी इमारतें



खूब सुरक्षित अवस्थामें हैं। गेहूँ, चीनी, घी इस प्रान्तसे और जगहोंमें भी जाता है। तराईकी ओर कागजके बहुत-से ग्राम हैं।

पंजाब। कश्मीर भी इसीमें शामिल है। राजधानी लाहौर है। तक्ष-शिला विद्यालयने फिर अपनी प्राचीन कीर्तिको लौटा पाया है। आयुर्वेद-शास्त्रमें उसकी ख्याति सम्पूर्ण भूमंडलमें है। गेहूँ तथा और अनाज, एवं चीनीके अतिरिक्त यह प्रान्त मेवे बहुत पैदा करता है। उत्तर तरफ पर्वतीय जन-पदोंमें भेड़ोंके बहुत-से ग्राम हैं। ऊनी कपड़ोंके बहुत-से बड़े-बड़े कारखाने हैं। इसी ओर विजली उत्पन्न करनेके भी बहुत-से स्थान हैं।

राजस्थान। इसमें पुराने राजपूतानेकी सारी रियासतोंके देश सम्मिलित हैं। सबसे भारी परिवर्तन, अनेक रियासतोंके एक होनेके अतिरिक्त, मरु-भूमिका हरे-भरे मैदानके रूपमें परिणत होना है। सिन्धकी बड़ी नहरने, बीकानेरके पानी विना जलकर वालू हो गये कलेजेको ठंडाकर, यह परिवर्तन किया है। अजमेर इस प्रान्तकी राजधानी है।

सिन्धु। पैदावार फल और अनाज दोनोंहीकी है। राजधानी कराँची, जहाज और विमान दोनोंका बड़ा अड्डा है। यहाँसे मैं गुजरात, मध्यप्रान्त और उत्तर महाराष्ट्रमें गया। तीनों प्रान्तोंमें कपासकी खेती बहुत अधिक होती है। कपड़ोंके कई एक बड़े-बड़े कारखाने हैं। पुरानी हैदराबाद-रियासत, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र इन चार प्रान्तोंमें बँट गई है। इन प्रान्तोंमें भी कपास और कपड़ोंके कारखाने हैं। किन्तु चावल, चीनीकी पैदावार बहुत है। द्रविळ और केरलके अतिरिक्त लंका भी अब भारतहीमें सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त उत्कल, वंग,

---

आसाम, बर्मा और हिमालय पाँच प्रान्त और भारतके हैं। सभी जगहोंकी व्यवस्था-अवस्था बहुत ही सुन्दर है। निवासी आनन्दित तथा वसुन्धरा वसुन्धरा है। जगह-जगह बहुत-से विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं।

---

## वर्तमान जगत्से उठ गई चीजें

पहले किसी प्रकार भी धनी बननेकी बीमारीका बळा प्रकोप था। उस समय लोगोंको ऐसा करनेकी स्वाधीनता भी थी। उस समय किसी वस्तुका मूल्य राष्ट्रीय आवश्यकतापर निर्भर नहीं था। धनकी इच्छावाले धनिक इस बातकी कब परवाह करने लगे थे, कि अमुक व्यवसायसे देशका श्रम तथा जीवन बर्बाद होगा, या सार्थक ? वह तो यह देखते थे कि बाजारमें माँग किस चीजकी है। बस, उसीकी तैयारीके लिए बल्ले-बल्ले कारखाने खोल देते थे, जिनमें लाखों आदमी काम करते थे। शराब, सिगरेट, अफीम यद्यपि हानिकारक वस्तुयें थीं, किन्तु उनकी उपजके लिए लाखों आदमी और लाखों बीघे भूमि बशी रहती थी। भला आजकल वह बात कहाँ चल

सकती थी? यहाँ तो सिद्धान्त ठहरा, जीवनकी सभी आवश्यक, अहानि-कारक, आनन्दप्रद सामग्रीके यथेष्ट संग्रहमें जहाँ तक हो सके कम-से-कम समय लगाया जाय, ताकि अवशिष्ट समयको लोग अपनी इच्छानुसार, अपने ईप्सित और कार्योंमें लगा सकें। पहले जैसे दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलोंकी बहुत भूमि तम्बाकू पैदा करनेमें लगी रहती थी, अब वहाँ तम्बाकू का नाम नहीं। सिगार, सिगरेट, वीळियोंके कारखानोंका पता नहीं। शराब, अफीम ही नहीं, गाँजा, भाँग, चरस, ताली आदि कितनी ही वस्तुयें बाजके संसारमें पढ़कर तथा वस्तु-संग्रहालयोंहीमें जाकर देखी जा सकती हैं। चाय, काफी, कहवा भी अब व्यर्थका व्यसन समझा जाकर विदा हो चुका है। खानेमें छोटे-बड़े आदमीका भेद न होनेसे, साँवाँ, कोदो, मळुआ (रागी), मोटे चावल आदि कितने निम्न श्रेणीके अन्न नहीं बोये जाते। खानेके लिए फल, अनाज, जो कुछ भी पैदा किये जाते हैं, उत्तम श्रेणीके। कपड़े-लत्ते, घर-द्वार, सवारी, वार-वरदारीमें भी यही बात है।

पैसेका नाम उठ जाने, तथा वैयक्तिक सम्पत्तिके न रह जानेसे फल-फूल, खेत-शारी, कल-कारखाना सब कुछ राष्ट्रीय है; और इसीलिए अब उतने कानूनोंकी भी भरमार नहीं। इन्कमटैक्सका कानून, वन्दोवस्त कानून, कोर्टफीस, आवकारी, काश्तकारी, लगान, ज्वाइंट-स्टाक-कम्पनी, आदि-आदि सैकड़ों कानूनोंका अब कामही नहीं है। दीवानी मामलोंकी जल ही खतम हो गई, क्योंकि धन-घरती किसी व्यक्तिकी है ही नहीं। फौजदारीके कानूनका आकार भी बहुत घट गया है, क्योंकि धन-घरतीके अपहरण-विषयक चोरी-डकैती आदि अपराध अब सम्भव ही नहीं। एक

व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिको शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचानेका कारण अब नाम-मात्र ही रह गया है, क्योंकि इन सबकी जल्ल वही व्यक्तिगत स्वामित्व था। शिक्षाका उत्तम प्रबन्ध, रोगोंकी उत्कृष्ट चिकित्सा, नीरोग हृष्ट-पुष्ट माता-पिताकी वैसी सन्तान होना, इत्यादि वह कारण हैं, जिनसे, जिन कौनोंसे पहले कितने अपराध हो भी पळते, आज अपराध वहाँ नहीं या नहींके बराबर होते हैं। अब अपराधोंके दो ही मुख्य कारण हैं, मनुष्य-प्रकृतिकी जब तबकी उद्धतता और अज्ञानता, तथा स्त्री-पुरुषके सम्बन्ध। किन्तु इनसे भी पहलेकी अपेक्षा शतांश भी अपराध नहीं हो पाते; कारण है—मनुष्य-प्रकृतिका बहुत भारी सुधार हो जाना, तथा स्त्री-पुरुषोंका एकदम बराबर समझा जाना। आजकल स्त्रीपर पुरुषका उतना ही अधिकार है जितना पुरुषक<sup>पु</sup> स्त्रीपर<sup>स्त्री</sup>। दोनों केवल प्रेमके बन्धनसे बँधे हैं। जिस प्रकार दाम्पत्य बन्धन प्रेमके ही द्वारा बँधा है, वैसेही वह तभी तक स्थिर भी समझा जाता है, जब तक कि वह प्रेम है। प्रेमके अभावमें इस बन्धनका सर्वथा उच्छेद हो जाता है। जब पति-पत्नीको एक-दूसरेकी आर्थिक पराधीनता नहीं, समाजके विरोधका भय नहीं, तो फिर वह कब और कितने दिनों तक दिखलावेके दम्पती बने रह सकते हैं? इसका एक यह भी फल हुआ है कि अब पहलेकी तरह गुप्त व्यभिचारकी अधिकता नहीं।

आजकलके संसारमें कितने ही पेशोंका भी अस्तित्व नहीं है। वकील, मुस्तार, सोस्तार, बैरिस्टर ही नहीं; मोची, भंगी, रंडी (वेश्या), भँडुये, भिखमंगे, पंडे, भाँट, मुजावर, कसाई, दूकानदार आदि भी अब नहीं रह